खण्ड-452, अंक-8
शुक्रवार, 4 फाल्गुन, शक संवत् 1926
(25 फरवरी, 2005 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2005)

खण्ड 452 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (भारत)

2005

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क--च
श्री रामवीर उपाध्याय द्वारा अपने विरुद्ध फर्जी एफ0 आई0 आर0 के प्रकरण को पहले लिये जाने की मांग	1
प्रश्नोत्तर	1--48
निर्धारित प्रश्नों को सभाकाल में ही लिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न...	48--49
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	50--51
जनपद शाहजहाँपुर में औषधि-निरीक्षक के रिक्त पद पर नियुक्ति करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	51
लखनऊ में गैस सिलेण्डरों में पानी भरने वालों एवं कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	51
बुलन्दशहर की तहसील शिकारपुर परिसर के रुके कार्यों को पूर्ण कराने तथा वकीलों के चैम्बर बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	52
आजमगढ़ सदर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत/पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	52
जनपद फतेहपुर के बिन्दकी क्षेत्रान्तर्गत मुगुल रोड से बिजुरी मार्ग की टूटी पुलिया का निर्माण करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	52--53
गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्रान्तर्गत स्याना चौपले से रेलवे क्रासिंग पर फ्लाई ओवर बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	53
निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार द्वारा लिपिक संवर्गीय कर्मचारियों की कोटिक्रम सूची में अस्थायी एवं तदर्थ कर्मचारियों को भी सम्मिलित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	53
जनपद अम्बेडकर नगर में क्षतिग्रस्त माया टाण्डा राज्य मार्ग को हाट मिक्स प्लांट से बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	54
गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित विद्युतीकरण हेतु 5 ग्रामों में से अवशेष ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	54
जनपद आजमगढ़ के फूलपुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	54--55
महाराष्ट्र एवं लक्षद्वीप की भाँति उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिम एवं ईसाई बिरादरियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	55

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद खीरी के पल्ला क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों को लोक निर्माण विभाग अथवा मण्डी समिति के माध्यम से पेन्टेड रोड कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	55--56
जनपद शाहजहाँपुर के मान्यताप्राप्त कतिपय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सहायक लिपिक के रिक्त पदों पर तैनाती कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	56
जनपद खीरी के निधासन क्षेत्रान्तर्गत ग्राम तिकोनिया में पक्की पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	56
जनपद सुल्तानपुर के जयसिंहपुर क्षेत्रान्तर्गत चार गाँवों के विद्युतीकरण हेतु पूर्वांचल विकास निधि द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	57
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	57
नियम 51 के अन्तर्गत तीन माह पूर्व हॉडिया डिग्री कालेज, इलाहाबाद की स्वीकृत सूचना का उत्तर अभी तक न मिलने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	57--59
उत्तर प्रदेश विनियोग (2004-2005 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2005 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	59
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	59--72
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ...	72--88
मंत्रि-परिषद में विश्वास का प्रस्ताव (जारी)	88
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	88--92
मंत्रि-परिषद् में विश्वास का प्रस्ताव (स्वीकृत)	93
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	93--96
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	96--97
गौतमबुद्ध नगर के छलेरा ग्राम स्थित गाजियाबाद अरबन को-आपरेटिव बैंक में जमा किसानों के 80 करोड़ रुपये के भुगतान के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता राज्य मंत्री का वक्तव्य	97--98
प्रदेश के अनुदानित महाविद्यालयों में नियमित शिक्षकों द्वारा स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम की पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं में पढ़ाने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य	98--100

विषय पृष्ठ-संख्या

राज्य सरकार को स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के निदेशक के रिक्त पद को भरने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश पाण्डेय द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य 100--101

यमुना नदी पर बने यमुना सेतु पर भारी टोल टैक्स वसूल किये जाने के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य 101--102

जनपद प्रतापगढ़ की कोतवाली लालगंज के ग्राम पूरे लंगड़ा निवासी स्व0 प्रमेन्द्र कुमार मिश्र के पुत्र श्री नीरज कुमार मिश्र पर जानलेवा हमला किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य 103--104

प्रदेश के स्थानीय निकायों के अन्तर्गत सफाई कर्मचारियों की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य ... 104--105

जनपद हमीरपुर के जिला महिला चिकित्सालय में तैनात महिला चिकित्सकों द्वारा अपने चिकित्सीय दायित्वों का निर्वाह न करने के सम्बन्ध में श्री जगदीश नारायण राय द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य 106

जनपद प्रतापगढ़ स्थित न्यू सिटी मान्टेसरी स्कूल को जाने वाले रास्ते को नगर पालिका परिषद् द्वारा बन्द किये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य ... 106--107

प्रदेश के राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों आदि को महंगाई भत्ते की 50 प्रतिशत धनराशि को मूल वेतन में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ... 107--108

सार्वजनिक तालाबों एवं भीटों पर भू-माफियों द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री सोमारू राम सरोज द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य 108--109

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि की नीलामी से 84 करोड़ रुपये का नुकसान होने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह सिसोदिया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन 109

जनपद बरेली स्थित रम्पुरा-सिरौली मार्ग का चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मपाल सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य 109--110

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद गोण्डा के कटरा बाजार में आये चक्रवात से बाधित विद्युत आपूर्ति को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बजनाथ दुबे द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	110--111
जनपद गाजीपुर के कासिमाबाद को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री कालीचरन राजभर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य	111
जनपद लखनऊ स्थित सईदुन्निसा गाजीपुर में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा अधिग्रहीत की गयी भूमि का मुआवजा न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदम्बिका पाल तथा श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	112--114
नत्थियां	115--122

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(चौदहवीं विधान सभा)

शुक्रवार, दिनांक 25 फरवरी, 2005

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे उपाध्यक्ष, श्री राजेश अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य--320

अकील्रुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद	अमरमणि, श्री	महराजगंज
अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच	अमरसिंह यादव पुत्र	
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर	श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
अजय कुमार, डा0	बागपत	अमीता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद	अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अताउल रहमान, श्री	बरेली	अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अनवर महमूद,श्री	बलरामपुर	अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अनार सिंह दिवाकर,श्री	एटा	अरविन्द कुमार सिंह	
अनिल कुमार पाण्डेय,श्री	सुल्तानपुर	उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी
अनिल कुमार मौर्य,श्री	मिर्जापुर	अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अनिल कुमार वर्मा,श्री	सीतापुर	अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अनिल कुमार पासवान,श्री	हरदोई	अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अनिल कुमार सिंह यादव,श्री	एटा	अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अनीस अहमद खां		अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
उर्फ फूलबाबू,श्री	पीलीभीत	अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई
अनुग्रह नारायण		अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
उर्फ खोखा सिंह,श्री	देवरिया	आदित्य विक्रम सिंह	
अनूप कुमार पाण्डेय,श्री	बस्ती	(बांकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर
अन्सार अहमद,श्री	इलाहाबाद	आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
अब्दुल कलाम,श्री	सन्त कबीर नगर	आर0 एस0 कुशवाहा, श्री	खीरी
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई	आलम बदी, श्री	आजमगढ़
अब्बास अली जैदी		आलोक कुमार शाक्य,श्री	मैनपुरी
उर्फ रुश्दी मियां,श्री	बाराबंकी	आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
अमरजीत सिंह		आशीष यादव, श्री	बदायूं
जनसेवक, श्री	फतेहपुर		

आशुतोष मौर्य	
उर्फ राजू, श्री	बदायूं
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इन्द्रदेव सिंह, डा0	बिजनौर
इलम सिंह, श्री	सहारनपुर
उज्जवल रमण सिंह, श्री	इलाहाबाद
उदयभान सिंह, श्री	वाराणसी
उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
उमा शंकर कुशवाहा, श्री	गाजीपुर
ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कपिल देव यादव, श्री	मऊ
कमलेश कुमार, श्री	गोरखपुर
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णानन्द राय, श्री	गाजीपुर
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छेदी राम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जंग बहादुर, श्री	सुल्तानपुर
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकरनगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जियाउद्दीन रिजवी, श्री — बलिया
डी0 प्रसाद अहिरवार, श्री — चित्रकूट
तेजपाल सिंह, श्री — मथुरा
दयाराम, श्री — कौशाम्बी
दया शंकर वर्मा, श्री — जालौन
दिनेश सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री — बहराइच
दीनानाथ कुशवाहा, श्री — देवरिया
दीनानाथ भाष्कर, श्री — सन्त रविदास नगर, भदोही
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री — हाथरस
देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह, श्री — गोरखपुर
देवेन्द्र नागपाल, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
देवेन्द्र प्रताप, श्री — एटा
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — रायबरेली
धनंजय सिंह, श्री — जौनपुर
धर्मपाल सिंह, श्री — गाजियाबाद
धर्मराज निषाद, श्री — अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0 — सहारनपुर
धू राम लोधी, चौधरी — हमीरपुर
नत्थू सिंह, श्री — उन्नाव
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती — गोण्डा
नरेन्द्र कुमार, श्री — गौतमबुद्ध नगर
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0 — इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री — सीतापुर
नरेन्द्र सिंह सिसोदिया, श्री — गाजियाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
नवाब सिंह नागर, श्री — गौतमबुद्ध नगर
पी0के0 राय, डा0 — कुशीनगर
पीटर फेन्थम, श्री — नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री — पीलीभीत
पूरन सिंह बुन्देला, श्री — ललितपुर
पूर्णमासी देहाती, श्री — कुशीनगर
प्रदीप माथुर, श्री — मथुरा
प्रभु दयाल, श्री — मेरठ
प्रभु नारायण, श्री — वाराणसी
प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री — अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री — झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री — बदायूं
प्रेमलता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
फसीहा बशीर, चौधरी (गजाला) — देवरिया
वंशीधर राज, श्री — खीरी
बलराम यादव, श्री — आजमगढ़
बाबूराम, एम0 काम0, श्री — जालौन
बाबू लाल, चौधरी — आगरा
बाबू लाल कुशवाहा, श्री — बांदा
बीजू पटनायक, श्री — गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती — रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री — झांसी
बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट — जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री — मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री — गोण्डा
बंद्या शकर त्रिपाठी, श्री — देवरिया
भगेलू राम, श्री — सुल्तानपुर
भरत सिंह, श्री — बलिया
भारतेन्द्र सिंह, कुंवर — बिजनौर
भूपेन्द्र सिंह, श्री — बदायूं

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मनेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन सिंह उर्फ	
सन्तोष कुमार, श्री	इटावा
मलिक मसूद, श्री	आजमगढ़
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम, चौ0 एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ	
झोन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह जादव, चौधरी	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश त्रिवेदी, श्री	कानपुर देहात
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मिथलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मुलायम सिंह यादव, श्री	बदायूं
मूंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर	बिजनौर
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
माहम्मद आकिल उर्फ	
मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद वशीर, चौधरी	आगरा
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद शफीर, श्री	फतेहपुर
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेश प्रताप सिंह उर्फ	
योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र पुण्डीर, प्रो0	मेरठ
राकेश कुमार वर्मा, श्री	बाराबंकी
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राजनाथ यादव, श्री	वाराणसी
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजवीर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राजा राम, श्री	प्रतापगढ़
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ	
मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश अग्रवाल,श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर

राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया	लुइंस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
राम करन आर्य, श्री	बस्ती	वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
राम किशुन, श्री	वाराणसी	वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद	विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर	विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया	विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
राम चन्द्र यादव, श्री	फैजाबाद	विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़	विनय शाक्य,श्री	औरैया
रामपाल यादव, श्री	सीतापुर	विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री	इटावा
राम पाल वर्मा, श्री	हरदोई	विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज	विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा	विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
रामबाबू हरित, डा0	आगरा	विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा	विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
राम भुआल निषाद, श्री	गोरखपुर	विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
राम मगन, श्री	बाराबंकी	वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना" श्री	शाहजहांपुर
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली	वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस	वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद	वीरेश्वर, श्री	अलीगढ़
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव	शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री सन्त रविदास नगर, भदोही	
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर	शब्बीर, श्री	बहराइच
रामहेत, श्री	सीतापुर	शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा	शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर	शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत	शाकिर अली, श्री	देवरिया
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ	शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद	शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ	शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर		
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर		

शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर	सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली	सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा	सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर	सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री	गाजियाबाद
शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़	सुरेन्द प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
शिवेन्द्र सिंह उर्फ		सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
शिव बाबू, श्री	महराजगंज	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा	सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर	सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा	सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी	सुल्तान बेग,श्री	बरेली
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर	सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री.	इलाहाबाद	सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
श्रद्धा यादव, श्रीमती	जौनपुर	सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
श्रीराम भारती, श्री	मिर्जापुर	सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
सतीश महाना, श्री	कानुपर नगर	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर	हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी	हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
समरपाल सिंह, श्री	बागपत	हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
सर्वेश कुमार उर्फ		हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव	
राकेश कुमार, कुं0	मुरादाबाद	"हरीश जी" श्री	वाराणसी
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा	हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
सियाराम सागर, डा0	बरेली	होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

नोट :–श्री अहमद हसन, परिवार कल्याण मंत्री,

श्री मुन्ना सिंह चौहान, सिंचाई मंत्री,

श्री राम आसरे विश्वकर्मा, उच्च शिक्षा राज्यमंत्री, तथा

श्री अजीत कुमार राजू, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री भी सदन में उपस्थित थे।

श्री रामवीर उपाध्याय द्वारा अपने विरुद्ध फर्जी एफ0 आई0 आर0 के प्रकरण को पहले लिए जाने की मांग

श्री रामवीर उपाध्याय--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे तथा मेरे भाई व परिवार के अन्य लोगों के खिलाफ जिला अध्यक्ष लोकदल के इशारे पर एक झूठी एफ0 आई0 आर0 हुई है। मैं माननीय अध्यक्ष जी तथा प्रमुख सचिव, गृह से भी बात कर चुका हूं और जिले के एस0 एस0 पी0 व डी0 एम0 सबको बता चुका हूं कि निर्दोष लोगों को जेल भेजा जा रहा है। मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पहले मेरी बात सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न प्रहर समाप्त होते ही आपको सबसे पहले सुना जायेगा। कृपया स्थान ग्रहण करें।

प्रश्नोत्तर

[अल्पसूचित तारांकित प्रश्न]

सार्वजनिक क्षेत्रों की बीमार औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास हेतु कार्य योजना

डा0 सुशील चौधरी--

**1.--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों की बीमार औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास हेतु कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक विकास राज्य मंत्री (श्री कैलाश)--

औद्योगिक विकास विभाग के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाईयों को रूग्ण/बीमार, रूग्ण औद्योगिक कम्पनीज (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के तहत गठित औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी0 आई0 एफ0 आर0) द्वारा घोषित किया जाता है, और ऐसे रूग्ण घोषित औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वासन की कार्यवाही भी बी0 आई0 एफ0 आर0 के निर्देशों के अनुसार की जाती है जो प्रत्येक रूग्ण घोषित इकाई के लिए पृथक-पृथक होती है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि प्रदेश में कितने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाईयां हैं और उनको पुनर्वासन के लिए क्या कोई निश्चित योजना सरकार ने बनायी है ?

श्री कैलाश--

मान्यवर, कुल रुग्ण इकाईयां 5 हैं--उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम, कानपुर, उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि0, कानपुर, उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लि0, कानपुर, इंडियन टरपेनटाइन एण्ड रोजिन कम्पनी, बरेली, उत्तर प्रदेश ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल कम्पनी, लिमिटेड। ये पाँच इकाईयां हैं जो रुग्ण हो चुकी हैं। इनके अतिरिक्त दो और इकाईयां हैं--उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट निगम और ऑटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड, प्रतापगढ़।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि इनको चलाने के लिए सरकार ने क्या कोई स्पष्ट योजना बनायी है ?

श्री कैलाश–

मान्यवर, जो रुग्ण इकाईयां हैं उनको औद्योगिक कम्पनीज (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के तहत बी0 आई0 एफ0 आर0 का गठन किया गया था और अधिनियम के अन्तर्गत सारे अधिकार बी0 आई0 एफ0 आर0 को ही दिया गया है और बी0 आई0 एफ0 आर0 को सारे अधिकार न्यायालय वाले प्राप्त है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय सदस्य वरिष्ठ सदस्य है आपको जानकारी में होगा फिर भी आपकी जानकारी में इजाफा कर दें कि बी0 आई0 एफ0 आर0 के अपने रूल हैं वह कब लागू होंगे, कौन-कौन से मानक पूरे न होने पर वह लागू होंगे उसका एक लम्बा चार्ट है अगर आप चाहेंगे तो वह चार्ट आपको उपलब्ध करा दिया जायेगा। जो रुग्ण इकाइयां होती हैं उनके जो कारण होते हैं वह कारण अगर पूरे हो रहे हैं तो इकाई उसकी परिधि में आती है अन्यथा नहीं आती है।परीक्षण चलता रहता है। बी0 आई0 एफ0 आर0 की हिदायत से बहुत सी इकाइयां चल जाती हैं इस सबसे आप अच्छी तरह परिचित हैं। फिर भी अगर आप चाहेंगे तो डिटेल आप तक भेज दिया जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसके सम्बन्ध में दो बातें जानना चाहता हूं। एक तो उत्तर प्रदेश में जो चीनी मिलें बन्द हो गयी हैं क्या वह उस परिधि के अन्तर्गत नहीं आती हैं। शाहजहाँपुर की पुवायां चीनी मिल जो बन्द पड़ी है उसकी क्या स्थिति है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

इसमें तो सूचना की आवश्यकता होगी। लेकिन बी0 आई0 एफ0 आर0 का अपना एक जाबिता है उसके तहत वह अपनी कार्यवाही करते हैं जैसे-जैसे उनके दिशा निर्देश प्राप्त होते रहते हैं सरकार उसी के इत्तेबार से कार्यवाही करती रहती है।

डा0 नरेंद्र कुमार सिंह गौर–

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहाता हूं अभी खन्ना जी ने 24 चीनी मिलों के बारे में प्रश्न किया था उनके पुनर्वासन के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक योजना बनाई थी क्या वर्तमान सरकार में मंत्री जी उनके पुनर्वासन के लिए कोई योजना बना रहे हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

आप कार्य योजना बनाते रहे, हम कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि पुनर्वास के योग्य जो इकाइयां नहीं हैं उनके बारे में कोई सर्वे कराया गया है और जिसके पुनर्वास में सरकार की रुचि नहीं है, ऐसी कितनी इकाइयां हैं, जिनको बेचने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है ?

श्री मोहम्मद आजम खां

अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं है कि किसे बेचा जाएगा और किसे चलाया जायेगा। सरकार की नीयत है कि ज्यादा से ज्यादा चीनी मिलों को चलाया जाय। जो पिछली सरकारें किसानों की उपेक्षा कर चुकी हैं गन्ने का बकाया न देने में, मिलों को बन्द करने में और मिल मालिकों से सांठ-गांठ करने की इस तरह की चीजों को यह सरकार रोकेगी और किसानों के हित में निर्णय लेने वाली है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु प्रभावी कार्य योजना बनाये जाने की मांग

*1—श्री श्याम देव राय चौधरी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगामी गर्मी के दिनों में कटौती मुक्त निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने हेतु सरकार ने कोई प्रभावी कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आगामी गर्मी के दिनों में 2000-2500 मे0 वा0 की विद्युत कमी बने रहने की संभावना है जिसे कम समय में विद्युत की उपलब्धता बढ़ाकर पूरा कर पाना सम्भव नहीं होगा।

श्री श्याम देव राय चौधरी—

उपाध्यक्ष जी, वर्तमान सरकार की घोषणा है कि इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनायेंगे तो उत्तम प्रदेश बनाने के लिए जितनी भी अवस्थापना सुविधाओं की आवश्यकता होती है उसमें बिजली एक अहम विषय है लेकिन उत्तर को देखते हुए मुझे खेद है कि सरकार ने कोई प्रभावी कार्य योजना नहीं बनाई। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जितनी बिजली की आवश्यकता है और जितनी कमी है मांग और आपूर्ति के बीच जो अन्तर है उसमें कमी करने के लिए लाइन लास को कम करने और अन्य उपाय से जो बिजली की हानि होती है उस पर अंकुश लगाने के लिए और कमी को कम करने के लिए केन्द्रीय सेक्टर से बिजली का आयात करने, यह सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन इस सम्बन्ध में कोई कार्य योजना न बनाने और जनता की आवश्यकता की पूर्ति की दशा में कोई कमी न करने का क्या कारण है मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

इतने कम समय में इतने ज्यादा जवाब। मैंने तो सोचा था कि अगर पूर्व से चलते और उतनी ही जिम्मेदारी से हमसे पूछते। यह ठीक है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है और यह घोषणा ही नहीं सत्यता में है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं और उसी ओर ले चले हैं। हमारी किन्हीं-किन्हीं नीतियों से आप भी सहमत होंगे लेकिन दिखावे के लिये, औपचारिकता के लिये विरोध करते हैं। हमने कहा कि हम तीन वर्ष में बिजली की कमी पूरी करेंगे। हमने तो बहुत टाइम बाउण्ड कहा है और जो योजना उत्तर प्रदेश में बिजली के उत्पादन के लिये ला रहे हैं उसमें कोई शंका नहीं है। शंका आप ही प्रकट कर रहे हैं और केन्द्र में जो सरकार है वह उन उद्यमियों को

जो यहां उद्योग लगाना चाहते हैं,. भयभीत कर रही है। हमने दादरी में प्रोजेक्ट लगाने के लिये जमीन एक्वायर कर ली है। रिलायंस इनर्जी इण्डस्ट्री को जमीन दे रहे हैं जो कि 3740 मेगावाट की योजना लगा रहे हैं जिसमें 1500 मेगावाट प्रदेश का अंश है। आनपरा सी को निजी क्षेत्र में ले जा रहे हैं।

पारीछा में 210-210 मेगावाट के दो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जिसका उत्पादन 2006-2007 में शुरू हो जायेगा। ऊँचाहार तृतीय में 210 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं यह भी 2006-2007 तक शुरू हो जायेगा। विष्णु प्रयाग में भी प्रोजेक्ट लग रहा है जिसमें कि प्रदेश का भी अंश और यह भी दिसम्बर 2006 में शुरू हो जायेगा। हमने शुरुआत की है और तीन वर्ष का समय मांगा है। तीन वर्ष में हमारी जवाबदेही तलब की जाय। प्रश्न का उत्तर भी स्पष्ट दिया है। जो मौजूदा मांग है उसको हम उपलब्धता के अनुसार पूरा कर रहे हैं। जब आपकी सरकार केन्द्र में थी आपने ए0 बी0 टी0 सिस्टम लागू किया था। हम वाराणसी में ईस्टर्न ग्रिड से जोड़ने के लिये गये थे, तो हमने विरोध किया था और कहा था कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिये उत्तर प्रदेश को ए0 बी0 टी0 सिस्टम से मुक्त किया जाय। हमको जो बिजली केन्द्र से मिल रही है वह हमको 5 रुपये में दे रहे हैं। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए हमको बिजली की कटौती करनी पड़ रही है और यह पूर्ववत् लागू थी। पहली बार गांवों को तहसीलों को 14 घंटे बिजली मिल पा रही है। पहले तहसीलों को 8 घण्टे भी बिजली नहीं मिल पाती थी। इन सब चीजों को देखते हुए अभी मौजूदा जो गर्मी आ रही है उसमें उत्तर प्रदेश को बिजली कटौती से मुक्त नहीं कर सकते हैं।

श्री श्याम देव राय चौधरी--

मैंने यह अनुरोध किया था कि जो बिजली हानियां हैं, वह करीब 43-44 प्रतिशत के करीब हो रही है, जो मेरी जानकारी है। इस सरकार को बने हुए 17-18 महीने हो गये हैं, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं माननीय विद्युत मंत्री से कि यह जो लाइन लॉस है, इसको आपने कितना घटाया है? यह बताने की कृपा करें और उस लाइन लॉस को कम करके बिजली की उपलब्धता आपने कितनी बढ़ाई है?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

श्रीमन् ,उपलब्धता जो है उसको बढ़ाने-घटाने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। लाइन लॉस कम होने से बिजली की उपलब्धता नहीं बढ़ेगी बिजली चोरी अवश्य घटेगी। जितनी बिजली है, उतनी दे रहे हैं। राज्य विद्युत कारपोरेशन को कितना रिटर्न मिलता है यह अलग बात है। लाइन लॉस का एवरेज 34 प्रतिशत है यह सही है कुछ जगह लाइन पर 40 प्रतिशत से ऊपर है। इसीलिए विद्युत सुधार अधिनियम लाया गया है। हर एल0 टी0 लाइन पर 33 के0 वी0 से मीटरिंग कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य इस बार तीन प्रतिशत लाइन लॉसेज कम करने का है।

कुंवर भारतेन्द्र सिंह

इस समय जितने बिजली उपग्रह हैं। वह बार-बार फुंक जाते है। किसान हर गर्मी में घेरकर बैठते हैं इस उपग्रह के लिए जो योजना प्रस्तुत की जा चुकी है उसमें क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य उपग्रह नहीं है उप केन्द्र है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

श्रीमन्, माननीय सदस्य जानते हैं प्रतिवर्ष डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में, ट्रांसमीशन सेक्टर में भी लाइन बन रही है एल0 टी0 डी0 आर0 डी0 योजना उत्तर प्रदेश में लागू की जा रही है। केन्द्र से इसमें पैसा लिया है। उत्तर प्रदेश में 30 जनपद प्रतिवर्ष लिए गए हैं अन्य जनपदों के लिए योजना तैयार हो चुकी है। जो अति भारित केन्द्र हो गए है, शहर में बढ़ते लोड के अनुसार 33 के0 वी0 40 के0 वी0 के ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे है। पहले हम जिले बता चुके हैं जो जिले लिए गए हैं उसमें तुरन्त कार्यवाही कर रहे हैं। अगर कोई निजी होगा तो माननीय सदस्य लिखकर दे दें उसको दिखवा लेंगे।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर 6500 से 7300 मेगावाट बिजली की जरूरत है। जो रिर्सोसेज है उनसे 45 से 200 मेगावाट विद्युत प्रदेश में मिल रही है। सरकार को डेढ़ साल हो गया है बहुत जोर-शोर से ऊर्जा नीतियों की घोषणा की गई है इन डेढ़ वर्षों के अन्दर क्या एक मेगावाट नया उत्पादन प्रदेश के अन्दर हुआ है ? इस समय जाड़े का समय है उसमें चार-पाँच घंटे बिजली की कटौती हो रही है। गर्मियों में 8-10 घंटे बिजली की कटौती होगी तो इस कमी को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार से बिजली लेने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मं सारा उत्तर इसके पहले दे चुका हूं। मैंने कहा कौन सी नई योजनायें चल रही हैं। विद्युत उत्पादन की अभी 501 मेगावाट की कैपिसिटी है। तापीय थर्मल की 3909 मेगावाट की है कुल 7,709 मेगावाट के लगभग है। मौजूदा में जो स्थिति है उसमें उत्पादन घटता बढ़ता रहता है। जलाय में 100 कभी इससे कम मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। श्रीमन् मैंने स्थिति सामने रखी डेढ़ साल में हमने क्या किया। इसमें पूर्व की सरकार ने ओबरा में निजी हित के लिए 50 मेगावाट की यूनिट जो खराब थी उसको रिफ्रेशमेंट के लिए स्वीकृत कर दिया। जबकि 200 मेगावाट की यूनिट जो खराब थी उस पर कम खर्चा आ रहा था उसको स्वीकृत नहीं किया। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, हिसाब नहीं जोड़ पायेंगे। श्रीमन्, डेढ़ वर्ष में लुटे हुए उत्तर प्रदेश को बचाने का काम हम लोगों ने किया है और अगले डेढ़ वर्ष, ढाई वर्ष में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में शौचालय बनवाने हेतु विशेष कार्य योजना

*।–श्री राम इकबाल सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रामीण अंचलों में शौचालय बनवाने की कोई विशेष कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)–

जी हां।

प्रदेश में ग्रामीण अंचलों में शौचालय बनवाने के लिये केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया

है। इस अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2012 तक खुले में शौच प्रथा को समाप्त करना तथा सभी परिवारों द्वारा शौचालय का निर्माण एवं प्रयोग करना सम्मिलित है। वर्ष 2004-05 से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले शत-प्रतिशत परिवारों को तथा गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले अधिकतम 10 प्रतिशत परिवारों को रु0 1500.00 तक की वित्तीय सहायता प्रोत्साहन धनराशि के रूप में दी जा रही है।

वर्ष 2007 तक प्रदेश के समस्त शासकीय हायर सेकेन्डरी विद्यालयों में छात्र एवं छात्राओं के लिये अलग-अलग शौचालयों एवं मूत्रालयों की व्यवस्था की जानी है ताकि बच्चे प्रारम्भ से ही शौचालय प्रयोग की आदत डालें। अभियान का लक्ष्य स्वच्छ सुविधाओं को अपनाने के साथ-साथ वातावरणीय एवं शारीरिक स्वच्छता हेतु भी शिक्षित किया जाना है।

सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में बाल मैत्रिक शौचालयों की सुविधा प्रदान किया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम इकवाल सिंह--

आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ग्रामीण अंचल की इस गम्भीर समस्या के बारे में माननीय पंचायती राज मंत्री जी से जानना चाहता हूं। श्रीमन्, ग्रामीण इलाके की समस्या इतनी गम्भीर है और गांवों में बहुत कम जमीन सार्वजनिक बची है, सड़कों के किनारे और नहरों की पटरियां ग्रामीण इलाकों में शौचालय का केन्द्र बन गयी है जिससे गांवों में पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है तथा महामारी का खतरा भी बढ़ रहा है। मानवीय स्तर पर भी देखा जाए तो यह बहुत अमानवीय है। वहां पर महिलाएं सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद ही शौच के लिए जा सकती हैं। कोई भी गाड़ी-गड्डा उधर से निकलता है तो बड़ी परेशानी होती है। यह इंसानियत का और मानवीय कार्यक्रम है। मैं जानना चाहता हूं कि वर्ष 2004-2005 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कितने परिवारों के लिए इन शौचालयों का निर्माण हुआ है तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली कितनी आबादी है ? और तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जो घनी बस्तियां गरीबों की हैं जिनके यहां झोपड़ी के अलावा कुछ है नहीं, उनके शौचालय कहां पर बनेंगे ? क्या उनके लिए सरकार सार्वजनिक स्थान पर ही सामूहिक शौचालय का निर्माण कराकर वहां पर एक स्वीपर की नियुक्ति करने और एक हैण्डपम्प लगवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री बलराम यादव--

मान्यवर, माननीय सम्मानित सदस्य ने जो इस गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में प्रश्न किया है, अत्यन्त संवेदनशील है और सरकार का लक्ष्य भी है कि चाहे वह जिस श्रेणी के लोग हों, चाहे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हों या गरीबी रेखा के ऊपर के हों, उनके लिए शौचालयों का निर्माण निजी व्यवस्था से या शासकीय सहयोग से पूरे प्रदेश में हो, प्रत्येक के घर में शौचालय बन जाये, इस व्यवस्था को सामने रखकर लक्ष्य निर्धारित किया है । वर्ष 2004-2005 में 6 लाख शौचालयों के निर्माण के लिए लक्ष्य रखा गया है।

मान्यवर, वर्ष 2004-05, 2005-06 में मिलाकर 12 लाख शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए प्रोत्साहन राशि 12 सौ रुपये और गरीबी की रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों के लिए 15 सौ रुपये की प्रोत्साहन राशि देकर शौचालय बनाने का कार्यक्रम रही है। निश्चित रूप से गांव में सकरी आबादी में जहां

मकान के अलावा कुछ नहीं भी जमीन नहीं होती उनके लिए सामुदायिक शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार ने 51 हजार 500 रुपये की व्यवस्था इसके लिए की है लेकिन इसमें प्रदेश सरकार 2 लाख रुपये प्रत्येक ग्रामीण आबादी में सार्वजनिक शौचालय के निर्माण की व्यवस्था के लिए देगी। इसमें हमारी मदद भारत सरकार करेगी और निश्चित रूप से इसमें मदद मिलेगी। सार्वजनिक स्थानों पर भी सार्वजनिक शौचालयों का लक्ष्य है और इसके लिए धन की पूर्णरूप से व्यवस्था की गयी है।

श्री राम इकबाल सिंह–

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि उत्तर प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे के कितने परिवार हैं और दूसरी बात कि जो सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य है क्या वह वित्तीय वर्ष 2005-06 में है ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, पहले सामुदायिक महिला काम्प्लेक्स के नाम से योजना थी उसको भारत सरकार ने रोक दिया था, क्योंकि भारत सरकार ने सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य निर्धारित किया था। उसमें राज्य सरकार ने बहुत अधिक मात्रा में धन देकर इस चालू वित्तीय वर्ष में रखा है।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा–

मान्यवर, 1500 रुपये में कोई शौचालय आसानी से नहीं बनता। क्या ग्राम प्रधान, ग्राम सभाओं का जो बजट आता है, क्या उस बजट को ध्यान में रखकर उनके लिए निर्देश दिये जा रहे हैं कि इतना पैसा आप लेकर सामुदायिक स्वच्छता केन्द्र, ग्राम सभाएं बनवायें ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, ग्राम पंचायतें स्वतंत्र हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार उनके पास राज्य वित्त, 11वां वित्त और विभिन्न किस्म के अनुदान दिये जाते हैं। यह उनके विवेक पर निर्भर करता है कि वह किस अनुपात में कैसे लगाते हैं क्योंकि पंचायतों को स्वतंत्र रूप से इकाई मानकर कार्य करने के लिए निर्देश हैं।

प्रदेश में वन सम्पदा बढ़ाने हेतु शासन द्वारा अपनायी गयी नीति

*2–श्री राम करन आर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन सम्पदा बढ़ाने के लिए शासन द्वारा कोई नीति अपनाई गयी है ? यदि हां, तो क्या ? प्रदेश में कितना वन क्षेत्र है ? इस वर्ष वन क्षेत्र बढ़ाने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

जी हां, प्राकृतिक वनों के प्रबन्ध एवं वृक्षारोपण के माध्यम से वन सम्पदा बढ़ाये जाने के लिए राज्य वन नीति, 1998 बनायी गयी है। वनावरण एवं वृक्षावरण की वृद्धि हेतु वृक्षारोपण की योजनाएं मुख्यतया निम्न है :–

वन विकास अभिकरण के माध्यम से राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, सामाजिक वानिकी योजना, औद्योगिक एवं पल्पवुड वृक्षारोपण योजना, शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी, अवनत वनों का सुदृढ़ीकरण।

प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र 16826 वर्ग कि0 मी0 है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.0 प्रतिशत है। वनावरण 13,746 वर्ग कि0 मी0 है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 5.7 प्रतिशत है। वृक्षावरण 7,545 वर्ग कि0 मी0 है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.1 प्रतिशत है।

वनावरण एवं वृक्षावरण बढ़ाने हेतु बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 100 हजार हेक्टेयर वृक्षारोपण तथा 20 करोड़ पौध लगाने का लक्ष्य निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम करन आर्य–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने प्रदेश में पर्यावरण की जो स्थिति है उसको देखते हुए वन क्षेत्र में जो वृक्षारोपण हो रहे हैं उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसा कि इस जनप्रिय सरकार ने अपने आंकड़ों से और अंत में यह कहा है कि जो हमारी योजनाएं हैं उसके अन्तर्गत वृक्षारोपण बढ़ाने हेतु 100 हजार हेक्टेयर वृक्षारोपण तथा 20 करोड़ पौध लगाने का लक्ष्य है। तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जो किसान अपने खेतों में वृक्षारोपण कराना चाहता हो या जो भी वृक्षारोपण कराना चाहता हो, अपने खेत में या और संसाधन हैं, तो क्या सरकार उसके लिए मुफ्त पैसा और खाद उपलब्ध करायेगी ताकि पर्यावरण ठीक हो सके और वन क्षेत्र को बढ़ाया जा सके ?

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, किसान द्वारा जो उसकी कृषि योग्य भूमि है, अगर वह उस पर वृक्षारोपण कराना चाहता है तो इसके लिए प्रचलित योजना है और उस प्रचलित योजना के अन्तर्गत इस बात का प्रोत्साहन देते हैं ताकि किसान की भागीदारी के साथ सरकार की इस योजना में उसकी सहायता की जा सके।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसे वन विभाग के लोग अगर किसानों की जमीन लेते हैं तो वह पांच साल के लिए, तीन साल के लिए लेते हैं, उसके बाद वृक्ष लगाकर जायेंगे और छोड़ देंगे, तो इन पांच सालों में उनकी कमाई चली जाती है और वन विभाग के लोग उसका उपयोग करते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जो उनका कान्ट्रेक्ट है वन विभाग लगाये तो क्या किसानों के लिए यह सुविधा सरकार उपलब्ध करायेगी ?

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, किसानों की कोई भूमि वन विभाग के लोग नहीं लेते हैं। अगर वह वृक्षारोपण कराना चाहता है तो दो तरीके हैं--अगर वन आच्छादन कराना चाहता है तो उसके लिए दूसरी योजना है और वृक्षारोपण करके वन क्षेत्र बढ़ाना चाहता है तो वह भूमि किसान की रहेगी उसे वन विभाग कहीं नहीं ले जायेगा।

श्री देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह–

मान्यवर, इन्होंने अपने उत्तर में बताया कि अभिलिखित वन क्षेत्र 16826 वर्ग किमी0 है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.0 प्रतिशत है जबकि पर्यावरण संतुलन के लिए 33 प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले साल यह सात प्रतिशत से कितना कम था और अगले साल क्या हो सकता है ?

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो जिज्ञासा की है यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है लेकिन मैं उनको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि पिछले वर्ष का यह जानना चाहते हैं तो पिछले वर्ष का तात्पर्य यह है कि जो वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो रहा है, इस चालू वित्तीय वर्ष के लिए बताया है कि प्रदेश में 16826 वर्ग किमी0 है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.0 प्रतिशत है। जो अभिलिखित वन क्षेत्र कहा तो यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इसमें वह क्षेत्र है जो पहले से वनावरण है और उत्तर प्रदेश में अभिलिखित क्षेत्र में वनावरण और वृक्षारोपण दोनों को मिलाकर सात प्रतिशत है और यह सात प्रतिशत से बढ़े इसलिए वन योजना को लेकर आये हैं कि अगले वर्ष यह बढ़े। यह सही है कि उत्तर प्रदेश के बंटवारे के बाद, उत्तरांचल अलग होने के बाद हमारे जो वन का क्षेत्र है वह कम हो गया, लेकिन इसके लिए हम सचेत हैं और हम इसको मानिटरिंग करके इसे बढ़ाने की चेष्ट करेंगे।

प्रदेश में विद्युत आपूर्ति बढ़ाने हेतु उठाये गये कदम

*3–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत की आपूर्ति मांग के अनुरूप करने पर कितने धन की आवश्यकता है ? विद्युत की आपूर्ति बढ़ाने के लिये शार्ट टर्म योजना के तहत क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

प्रदेश में विद्युत की मांग 6500 मेगावाट से 7300 मेगावाट के बीच अलग-अलग समय घटती-बढ़ती रहती है। इसी प्रकार विद्युत की उपलब्धता भी मशीनों की उपलब्धता के अनुसार 4500 से 5000 मेगावाट के बीच घटती-बढ़ती रहती है। बिजली की दरें भी अलग-अलग है। अत: मांग के अनुसार आपूर्ति के लिए धन की आवश्यकता का आंकलन करना सम्भव नहीं है।

विद्युत आपूर्ति बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 420 मेगावाट का नया संयंत्र पारीछा में स्थापित किया जा रहा है तथा केन्द्रीय उपक्रमों से ऊर्जा क्रय के समझौते किये गये हैं। निजी क्षेत्र को भी ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए नयी ऊर्जा नीति में अनेकों सुविधाओं की घोषणा की गयी है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में दो छोटे सवाल पूछना चाहता हूं। मान्यवर, आप उत्तर देख लें कि उत्तर के पहले पैरा-ग्राफ की आखिरी लाईन है। अत: मांग के अनुसार आपूर्ति के लिए धन की आवश्यकता का आंकलन करना सम्भव नहीं है। मान्यवर, इस सरकार के पास माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर विद्युत विभाग के चपरासी तक हजारों कर्मचारी है, इसमें तकनीकी वाले भी हैं और एकाउन्ट वाले भी हैं। सामान्य से सामान्य व्यक्ति की भी यही जिज्ञासा रहती है कि बिजली नहीं आती है तो वह जानना चाहता है कि आखिर बिजली की दर कितने पैसे की है जो सरकार बिजली नहीं दे पा रही है। मान्यवर, मैंने कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछा है कि जिसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है। मान्यवर, जब यह स्पष्ट हो सकता है कि बिजली की मांग इतने मेगावाट है तो एक मेगावाट के ऊपर कितनी विद्युत खर्च हो रही है यह भी स्पष्ट हो सकता है, इसमें कोई ऐसी तकनीकी कठिनाई नहीं है जिसका उत्तर यह न दे सकें, इसका मतलब यह सरकार की अक्षमता है, अकर्मण्यता है और अयोग्यता है अगर वह प्रदेश की

जनता को यह नहीं बताना चाहती है कि प्रदेश में विद्युत की आपूर्ति मांग के अनुरूप करने पर कितने धन की आवश्यकता है ? मान्यवर, सरकार एन0 टी0 पी0 सी0 से बिजली खरीदती है तो उसके कुछ रेट निर्धारित होंगे, मान लिया उसने उससे सौ मेगावाट बिजली खरीदी तो उसे इसके लिए कितना पैसा देना पड़ता है ? मान्यवर, यह सरकार, निजी क्षेत्र को सुविधायें देकर संयन्त्र लगाने की बात करती है, अगर वह सुविधायें देते तो कई संयन्त्र और लग जाते। थर्मल पावर प्लान्ट, रोजा पिछले आठ साल से पड़ा है हम नहीं लगा पाए और इधर बैठ गए। आज लोगों की यह राय है कि यह लोकप्रिय सरकार सहयोग नहीं करती है इसलिए निजी क्षेत्र के लोग यहां संयन्त्र नहीं लगा पा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन सी सुविधाए हैं जिन्हें इस सरकार ने निजी क्षेत्र के लोगों को दी और बिरला वालों ने उन सुविधाओं को लेने से क्यों मना कर दिया ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, मेरे ख्याल से माननीय खन्ना जी जिन विभागों के मंत्री रहे उसमें आपकी योग्यता में ज्यादा इजाफा नहीं हो पाया, अगर हो जाता तो यह ऐसा प्रश्न हमसे नहीं करते।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

आज लोगों को बिजली नहीं उपलब्ध हो पा रही है, शायद इसीलिए लोगों ने अपने बच्चों का नाम बिजली रखना शुरू कर दिया है। मान्यवर, आज लोगों को बिजली देने के बजाय, 16-16 घण्टे, 22-22 घण्टे बिजली की कटौती की जा रही है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप उत्तर तो देने दीजिए।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, बड़ी खुशी की बात है कि खन्ना जी की शादी नहीं हुई है, लेकिन उन्हें बच्चों के बारे में अच्छा ज्ञान हो गया है। मान्यवर, प्रमोद जी ने जो इस बारे में प्रस्ताव रखा था तो हम चाहते थे कि अगर उस सम्बन्ध में कमेटी बना दी जाती तो अच्छा होता। मान्यवर, जवाब में साफ कहा गया है कि विद्युत की उपलब्धता घटती-बढ़ती रहती है और बिजली की उपलब्धता और मांग के अनुरूप ही हमें बिजली लेनी पड़ती है साथ ही विद्युत दर भी घटती-बढ़ती रहती है। सेण्ट्रल सेक्टर से जो हमें बिजली मिलती है, उसकी दर अलग है, उत्तर की अलग है, दक्षिण की अलग है, पीक ऑवर की दर अलग है। अगर पानी अच्छा गिर जाएगा तो डिमाण्ड घट-बढ़ जाएगी, मौसम अच्छा हो जाएगा तो डिमाण्ड घट-बढ़ जाएगी। मान्यवर, झूठ बोलने में हमारी सरकार विश्वास नहीं रखती है, इसलिए हमने इसका उत्तर घुमा-फिरा कर नहीं दिया, हमने बहुत साफ इसमें कहा है कि इतनी हमारी उत्पादकता है, इतनी हमारी डिमाण्ड है और यह सब अलग-अलग समय पर घटती-बढ़ती रहती है, इसमें समझ में न आने वाली क्या बात है। रही बात एक्चुअल फीगर की तो इस सम्बन्ध में एक्चुअल फीगर हमारे पास नहीं हैं।

मान्यवर, जो एन0 टी0 पी0 सी0 की बिजली मिलती है उसका एवरेज रेट उत्तर प्रदेश में दो रुपये प्रति यूनिट पड़ता है और जो हमारा उत्पादन है उसका एवरेज रेट एक रुपया सत्तर पैसे और एक रुपया अस्सी पैसे पड़ता है। मान्यवर, जो यह प्रश्न है कि कौन-कौन सी सुविधाएं हम निजी उद्यमियों को दे रहे हैं तो मुझे कहना है कि अभी नई ऊर्जा नीति आयी है। उसमें इसका उल्लेख है।

मान्यवर, दादरी में जो पावर प्लान्ट लगना है उसमें हमारी सरकार क्या-क्या सुविधाएं देगी इसका जिक्र आया था। मान्यवर, जो भी पावर प्लान्ट लगायेंगे उसमें राज्य सरकार उन्हें जमीन उपलब्ध करायेगी, हम सेल्स टैक्स और इन्ट्री टैक्स में उन्हें छूट देंगे यह घोषणाएं सरकार की ओर से हुई थी। मान्यवर, हम सब छूट देना चाहते हैं। रोजा पावर प्लान्ट के मामले में भी मुझे कहना है कि हमने कई बार आमंत्रित कर चुके हैं, मैं भी वहां गया था और उनसे कहा गया था कि आप रोजा में पावर प्लान्ट लगायें। राज्य सरकार जो सुविधाएं सबको दे रही है वह आपको भी देंगे। माननीय खन्ना जी, उनको लाएं और उनको सुविधा देने का जो चार्टर हो वह सामने रखें उस पर हम जरूर विचार करेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, आप देखें एक विभाग की मांग के सम्बन्ध में आप बता नही पाए हैं तो मेरा अनुरोध है कि इसे प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सुपुर्द करने का कष्ट करें। मान्यवर, जब हमारी 6500 से 7300 मेगावाट की मांग है तो कितना खर्चा आयेगा यह तो उत्तर देना चाहिए ? मान्यवर, सरकार की प्राथमिकता विद्युत की नहीं है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, जो राज्य का उत्पादन है उसकी जो दर है और जो एन0 टी0 पी0 सी0 की दर है उसको हमने बता दिया। उत्तरांचल राज्य को बना कर जो सस्ती बिजली उत्तर प्रदेश को मिल रही थी उससे वंचित करने के दोषी आप ही हैं। आपने प्रदेश का बटवारा कर दिया। आपने प्रदेश का अहित किया उत्तरांचल बनवा कर।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह तो उस समय मंत्री थे और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का उल्लंघन कर बात कर रहे हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, इनकी सरकार ने प्रदेश के साथ विश्वासघात किया था और आज यहां घड़ियाली आसूं बहा रहे हैं। उत्तरांचल को बना कर उत्तर प्रदेश को जो सस्ती बिजली मिल रही थी उससे उत्तर प्रदेश को अलग कर दिया । मान्यवर, मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। मैंने उस समय खुल कर विरोध किया था।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

आप सहमत नहीं थे, तो आपको मंत्री पद से उस समय इस्तीफा देना चाहिए था।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, आप उस सरकार को कोस रहे हैं जिस सरकार के आप खुद अंग रहे हैं। मान्यवर, इस प्रश्न का उत्तर चूँकि सही नहीं आया है और यह पूरा सदन इसके बारे में जानना चाहता है कि

इस प्रदेश में कितने पैसे की आवश्यकता है, मांग को पूरा करने के लिए तो इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित कर दें। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उस समय सामूहिक उत्तरदायित्व की जो व्यवस्था है उसका उल्लंघन किया और इस्तीफा नहीं दिया।

(डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाने पर)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

[x x x]

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, यह आपकी उदारता का नाजायज फायदा उठा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय बाजपेयी जी, आप बैठ जायं यह लिखा नहीं जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मुझे खेद है कि माननीय बाजपेयी जी पुराने सदस्य हैं और हमारे प्रश्नकर्ता सदस्य भी सरकार में मंत्री रहे हैं लेकिन आप देखें कि इस प्रश्न पर सवालात कम हुए हैं। इस विषय पर सुझाव ज्यादा आये हैं। मेरे ख्याल से आपकी उदारता का यह नाजायज फायदा उठाना है। मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न उठाकर 5 मिनट कम से कम सदन का समय खराब करना यह खेदजनक बात है। आपकी उदारता शिरोधार्य है लेकिन आपकी उदारता का नाजायज फायदा उठाया गया है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, आप मंत्री हैं और मंत्रिपरिषद की एक सामूहिक जिम्मेदारी है उस समय में मैं भी मंत्री था और नरेश जी भी मंत्री थे। उस समय विरोध में थे तो नोट आफ डिसेन्ट दे सकते थे।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, मैं जब तक उर्जा मंत्री रहा, उत्तर प्रदेश का एक भी हाइड्रो पावर स्टेशन उत्तरांचल राज्य को नहीं दिया जिस दिन मैं हटा उस दिन केन्द्र के गृह मंत्री और यहां के मुख्यमंत्री घोषणा नाथ सिंह ने बैठकर सारा प्रोजेक्ट उत्तरांचल राज्य को दे दिया। मैं उत्तरांचल को बांटने के विरोध में था और आज भी विरोध में हूं कि उत्तरांचल नहीं बनना चाहिए था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, अगर आपका नोट आफ डीसेन्ट होगा तो मैं इस्तीफा दे दूँगा नहीं तो ये इस्तीफा दें। मान्यवर, उसकी कैबिनेट की प्रोसीडिंग मंगा ली जाय।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, एक तत्कालीन सरकार के मंत्री अपनी सदस्यता से इस्तीफा देने की पेशकश कर रहे हैं। यह बहुत सीरियस बात है, यह गम्भीर मामला है कि एक माननीय सदस्य अपना इस्तीफा

नोटः--[x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

तक देना चाहते हैं और उनके इस कथन के समर्थन में तत्कालीन कैबिनेट का कोई सदस्य सांस लेने को तैयार नहीं है। ये राज्यमंत्री थे राज्य मंत्री को कैबिनेट में क्या हुआ, उसका पता नहीं होता, आपको भी पता नहीं, कैबिनेट की जो बात कह रहे हैं उसके समर्थन में कोई भी उस समय का मंत्री एक वाक्य भी बोलने को तैयार नहीं है इसलिए इतनी जोर से चीखने से पहले पीछे देख लें कि कोई और उस पर बोलने को तैयार है या नहीं, तब बोलें। मान्यवर, यह मेरे मित्र हैं इस सदन में दोनों सदस्य हैं इसलिए इतना ताव खाना ठीक नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, उत्तरांचल जब राज्य बना और कैबिनेट के सामने मामला आया तो उस समय नोट आफ डीसेन्ट नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप मूल प्रश्न पर आयें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मैं कह रहा हूँ कि नोट आफ डीसेन्ट नहीं आता है कैबिनेट में।

प्रदेश में नयी ऊर्जा परियोजनाओं की प्रगति

*4--श्री श्याम देव राय चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में ऊर्जा की कमी को पूरा करने हेतु कौन सी नई ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं तथा उनकी प्रगति क्या है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

राज्य में ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु निजी क्षेत्र में उत्पादन गृह लगाने के लिए निजी उद्यमियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। इस क्रम में अनपरा सी परियोजना (1000 मेगावाट) जिसकी अनुमानित लागत लगभग 3526 करोड़ रुपये है, को निजी क्षेत्र में स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह योजना वर्ष 2009 तक पूर्ण होने की आशा है।

गैस पर आधारित 3740 मेगावाट की एक विद्युत परियोजना रिलायंस एनर्जी द्वारा दादरी में स्थापित की जा रही है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश में एक-एक हजार मेगावाट की परियोजना स्थापित किये जाने हेतु बिड़ला व टाटा समूह ने भी अभिरुचि दिखाई है।

राज्य व केन्द्र सरकार के सहयोग से टिहरी (उत्तरांचल) में एक जल विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है जिससे इसी वित्तीय वर्ष में उत्पादन आरम्भ होने की संभावना है। इससे प्रदेश को 360 मेगावाट का अंश प्राप्त होगा।

इसी के साथ-साथ पारीछा में भी 420 मेगावाट की नई विद्युत उत्पादन इकाईयों की स्थापना की जा रही है।

निजी क्षेत्र के अन्तर्गत ही श्रीनगर व विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजनायें स्थापित की जा रही हैं, इनसे प्रदेश को 642 मेगावाट विद्युत अंश प्राप्त होगा।

उपरोक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त केन्द्रीय सेक्टर में स्थापित की जा रही परियोजनाओं में से प्रदेश को 626 मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा आगामी 2-3 वर्षों में प्राप्त होगी। इन प्रयासों से प्रदेश को आगामी 2-3 वर्षों में लगभग 3000 मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त होना सम्भावित है।

श्री श्याम देव राय चौधरी--

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रदेश की चिन्ता है, वह हम सभी की चिन्ता है और इसीलिये मैंने प्रश्न किया था कि कौन सी नई ऊर्जा परियोजनायें स्थापित की जा रही हैं और उनकी प्रगति क्या है ? जनता की रुचि और मेरी रुचि इनकी प्रगति से है, क्योंकि वर्तमान सरकार जब सत्ता में आई तो उसने घोषणा की थी कि आगामी 2-3 वर्षों के अन्दर हम मांग के अनुरूप बिजली उपलब्ध करायेंगे और वह भी 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से लोगों को बिजली उपलब्ध करायेंगे। स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार को कार्य करते हुये लगभग 18 महीने हो गये और उसने 18 महीने पूर्व यह बात कही थी कि 2-3 वर्षों में हम बिजली उपलब्ध करायेंगे। मान्यवर, इसीलिये मेरी प्रगति जानने की अपेक्षा है, उसके पीछे मंशा यही है कि 18 महीने बीत गये और 3 साल में अब 18 महीने या 15 महीने ही बचे हैं तो इस दिशा में प्रगति क्या है ? और इसके साथ ही मेरा एक वह भी अनुपूरक है कि यह जो सरकार ने अनुमान लगाया है कि 2-3 वर्षों में हम इतनी बिजली उपलब्ध करा देंगे, तो क्या इसका कोई समयबद्ध लक्ष्य रखा गया है ? अन्यथा सिर्फ घोषणा, घोषणा ही है, वह पूरी होनी नहीं है। तो क्या सरकार की कोई समयबद्ध घोषणा है और उस दिशा में क्या प्रगति है ? जो आपका वर्तमान कलकुलेशन है, उसके हिसाब से जब तक आप इसको पूरा करेंगे, तब तक बिजली की मांग कितनी बढ़ जायेगी, यह भी बताने की कृपा करें ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

श्रीमन्, इस वर्ष 2005-2006 जो शुरू होने वाला है, इस वित्तीय वर्ष में धौलगंगा प्रथम चरण में 258 मेगावाट, रिहन्द सुपर थर्मल में एक हजार मेगावाट, टिहरी हाइड्रो में एक हजार मेगावाट, विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना में 400 मेगावाट इस फाइनेन्शियल ईयर में उत्पादन शुरू होने वाला है, जिससे बिजली मिलना शुरू हो जायेगी। इसके बाद वर्ष 2006-2007 में ऊँचाहार तृतीय चरण में 210 मेगावाट, कहलगांव द्वितीय चरण में एक हजार मेगावाट, कहलगांव तृतीय चरण में 500 मेगावाट पर काम करना शुरू कर देंगे। यह तो इन दो वर्षों का है । इस बीच हमारे पारीछा में 210-210 मेगावाट की इकाई लग रही है, जिससे उत्पादन शुरू हो जावेगा। इस प्रकार 420 मेगावाट का उत्पादन इससे शुरू हो जायेगा। इसके अलावा आगामी 3 वर्ष में रिलायंस पावर स्टेशन लगा रहा है, वह 3 वर्ष में बिजली उत्पादन शुरू करेगा। अनपरा सी में भी उत्पादन शुरू कर देंगे, माननीय टण्डन जी को अनपरा सी के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान है। यह जो आगामी दो वर्ष की योजनायें थी, इनको मैंने आपके सामने रखा। इसके अलावा आपको यह भी बताना चाहूँगा कि प्रत्येक वर्ष 500 मेगावाट की डिमाण्ड बढ़ रही है। इस प्रकार जो उत्पादन लक्ष्य हमारा है, उस लक्ष्य से हम 3 वर्ष में जितना उत्पादन करेंगे, वह मांग के करीब-करीब होगा, जिससे हम प्रदेश के अन्दर अनवरत बिजली दे सकेंगे।

श्री राम इकबाल सिंह--

आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अनपरा सी पर सरकार ने कितना धन खर्च कर दिया है और क्या कारण है कि कुछ धन खर्च करने

के बाद जो पहले यह जापान द्वारा बनाई जानी थी, अब इसको किसी उद्योगपति या प्राइवेट सेक्टर को दिये जाने का विचार है, क्यों ऐसा विचार हुआ, यह मेरी उत्सुकता है, मैं इसे जानना चाहता हूँ ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

श्रीमन्, प्रश्न ऐसा किया गया है, अनपरा-सी के लिए जे0 बी0 सी0 ऋण देना चाहता था लेकिन उसे प्राथमिकता सूची में से समाप्त कर दिया गया था .....

नेता, विरोधीदल (श्री लालजी टण्डन)--

मान्यवर, सदन को गुमराह न किया जाए। पिछली सरकार में जब यह मंत्री थे, तब भी वह लोग यहां पर दौड़ते रहे कि काम शुरू करा दें और उन्होंने अनपरा-बी बनाया था, उन्हें तकनीक की जानकारी थी। वहां पर जो पानी और कोयले का प्लान्ट लगना था, वह लग चुका था। असली बात तो यही है कि जो प्लान्ट है, उनमें कई सौ करोड़ रुपए इधर से उधर करने में जो इकोनॉमी बनाई जा रही है, उसी के कारण यह अलग हुआ है। जापान की कम्पनी के लिए पिछली सरकार के समय में अनपरा पर रोक लगा दी गई थी, उसके बाद जब रोक खुली तो अनपरा चौथे नम्बर पर था और भारत सरकार से जो सूची गई थी उसमें मैंने उसे नम्बर-1 पर कराया था। मुख्य मंत्री ने कहा कि जब हमारे देश के लोग पैसा लगा रहे हैं तो हम विदेशियों को क्यों लगायें ? मान्यवर, उनका प्रोसेज पूरा हो चुका था, वह कल ही शुरू कर सकते थे, पहले की सैक्शन जारी है, आप समझा किसे रहे हैं। मान्यवर, जो केन्द्र सरकार के पर्यावरण विभाग और अन्य विभागों से एन0 ओ0 सी0 लेना होता है, उसी में बहुत लम्बा समय लग जाता है। आपने जिस दिन घोषणा की थी, यदि तभी जापान को दे दिया जाता तो अगली गर्मी तक 1000 मेगावाट बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित हो सकती थी। अभी आपको क्लियरेन्स ही नहीं मिला है, पावर परचेजेज नहीं हुआ है, इसलिए मान्यवर, मेरा निवेदन है कि मंत्री जी सदन को गुमराह न करें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, चूँकि गोपनीयता की शपथ खाई थी, इसलिए मैं कहना नहीं चाहता हूँ लेकिन यदि सदन अनुमति दे तो उन चीजों को मैं रख सकता हूँ। .....

श्री लाल जी टण्डन--

मान्यवर, अगर मंत्री जी स्वयं उस विभाग का रहा हो, अगर वह सारी हिदायतें जो दी गई हैं, यहां पर रखता है तो वह गोपनीयता भंग करने का पात्र होगा, और उसकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

श्रीमन्, मैंने तो पहले ही कहा कि मैंने गोपनीयता की शपथ खाई है, इसलिए मैं यहां पर नहीं रखना चाहता हूँ। मान्यवर, हुण्डई को क्यों रोका गया, उस समय जे0 बी0 सी0 पैसा खर्च करना चाहता था और उसके बाद जापान ने इसको प्राथमिकता से समाप्त कर दिया। मैंने प्रधान मंत्री से भी अनुरोध किया था कि वह इस मुद्दे पर जापान से विचार-विमर्श कर लें लेकिन जापान राजी नहीं हुआ था।

श्री लाल जी टण्डन--

जो सूची है, उसे पेश किया जाए , अगर उसमे पहले नम्बर पर जापान का नाम नहीं होगा तो मैं अपने शब्दों को वापस ले लूँगा।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

श्रीमन् भारत सरकार के प्रतिनिधि आप थे, मैं तो था नहीं। मैं तो केवल सत्यता बता रहा हूं, भारत सरकार की सूची की प्राथमिकता में अनपरा-सी का नाम नहीं गया था बल्कि अनपरा-सी को चौथे नम्बर पर रखा गया था, इसके लिए चाहे तो सदन में रिकार्ड मंगा लिये जाएं और तत्कालीन प्रधान मंत्री के विजिट के पहले जो लिस्ट गई थी, उसे पेश किया जाए। ऐसा नहीं है, हम तो निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इसको लगाने के लिए एक कदम आगे बढ़े हैं। हमने आर0 एफ0 क्यू0 मंगा लिया है और आर0 एफ0 पी0 मांगे जा रहे हैं। आपको तो हमारे कदम की सराहना करनी चाहिए, टण्डन जी आप आलोचना कर रहे हैं। आपको तो उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में सहयोग देना चाहिए जबकि आप उत्तर प्रदेश की सरकार को गिराने में सहयोग दे रहे हैं।

श्री लालजी टण्डन–

यह आजादी आपको कहां मिल गयी कि जो चाहो कर डालो। सरकार में आने के बाद किसी चीज को तर्क पर रखिये, आप यह उत्तर देंगे ? तो मुख्य मंत्री जी ही बता पायेंगे, आप नहीं बता पायेंगे ? मनेरी भाली, विष्णु प्रयाग, श्रीनगर ये परियोजनायें उस समय हमने प्राईवेट क्षेत्र में दी थी। यह रिकार्ड में होगा, प्रोसीडिंग में होगा। जिस समय मुख्य मंत्री जी पहली बार नेता सदन हुए तो कहा था कि यह अनुभव है कि प्राईवेट में लोग अपने शेयर बढ़ा लेते हैं। इस तरह समझौता करके वह वर्षों कार्य नहीं करते हैं, उदाहरण है--विष्णु प्रयाग। वर्ष 1991 में समझौता हो गया, आज वर्ष 2005 है, क्या प्रगति हुई ? क्यों नहीं वहां से पावर मिल रहा है ? हमने क्या उत्तरांचल सरकार के साथ बैठ करके उसकी समीक्षा की। उत्तरांचल में जितने भी पावर हाऊस लग रहे हैं, सब में हमारा शेयर है। क्या किसी ने उत्तरांचल सरकार के साथ बैठ करके वार्ता की, उसकी प्रगति के बारे में ? मेरा तो यह कहना है कि कहीं कुछ हो नहीं रहा है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं उस बहस में नहीं जा रहा हूं कि किसकी गल्ती रही और कौन चैम्पियन रहा। लेकिन मा0 नेता विरोधी दल की बातों से इस नतीजे पर जरूर पहुंचा हूं कि यह सही है कि कैबिनेट के तमाम सदस्य एक सामूहिक उत्तरदायित्व से बंधे होते हैं। हमारा तजुर्बा है कि यदि सम्बन्धित मंत्री किसी बात की वकालत करता है और कैबिनेट में कोई चीज डिस्कस होती है, तो अगर दूसरे मंत्रीगण और मुख्य मंत्री जी सहमत नहीं है तो उस मुद्दे को ड्राप कर दिया जाता है। अगर एक प्रतिशत यह मान लिया जाए कि जिस चीज को नकार दिया गया है, विद्युत मंत्री जो की मंशा न रही हो, जिस समय मंत्रि परिषद् में बैठे हुए यह वरिष्ठ मंत्री थे और आज नेता विरोधी दल हैं तो उनका भी दायित्व था कि वह अपने रसूख का इस्तेमाल करके सही बात को मनवा सके। चुनांचे अब अगर सरकार उस काम को पूरा करना चाहती है तो उसमें सहयोग आपका रहा भी है और आगे भी रहेगा।

श्री लालजी टण्डन–

यह विषय कब लाये ? यह तो कभी विवाद का विषय रहा ही नहीं सीट बदल जाने से विचार भी बदल जाते हैं और अपने सारे कार्यों को भी लोग बदल देते हैं लेकिन मैं उन लोगों में नहीं हूं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल

मान्यवर, मैं सिर्फ सत्यता रखना चाहता हूं। आदरणीय टण्डन जी को सब मालूम है।

श्री मोहम्मद आजम खां

मान्यवर, "तर्ज तहरीर और मकालात बदल जाते हैं,
दिल बदलता है, ख्यालात बदल जाते हैं।
काश ऐ दोस्त कभी तूने ये सोचा होता,
बात ही बात में हालात बदल जाते हैं।"

एन0 टी0 पी0 सी0, रेलवे बोर्ड कोल अथारिटी आफ इण्डिया तथा इन्डियन आयल कारपोरेशन की उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम पर भुगतान हेतु बकाया धनराशि

*5--डा0 सुशील चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एन0 टी0 पी0 सी0, रेलवे बोर्ड, कोल अथारिटी आफ इण्डिया तथा इन्डियन आयल कारपोरेशन की उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम पर वर्तमान में कुल कितनी धनराशि भुगतान हेतु बकाया है ? क्या यह सही है कि उपरोक्त धनराशि का भुगतान न होने के कारण उत्पादन प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार उक्त धनराशि की अदायगी हेतु क्या उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

एन0 टी0पी0 सी0, रेलवे बोर्ड, कोल आथारिटी आफ इण्डिया तथा आयल कारपोरेशन का वर्तमान में कोई बकाया धनराशि उत्पादन निगम लि0 पर देय नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 सुशील चौधरी--

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के उत्तर से यह स्पष्ट हो रहा है कि कोई कर्ज नहीं रहा है। लेकिन अखबारों में जो रोजाना खबर आती है। एन0 टी0 पी0 सी0 और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से जो बिजली खरीदी जा रही है उसका कितना धन उत्तर प्रदेश सरकार पर बकाया है ? इसलिए इनकी बिजली काटी जा रही है। मंत्री जी ने उत्पादन निगम के बारे में बताया में पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार पर एन0टी0पी0सी0 और केन्द्र सरकार का कितना पैसा बकाया है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मैंने उत्तर में बहुत साफ कह दिया कि उत्पादन निगम का नहीं पावर कारपोरेशन पर क्योंकि पावर कारपोरेशन बिजली खरीदता है कोई पैसा बकाया नहीं है। हम जितनी बिजली खरीद रहे हैं उसका नियमानुसार एग्रीमेंट के हिसाब से 60 दिन के अन्दर भुगतान कर रहे हैं। यह भुगतान पावर कारपोरेशन कर रहा है। मैं अखबारों में छपी बातों की बात नहीं कर रहा हूँ। अखबारों में तो कभी लिखा होता है कि भाजपा और कांग्रेस में गुप्त समझौता हो गया है कभी लिखा होता है कि कांग्रेस और बसपा में समझौता हो गया है और सरकार गिर जायेगी। तो अखबारों में तो कुछ भी लिख दिया जाता है। वस्तुस्थिति यह है कि न ही उत्तर प्रदेश सरकार पर न ही पावर कारपोरेशन पर एन0टी0पी0सी0 का कोई पैसा बकाया है।

श्री प्रमोद कुमार--

अध्यक्ष महोदय, मैं ऊर्जा मंत्री जी से प्रश्न पूछने से पहले एक साधारण सी बात कहना चाहता हूँ। अखबारों में वह तो लिखा जाता है जो नहीं हो रहा होता है जो कुछ होता है वह नहीं लिखा जाता जैसे आप और भाजपा मिल गए लेकिन यह किसी अखबार में नहीं लिखा। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब एग्रीमेंट के हिसाब से कोल की सप्लाई आपको जारी है तो फिर उत्पादन में कमी क्यों आ रही है ?

(इस समय 12 बजकर 5 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

हमारी इंस्टाल्ड कैपेसिटी और उत्पादन क्षमता दोनों में बड़ा अन्तर है चूंकि हमारी मशीनें पुरानी हैं इस मारे पी0एल0एफ0 काफी कम है। हमको जितना कोयला आवश्यक है वह फीगर में आपको बताना चाहता हूँ। वर्ष 2002-2003 में हमने 1260 करोड़ का कोयला लिया और उसका पूरा भुगतान कर दिया गया। वर्ष 2003-2004 में हमने 1374.23 करोड़ का कोयला लिया और उसका पूरा भुगतान कर दिया गया। वर्ष 2004-2005 में हमने जनवरी तक 1325.70 करोड़ का कोयला लिया और उतने का भुगतान कर दिया। हमारा कोई पैसा कोयले का बाकी नहीं है। कोयले की कमी के मारे उत्पादन में कमी नहीं आ रही है यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ।

श्रम अधिनियमों में निरीक्षण की व्यवस्था पर शासन द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध पर नया कानून बनाने की मांग

*6--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रम अधिनियमों में निरीक्षण की व्यवस्था पर शासन ने दिनांक 29-8-2003 से प्रतिबन्ध लगा दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई नया कानून बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है तथा उसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

श्रम मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)--

जी हां।

प्रदेश में निवेशोन्मुखी एवं उद्योगपरक वातावरण सृजित करने तथा उद्योगों को अनावश्यक हस्तक्षेप से मुक्त करने हेतु और औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए उक्त प्रतिबन्ध लगाया गया था। श्रमिकों के हितों को संरक्षित करने तथा विभिन्न ट्रेड यूनियनों द्वारा श्रमिकों के शोषण की विभिन्न शिकायतें उपलब्ध होने के कारण एवं श्रम अधिनियमों के विभिन्न प्राविधानों के अनिवार्य प्रवर्तन के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश दि0 29-8-2003 को अवक्रामित करते हुए कतिपय प्रतिबन्धों के साथ शासनादेश संख्या 3312/36-3-2004-11/99 टी0 सी0, दि0 14-12-2004 द्वारा श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षण की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने जो बताया है और मैं समझता हूँ कि सरकार ने और मंत्री जी ने विचार करके प्रदेश में निवेशोन्मुखी एवं उद्योगपरक वातावरण

सृजित करने हेतु और औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिये उक्त प्रतिबन्ध लगाया था। इस प्रतिबन्ध को लगाये हुए डेढ़ वर्ष हो गये हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यदि विचार-विमर्श करके सरकार ने यह प्रतिबन्ध लगाया है तो प्रतिबन्ध लगने के बाद कितना निवेश हुआ है ? कितने नये उद्योग लगे हैं और औद्योगीकरण को इससे कितना बढ़ावा मिला है।

श्री अध्यक्ष--

आप निवेश के बारे में पूछ रहे हैं और यह श्रम विभाग से संबंधित नहीं है। मंत्री जी उत्तर दे सकते हैं तो दें।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, उत्तर दिया गया है इसलिये पूछ रहे हैं। मान्यवर जिस मिशन मोटिव से लगाया उसका कुछ परिणाम निकला कि नहीं ?

डा0 वकार अहमद शाह--

मान्यवर, गौर साहब बड़े विद्वान सदस्य हैं, इनको मालूम है कि श्रम विभाग की पूँजीपतियों के साथ कोई ऐसी बात न हो जिससे उनका अपमान हो इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी, और सरकार ने विचार करके खास तौर से इन्सपेक्टर राज समाप्त किया है। मान्यवर कुछ अनिवार्य चीजें हैं जिनकी साल में जांच होती है इसलिये प्रतिबन्ध लगाया गया। आपकी जानकारी के लिये बता दूँ कि त्रिवेणी ग्लास इलाहाबाद और डंकन जो कि कानपुर में हैं, यह खोले गये हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी की नीति से बहुत ही जल्दी और भी जो बन्द पड़े हुए कारखाने हैं उनको भी जल्द खोला जायेगा और इनको खुलने से नयी दिशा मिल रही है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर मैं यह जानना चाहता हूँ कि कतिपय प्रतिबन्धों के साथ उस शासनादेश में संशोधन किया गया है। वह कतिपय प्रतिबन्ध क्या है ? बाल श्रमिकों के कारखानों में काम करने पर प्रतिबन्ध है, क्या इसके बारे में भी सरकार ने विचार किया है ?

डा0 वकार अहमद शाह--

कतिपय प्रतिबन्ध यह है कि प्राधिकृत अधिकारी अपने एक स्तर ऊँचे अधिकारी के साथ जांच करने के लिये जायेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे कारखानों के अधिनियम हैं जिसमें साल में एक बार निरीक्षण होना जरूरी है। जैसे बॉयलर की जांच होनी चाहिए। बाल श्रमिक जो खतरनाक कारखानों में काम कर रहे हैं। यह सब जांच होती है।

प्रदेश में बिजली के तार की चोरी को रोकने हेतु विचार

*7--श्री बीजू पटनायक--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में बिजली के तार एवं बिजली की चोरी रोकने के लिए भूमिगत बिजली के तार लगाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसे कब तक लागू किया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भूमिगत केबिल बिछाने का कार्य बहुत ही खर्चीला है। अत: इसे वर्तमान में लागू किए जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

श्री बीजू पटनायक--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि हमारी सरकार वचनबद्ध है कि उत्तर प्रदेश को वह उत्तम प्रदेश बनाना चाहती है, किसानों और शहरी लोगों को हम बिजली देंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि अंडरग्राउन्ड तार डालने के लिये कितना खर्च होगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मुझे बड़ी खुशी है कि बीजू पटनायक जी ने यह प्रश्न पूछा। कुछ जानने की इच्छा जाहिर की। मैं उनकी अधूरी बात को पूरा कर देना चाहता हूँ कि तीन तरीके की लाइन होती है। 33 के0 वी0, 11 के0वी0 और एल0टी0। आपने टोटल पूछा है इसे मारे बता देना चाहता हूँ ताकि भविष्य में ज्ञान रहे। पूरे सदन के ज्ञान के लिये बता देना चाहता हूँ। 33 के0 वी0 की उत्तर प्रदेश में जो लाइन है करीब 27,740 किलोमीटर लम्बी है। 11 के0वी0 एक लाख 96 हजार किलोमीटर लम्बी है। आखिर में जो लाइन होती है वह एल0 टी0 लाइन होती है यह 23 लाख 46 हजार 24 किलोमीटर लम्बी है पूरे प्रदेश में 33 के0 बी0 ओवर हैड रखने की बात है इसमें साढ़े चार लाख रुपये का खर्चा आता है। अण्डर ग्राउन्ड में 18 लाख प्रति किलोमीटर का खर्चा आएगा। इसी तरह से 1 किलोमीटर ओवर हैड पर डेढ़ लाख के करीब खर्चा आएगा। अण्डर ग्राउन्ड में 6 से 12 लाख प्रति किलोमीटर का खर्चा आएगा। एल0 टी0 लाइन में 1.04 लाख प्रति किलोमीटर का खर्चा आएगा और अण्डर ग्राउन्ड में साढ़े 8 लाख प्रति किलोमीटर का खर्चा आएगा। करीब चार-पांच गुना ज्यादा खर्चा आएगा। हमने यह प्रक्रिया शुरू की है कि लखनऊ में अण्डर ग्राउन्ड शुरू करें इसके लिए विश्व बैंक से ऋण लिया है इसमें कई टेण्डर हुए हैं। कई क्षेत्रों को अण्डर ग्राउन्ड करने के लिए लिया गया है। क्योंकि धन नहीं है इसलिए निजी क्षेत्र में बिजली कम्पनियों को ले जा रहे हैं। निजी क्षेत्रों में इसको किस तरह से लाएं, इस पर सरकार विचार कर रही है। इसमें सरकार निर्णय करेगी। शहरी क्षेत्रों में किस तरह इसकी शुरूवात की जाए।

श्री सतीश महाना--

मैं पूछना चाहता हूँ कि जिसको लाइन लॉस कहते है, विद्युत चोरी कहते हैं प्रति वर्ष जितनी विद्युत चोरी होती है उससे कम अण्डर ग्राउन्ड करने में खर्चा आता है। इस संबंध में मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री सतीश महाना--

आप सिफारिश कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां--

इनका बिजली चोर से खास वास्ता है तजुर्बे हैं।

श्री सतीश महाना--

मेरा आजम साहब से खास वास्ता है ।

व्यापार-कर अधिकरण के कर्मचारियों को व्यापार-कर विभाग से स्वेच्छा से प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर लिये जाने की मांग

*8--श्री जगदीश नारायण राय--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि व्यापार-कर अधिकरण के कर्मचारियों की व्यापार-कर विभाग में स्वेच्छा से प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर लिया जाता है ? क्या यह सही है कि 50 प्रतिशत पदों पर व्यापार-कर विभाग से अधिकारी व्यापार-कर अधिकरण में पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर लिये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार व्यापार-कर अधिकरण के कर्मचारियों को भी व्यापार-कर विभाग में स्वेच्छा से सेवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने का प्राविधान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

जी नहीं।

व्यापार-कर अधिकरण में अध्यक्ष के पद के अतिरिक्त सदस्यों के कुल 31 पद सृजित है, जिनमें से 16 पदों पर व्यापार-कर विभाग के अधिकारियों को पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। इसके अतिरिक्त व्यापार-कर अधिकरण के निबंधक का पद व्यापार-कर विभाग का संवर्गीय पद है और जिस पर डिप्टी कमिश्नर व्यापार-कर स्तर के अधिकारी की तैनाती की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

व्यापार कर अधिकरण, व्यापार-कर विभाग से एक पृथक विभाग है। अतएव व्यापार-कर अधिकरण के कर्मचारियों को व्यापार-कर विभाग में सेवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने का औचित्य नहीं है।

उ0 प्र0 राज्य परिवहन निगम की वातानुकूलित/स्लीपर बसों में मा0 सदस्यों एवं पूर्व मा0 सदस्यों को नि:शुल्क यात्रा सुविधा की मांग

*9--श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (अनुपस्थित)--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य परिवहन निगम की वातानुकूलित व स्लीपर बसों में सदस्य एवं पूर्व सदस्यों के लिये स्थान आरक्षित करके नि:शुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

उ0 प्र0 राज्य परिवहन निगम द्वारा उ0 प्र0 विधान सभा/विधान परिषद के मा0 सदस्यों एवं भूतपूर्व मा0 सदस्यों को समस्त श्रेणी की बसों में सीट आरक्षित रखकर, उनको नि:शुल्क यात्रा सुविधा अनवतरत प्रदान की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

(श्री अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 9 पुकारे जाने तथा प्रश्नकर्ता के अनुपस्थित होने पर)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

विधायकों से संबंधित प्रश्न है। मैं कहना चाहता हूँ कि परिवहन निगम की बस में विधायकों को एक सीट मिलती है सहवर्ती का किराया मिलता है मैं घोषणा करना चाहता हूँ....

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य तो हैं नहीं।

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 में नि:शक्तता (इन्जरी पेंशन) पेंशन राशि को बढ़ाने की मांग

*10--श्री प्रेम सिंह दरोगा--

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि सेवाकाल में ड्यूटी के दौरान जोखिम पूर्ण कार्य करते समय दुर्घटना में हुए विकलांग कर्मकारों एवं कर्मचारियों को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के तहत देय नि:शक्तता (इन्जरी पेंशन) के अन्तर्गत क्या वर्तमान में मात्र दो सौ रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान उपभोक्ता सूचकांक एवं महंगाई को देखते हुए यह पेंशन राशि बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 वकार अहमद शाह--

जी नहीं।

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 में नि:शक्तता (इन्जरी पेंशन) का प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ के ग्रामीण अंचलों में नियमित बिजली आपूर्ति की मांग

*11--प्रो0 रवीन्द्र पुण्डीर (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के ग्रामीण अंचलों एवं शहर में कितने-कितने घण्टे बिजली की आपूर्ति की जा रही है ? क्या यह सही है कि मेरठ के ग्रामीण अंचलों में दो-दो, तीन-तीन दिनों तक बिजली आपूर्ति न किये जाने के कारण किसानों का कृषि कार्य बाधित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण अंचलों में नियमित रूप से बिजली आपूर्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जनपद मेरठ में विगत छ: माह में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र को प्रतिदिन औसतन निम्नवत् घंटे विद्युत आपूर्ति की गयी है :--

ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
9:29	18:59

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ऐसी स्थिति प्राय: नहीं आती है केवल लाइन तार चोरी, आकस्मिक ब्रेकडाउन जैसे अपरिहार्य कारणों से ही विद्युत आपूर्ति बाधित होती है।

नोट :--तारांकित प्रश्न संख्या 11 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

अतारांकित प्रश्न

यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत 220 एवं 132 के0 वी0 उपकेन्द्र कैन्ट, इलाहाबाद व पट्टी, प्रतापगढ़ में किये गये करोड़ों रुपये के घोटाले की सी0 बी0 आई0 से जांच कराने की मांग

1--श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत 220 के0 वी0 उपकेन्द्र, कैन्ट, इलाहाबाद एवं 132 के0 वी0 उपकेन्द्र पट्टी, प्रतापगढ़ के निर्माण में करोड़ों रुपये के घोटाले की सी0 बी0 आई0 जांच सम्बन्धी मा0 मिथिलेश नारायण, एम0 एल0 सी0 का पत्र दिनांक 22-5-2004 जो कि मुख्य मंत्री एवं अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक, यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है। यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

महाप्रबन्धक (जनपद) पारेषण लखनऊ से जांच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट, बुन्देलखण्ड विकास निधि धन से स्वीकृति सिंचाई नलकूपों को विद्युतीकृत करके चालू कराने की मांग

2--श्री आर0 के0 सिंह पटेल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चित्रकूट में बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलांश) वर्ष 2002-2003 में धन से स्वीकृत सिंचाई नलकूपों को विद्युतीकृत करके चालू कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त नलकूपों को कब तक चालू कर दिया जायेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

बुन्देलखण्ड विकास निधि (2002-03) की धनराशि दिसम्बर, 2004 में विद्युत वितरण खण्ड चित्रकूट को प्राप्त हुआ है। इस कार्य के लिए आवश्यक सामग्री के प्रबन्ध की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जायेंगे।

जनपद महराजगंज/सिसवा नगर पंचायत स्थित विद्युत सब स्टेशन के जीर्णोद्धार का विचाराधीन मामला

3--श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिवबाबू--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-महाराजगंज की सिसवा नगर पंचायत के अन्तर्गत स्थित विद्युत सब स्टेशन के जीर्णोद्धार किये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति प्राप्त हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

33 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र सिसवा बाजार के कन्ट्रोल रूम की मरम्मत, स्विच यार्ड के फेंन्सिंग की मरम्मत तथा स्विच गियर बदलने हेतु रुपये 20.00 लाख की एक कार्य योजना की संरचना की गयी है।

किसी भी योजना के कार्य वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के अनुसार कराये जाते हैं। पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो जाने पर योजना की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा अत: समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला रायबरेली के ग्राम प्रधान/डी0 पी0 आर0 ओ0 के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

4--अमरजीत सिंह जनसेवक--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम प्रधान, ग्राम व पोस्ट सेहगों, पश्चिम ब्लाक बछरांवा, तहसील महराजगंज, जिला-रायबरेली के ग्राम प्रधान तथा डी0 पी0 आर0 ओ0, रायबरेली के विरुद्ध भ्रष्टाचार व गबन की शिकायत के संदर्भ में श्री रामपाल रावत व अन्य ग्रामवासियों का पत्र दिनांक 22 नवम्बर, 2004 जिलाधिकारी, रायबरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव--

श्री राम पाल रावत व अन्य का हस्ताक्षरित शिकायती-पत्र दिनांक 22-11-2004 प्राप्त हुआ है जो प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत-सेहगों पश्चिम विकास खण्ड-बछरावां के विरुद्ध था जिसमें डी0 पी0 आर0 ओ0 के विरुद्ध कोई भी शिकायत नहीं है।

जिलाधिकारी द्वारा शिकायती पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी, रायबरेली को जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

सेवायोजन निदेशालय, उ0 प्र0 लखनऊ के सेवा-निवृत्त श्री सुरेश चन्द्र पाल के पेंशन व समस्त देयों के भुगतान की जानकारी

5--श्री सुन्दर लाल--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुरेश चन्द्र पाल, उप प्रधानाचार्य, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ जो दिनांक 30-09-2001 को सेवानिवृत्त हुये थे ? क्या उन्हें समस्त देयों तथा पेंशन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो उनके सभी देयों का भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

डा0 वकार अहमद शाह--

श्री सुरेश चन्द्र पाल, जो कार्यशाला अधीक्षक के पद से दिनांक 30-9-2001 को सेवानिवृत्त हुये थे के जी0 पी0 एफ0, अवकाश नकदीकरण, ग्रुप इन्श्युरेन्स, मंहगाई भत्ता के एरियर एवं तीन माह की अनन्तिम पेन्शन का भुगतान कर दिया गया है।

श्री पाल द्वारा अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उनके समस्त शेष देयों का भुगतान किया जा सकेगा।

सेवायोजन कार्यालय के श्री विजय कुमार यादव, कनिष्ठ लिपिक को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा मिले आदेशों के अनुपालन किये जाने विषयक पत्र

6--डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने श्री विजय कुमार यादव, कनिष्ठ लिपिक, क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के आवेदन-पत्र संख्या 803/एल0एन0-200 दिनांक 9-11-2004 के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कराने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो क्या मा0 उच्च न्यायालय के दिनांक 16-4-2004 के उपरोक्त विषयक सभी सम-प्रभावी आदेशों का अनुपालन किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 वकार अहमद शाह--

जी नहीं।

श्री विजय कुमार यादव के आवेदन पत्र पर दिनांक 9-11-2004 के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कराने का आदेश दिया था।

प्रकरण विचाराधीन है।

मोहल्ला अम्बेडकरनगर दलित बस्ती से बिजली की स्ट्रीट लाइट उतारने की जांच

7--श्री मुंशी लाल गौतम--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर मा0 मुख्य मंत्री विधायक प्रकोष्ठ का पत्र संख्या-सी0 एम0/वि0को0/एम-109271/2004, दिनांक 8-9-2004 जोकि मोहल्ला अम्बेडकर नगर दलित बस्ती से बिजली की स्ट्रीट लाइट उतारने की जांच के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

प्रबंध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ के माध्यम से जांच करायी जा रही है।

जांच आख्या प्रतीक्षित है। जिसके प्राप्त होने पर प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

बुलन्दशहर स्थित सहकारी कताई मिल को लीज पर चलाये जाने की मांग

8--श्री मुंशी लाल गौतम--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के [illegible] सं0-2077/77-1-2004-6 (वि0 स0)/04, दिनांक 19 अक्टूबर, 2004 द्वारा सहकारी कताई मिल, सहकारी नगर बुलन्दशहर को लीज पर चलाये जाने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त मिल को लीज पर चलाने की व्यवस्था कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं। मा0 प्रश्नकर्ता सदस्य को संबोधित इंगित पत्र दिनांक 19-10-2004 में वस्तुत: बुलन्दशेहर स्थित बंद सहकारी कताई मिल को लीज पर चलाये जाने की संभावना की तलाश किये जाने का उल्लेख है। मिल के विधिक रूप से बंद हो जाने एवं मिल में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी0 आर0 एस0) लागू हो जाने के फलस्वरूप इसे जाब वर्क/लीज पर पुन: चलाये जाने की स्थिति में कोई सार्थक लाभ न होने की दृष्टि से शासन स्तर पर की गयी समीक्षा में मा0 न्यायालय से अनुमति लेकर इसका निजीकरण/बिक्रय किया जाना उपयुक्त समझा गया है।

जिला सुल्तानपुर/तहसील सदर में प्रधान, उपप्रधान, बहुउद्देशीय कर्मी तथा सचिव द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताओं की जांच

9--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत घुसियरिया विकास खण्ड कुड़वार तहसील सदर जिला-सुल्तानपुर में प्रधान, उप प्रधान, बहुउद्देशीय कर्मी तथा सचिव द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताओं की जांच वर्ष 2003 में उप निबन्धक सहकारिता द्वारा की गयी थी ? क्या जांच में तीन लाख 10 हजार 196 रुपये क़ा गबन पाया गया है ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव--

जी हां।

जांच में रु0 3,10,196/- नहीं बल्कि रु0 3,10,643/- में से अधिकांश धनराशि का दुरुपयोग किया जाना पाया गया।

जांच से दोषी पाये गये ग्राम प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (मूल पद गन्ना पर्यवेक्षक) के विरुद्ध कार्यवाही हेतु उप गन्ना आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद को निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर, पंचायत विभाग में चार पहिया वाहनों को ठीक कराने की मांग

10--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद के पंचायत विभाग में कितने चार पहिये के वाहन हैं, उनमें से कितने खराब है ? क्या पंचायत विभाग को वाहन उपलब्ध कराने तथा सभी खराब वाहनों को ठीक कराने की व्यवस्था करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव--

जी हां। जनपद शाहजहांपुर में जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में एक जीप तथा जिला पंचायत शाहजहांपुर में तीन वाहन हैं।

जिला पंचायत शाहजहांपुर का एक वाहन निष्प्रयोज्य है।

खराब/निष्प्रयोज्य वाहन को ठीक कराने या बदलने की कार्यवाही जिला पंचायत द्वारा स्वयं अपने संसाधनों से की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

11--श्री फतेह बहादुर सिंह--

[उसके लिये के अता0 प्र0 सं0 120 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद महराजगंज एवं गोरखपुर की तहसील फरेन्दा एवं कैम्पियरगंज में 16 (सोलह) घण्टे विद्युत आपूर्ति की मांग

12--श्री फतेह बहादुर सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील-कैम्पियरगंज, टाउन एरिया-पीपीगंज, जनपद-गोरखपुर एवं विकास खण्ड-पनियरा, जनपद-महराजगंज में विद्युत आपूर्ति मात्र 10 घण्टे की जाती है ? क्या यह सही है कि उसी फीडर से तहसील-फरेन्दा (आनन्दनगर), जनपद-महराजगंज में विद्युत आपूर्ति 16 घण्टे की जाती है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त टाउन एरिया तथा विकास खण्ड पनियरा में भी 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता कम होने के कारण।

जनपद बिजनौर में अवैध रूप से संचालित जीपों, बसों तथा अन्य अवैध वाहनों के दुर्घटनाओं को रोकने हेतु कार्य योजना

13--कै0 भारतेन्द्र सिंह--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-बिजनौर में कितनी जीपें, बसें व अन्य वाहन अवैध रूप से संचालित कर निर्धारित संख्या से अधिक सवारी ढो रहे हैं, जिससे दुर्घटनाएं हो रही है ? क्या सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

जनपद बिजनौर में संचालित जीपों, मैक्सीकैब, बसों व अन्य वाहनों की माह अप्रैल, 2004 से जनवरी, 2005 तक की अवधि में की गयी जांच के दौरान 58 वाहनें अनधिकृत रूप से संचालित पायी गयीं जिनके विरुद्ध धारा 207 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। उक्त अवधि में ही निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी ढोने के लिए ओवरलोडिंग के अभियोग में 52 यात्री वाहनों का चालान किया गया। इस प्रकार अनधिकृत संचालन और ओवरलोडिंग के अभियोग में रु0 4,23,250.- प्रशमन शुल्क के रूप में वसूल किया गया। बिजनौर में ओवरलोडिंग के कारण कोई सामने प्रकाश में नहीं आया है।

अनधिकृत रूप से बिना परमिट एवं ओवरलोडिंग के संचालन पर रोक लगाये जाने हेतु नियमित प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा चेकिंग की जाती है। तथा समय-समय पर विशेष अभियान भी चलाये जाते हैं।

जनपद फतेहपुर बिन्दकी विधान सभा क्षेत्र में चयनित पांच गांवों का विद्युतीकरण

14--श्री अमरजीत सिंह जनसेवक--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिन्दकी विधान सभा क्षेत्र, जनपद-फतेहपुर में ऊर्जीकरण हेतु चयनित पांच गांवों को क्या संतृप्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो उन्हें कब तक संतृप्त कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

चयनित पांच ग्रामों में से चार ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया गया है।

शेष एक ग्राम का विद्युतीकरण दिनांक 31-3-2005 तक पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

किसानों को वृक्षारोपण करने हेतु प्रोत्साहन के लिये योजना

15--श्री राम करन आर्य--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार किसानों को वृक्षारोपण करने हेतु प्रोत्साहन के लिए सब्सीडी दे रही है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं, परन्तु अपवाद स्वरूप रायबरेली जनपद में केन्द्र सरकार द्वारा पोषित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत निजी भूमि पर वृक्षारोपण की कार्यवाही की जा रही है।

वित्तीय संसाधन की कठिनाई को देखते हुए किसानों को वृक्षारोपण हेतु विभाग द्वारा तकनीकी जानकारी देकर वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

जनपद अम्बेडकर नगर, तहसील अकबरपुर भीटी में विद्युत चोरी

16--श्री मुकुट बिहारी वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-अम्बेडकर नगर की तहसील अकबरपुर विकास क्षेत्र भीटी के विद्युत वितरण उपकेन्द्र महरुआ के अन्तर्गत ग्राम पमोली में स्थित नलकूप कुछ लोगों द्वारा पिछले दस सालों से विद्युत चोरी कर चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार मामले की जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं। तहसील अकबरपुर विकास खण्ड भीटी में 33/11 के0 वी0 उपकेन्द्र है परन्तु ग्राम पमोली को विद्युत आपूर्ति 33/11 विद्युत उपकेन्द्र बाकरगंज से होती है। इस ग्राम के श्री राममिलन सिंह पुत्र श्री अंबिका सिंह के पम्पिंग सेट पर दिनांक 30-06-02 तक 1,13,000 रुपये बकाया था अतः कनेक्शन काट दी गयी थी। लेकिन दिनांक 18-02-05 को निरीक्षण करने पर पम्पिंग सेट चलता हुआ पाया गया।

श्री राममिलन पुत्र श्री अम्बिका सिंह के विरुद्ध विद्युत चोरी अधिनियम के अन्तर्गत विशेष न्यायालय में वाद दाखिल किया गया है।

इस प्रकार अनियमितता के लिए दोषी अवर अभियन्ता, जो 31-01-05 को सेवानिवृत्त हो गये हैं, के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु महाप्रबन्धक, फैजाबाद क्षेत्र को निदेश दे दिये गये हैं

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में हरे पेड़ों के काटने सम्बन्धी नियमावली की जानकारी

17--श्री जगदीश नारायण राय--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हरे पेड़ों के काटने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई नियमावली बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है तथा उसमें पुलिस का हस्तक्षेप किस स्तर तक है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

हरे पेड़ों के कटान को विनियमित करने के उद्देश्य से उ0 प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 प्रख्यापित है।

उक्त अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा हरे पेड़ों के कटान को विनियमित निम्नवत् किया गया है :-

प्रदेश के 24 जनपदों

(लखीमपुर खीरी, आगरा, बिजनौर, इटावा, ज्योतिबाफूलेनगर, पीलीभीत, सहारनपुर, शाहजहांपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी, ललितपुर, इलाहाबाद, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोण्डा, मिर्जापुर, चन्दौली, सोनभद्र, गोरखपुर, महाराजगंज) तथा तीन तहसीलों पिपली (जिला-रामपुर), खड्डा (जिला-कुशीनगर), नौगढ़ (जिला-सिद्धार्थनगर) में व्यक्तिगत कृष्य या अकृष्य जोत पर उगने वाले 28 प्रजातियों (अगस्त, अरू, उत्तीस, कैजूरिना, जंगल जलेबी, पोपलर, फसाश, बकाइन, बिलायती बबूल, बबूल, सुबबूलिएटस, रोबीनियां, वाटल, विलो, सिरिस, सुबबूल, अयार, कठेर, खड़िक, जामुन/जमोआ, ढाक/पलाश, पेपर मलबेरी, बेर, भीमल/भकुला, महुल, सहजन, शहतूत, आंवला) को पातन अनुज्ञा से छूट दी गयी है, परन्तु इन वर्णित प्रजातियों के अतिरिक्त सभी प्रजातियों के पातन पर छूट नहीं है।

प्रदेश के 46 जनपदों--

(मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, गौतमबुद्धनगर, बागपत, मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, हाथरस, बरेली, बदायूँ, मुरादाबाद, रामपुर, (पिपली तहसील को छोड़कर), कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, सन्तरविदास नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर (खड्डा तहसील को छोड़कर), बस्ती, सिद्धार्थनगर (नौगढ़ तहसील को छोड़कर), सन्तकबीरनगर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, बांदा) में 16 प्रजातियां [अखरोट, अंगू, चमखड़िक, जमनोई, नीम, बांज/खरसू/मोरू, महुआ, साल, पीपल, बरगद/बड़, देवदार, आम (देशी, कलमी, तुकमी), बांजासाल, खैर, शीशम, सागौन] को छोड़कर अन्य सभी प्रजातियों को व्यक्तिगत कृष्य या अकृष्य जोत पर पातन अनुज्ञा से छूट प्रदान की गयी है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रदेश के समस्त जनपदों में उ0 प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 2010 तक 13 प्रजातियां [अखरोट, अंगू, चमखड़िक, जमनोई, नीम, बांज/खरसू/मोरू, महुआ, साल, पीपल, बरगद/बड़, देवदार, आम (देशी, कलमी और तुकमी), बीजा साल] का कटान तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि वृक्ष सूख न गया हो या सूख रहा हो या यह व्यक्ति या सम्पत्ति के लिये खतरा पैदा कर रहा हो या सरकार द्वारा अनुमोदित

किसी विकास कार्य के निष्पादन के लिये इसका काटा जाना आवश्यक हो। उक्त अधिनियम के अनुसार पुलिस उपनिरीक्षक से अनिम्न स्तर के पुलिस अधिकारी भी अधिनियम के प्राविधानों के उल्लंघन के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये प्राधिकृत है।

जनपद बिजनोर में गत वर्षो में स्वीकृत नलकूपों के कनेक्शन सम्बन्धी जानकारी

18--कुं0 भारतेन्द्र सिंह--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-बिजनोर में जनवरी, 2002 से दिसम्बर, 2003 तक कितने नलकूप कनेक्शन स्वीकृत किये गये उसमें कितने कनेक्शन दे दिये गये तथा कितने शेष हैं ? शेष कनेक्शन कब तक जारी कर लिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जनपद बिजनोर में जनवरी, 2002 से दिसम्बर, 2003 तक कुल 914 नलकूपों के कनेक्शन स्वीकृत किये गये। उनमें से सभी 914 कनेक्शन दे दिये गये हैं तथा कोई कनेक्शन शेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 के उच्च अधिकारियों द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठानों को क्षति पहुँचाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

19--श्री नरेन्द्र सिंह शिशोदिया--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत उच्च अधिकारियों द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठानों को क्षति पहुंचाने एवं राजस्व की भारी क्षति विषयक मा0 विजय सिंह राणा एम0 एल0 सी0 का पत्र दिनांक 8-6-2003 मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव, उ0 प्र0 अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/निदेशक (वितरण)/निदेशक (पारेषण) को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की जांच किससे कराई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

प्रकरण की जांच प्रबन्ध निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी द्वारा की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 में अराजक तत्वों द्वारा कार्यालय का वातावरण दूषित करने संबंधी उच्चस्तरीय जांच

20--श्री नरेन्द्र सिंह शिशोदिया--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 में अराजक तत्वों द्वारा कार्यालय का वातावरण दूषित करने एवं भय व्याप्त करने की उच्चस्तरीय जांच कराने विषय मा0 विजय सिंह राणा तत्कालीन एम0 एल0 सी0 का पत्र दिनांक 15-1-2004 एवं ऊर्जा अनुभाग-2 का पत्र संख्या सी0 एम0 90 पी-02-24-4 (..8) 2004, दि0 29-9-2004 जो मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव (ऊर्जा) एवं अध्यक्ष, सह प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ है जो शासन के पत्रांक 475/पी-2/04-24-एक्स-(09)/04 दिनांक 2-8-2004 द्वारा उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 को भेजा गया है।

प्रकरण की जांच निगम के वित्तमान मुख्य महाप्रबन्धक से कराई गई है। उनसे प्राप्त जाँच आख्या निगम में परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् शक्ति भवन को शासन के समान्तर सचिवालय बनाने की सी0 बी0 आई0 जांच विषयक पत्र

21--श्री नरेन्द्र सिंह शिशोदिया--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्वांचल उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के शक्ति भवन को शासन के समान्तर सचिवालय बनाने की सी0 बी0 आई0 जाँच विषयक मा0 विजय सिंह राणा, पूर्व एम0 एल0 सी0 का पत्र दिनांक 14-12-2003 जो कि मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव एवं सी0 एम0 डी0 यू0 पी0 सी0 एल0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

उ0 प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेशों में 'परिषद सचिवालय' शब्द प्रयोग किये जाने की अनुरूपता में तत्कालीन उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद मु0 के कार्यालय हेतु "परिषद सचिवालय" शब्द प्रयोग किया जा रहा था। दिनांक 14-1-2000 को उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड का गठन होने के पश्चात् "कारपोरेशन मुख्यालय" शब्द प्रयोग किया जा रहा है।

चूँकि कोई अनियमितता नहीं पाई गई अत: प्रश्न नहीं उठता।

22--श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

[2सरे सोम के अता0 प्र0 सं0-15] के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उ0 प्र0 विद्युत मजदूर संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष के निलम्बन कार्यावधि का वेतन रोकने तथा स्थानान्तरण की सी0 बी0 आई0 जांच कराने की मांग

23--श्री नरेन्द्र सिंह शिशोदिया--

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के अन्तर्गत प्रदेश कोषाध्यक्ष, उ0 प्र0 विद्युत मजदूर संघ का निलम्बन कार्य अवधि का वेतन रोकने तथा स्थानान्तरण की जांच विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-5-2001 एवं 3-3-2003 जो मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव, उ0 प्र0 को सम्बोधित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सम्पूर्ण प्रकरण की सी0 बी0 आई0 जांच कराई जायेगी। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

सम्बन्धित पत्रों पर कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि० में चार पहिया वाहनों से सम्बन्धित जानकारी

24--श्री नरेन्द्र सिंह शिशोदिया--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० जल विद्युत निगम लि० के अन्तर्गत कुल कितने चार पहिया वाहन हैं ? जनवरी, 2000 से 31-12-2004 तक किसके-किसके नाम से आवंटित रहे तथा उक्त अवधि में कितने वाहन किराये पर लिये गये ? उन वाहनों पर किराये के मद में प्रतिमाह कितना व्यय किया गया ? क्या यह सही है कि उक्त वाहनों को निजी प्रयोग में लाया गया है ? क्या निजी प्रयोग के मद में अधिकारियों से कोई कटौती प्रतिमाह करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

उ० प्र० जल विद्युत निगम लिमिटेड में वर्तमान में कुल 46 चार पहिया वाहन हैं, जिनका विवरण संलग्नक-क के अनुसार है।

उक्त अवधि में वाहनों के आवंटन का विवरण संलग्न-ख के अनुसार है।

उक्त अवधि में किराये पर लिये गये वाहनों की संख्या एवं उन पर किराये के मद में किये गये प्रतिमाह किराये का विवरण संलग्नक-ग के अनुसार है।

जी हां, अनुमन्य सीमा के अंतर्गत।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर विधान सभा क्षेत्र सादात में वाराणसी से सैदपुर, देवचन्दपुर, रामपुर मांझा, चोचकपुर गाजीपुर के लिये रोडवेज बसों का संचालन

25--श्री बीजू पटनायक--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद-गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सादात के अन्तर्गत जनता की सुविधा के लिये वाराणसी से सैदपुर, देवचन्दपुर, रामपुर मांझा चोचकपुर, गाजीपुर के लिये रोडवेज बस चलवाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

जी हां। प्रयोगात्मक तौर पर बस संचालित कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा राष्ट्रीय मार्ग-2 पर स्थित के० के० बार हेतु स्वीकृत विद्युत लोड

26--श्री कल्यान सिंह दोहरे--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आगरा के के० के० बार जो राष्ट्रीय मार्ग-2 पर स्थित है, को कितना विद्युत लोड स्वीकृत है तथा वास्तविक विद्युत भार कितना है ? क्या स्वीकृत भार से अधिक भार प्रयोग करने के आरोप में दोषी संचालक के खिलाफ विद्युत चोरी के अन्तर्गत एफ० आई० आर० दर्ज कराकर राजस्व वसूली की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 115---121 पर।)

श्री मुलायम सिंह यादव--

राष्ट्रीय मार्ग-2 पर स्थित के0 के0 वार हेतु कोई विद्युत भार एवं संयोजन स्वीकृत नहीं है। दिनांक 22-9-2004 को विभागीय चेकिंग के समय चोरी से चलाया जा रहा विद्युत भार 9.19 कि0 वा0 पाया गया।

सीधे कांटया डालकर बिजली चोरी से 9.19 कि0 वा0 भार प्रयोग करने के कारण के0 के0 वार के संचालक श्री कांग केन्द्र यादव पर रु0 2.04 लाख का असेसमेंट निर्धारित किया गया। विद्युत आपूर्ति विच्छेदित कर दी गई है। निर्धारित असेसमेंट की वसूली हेतु विभागीय नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन एवं उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 व उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कर्मचारियों के बोनस भुगतान का प्रकरण

27--श्री नरेन्द्र सिंह शिशोदिया--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 2002 के पूर्व उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 एवं उत्तर राज्य जल विद्युत निगम लि0 के कार्मिकों को राज्य कर्मचारियों की भांति बोनस (एक्सग्रेसिया) का भुगतान किया जाता था ? क्या यह सही है कि वर्ष 2002-2003 के बोनस (एक्सग्रेसिया) का भुगतान उक्त तीनों निगमों के कार्मियों को नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त तीनों निगमों के कार्मिकों को वर्ष 2003-2004 के बोनस का भुगतान किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं। बोनस का भुगतान उक्त निगमों द्वारा अपने-अपने निदेशक मण्डल के निर्णयानुसार किया जाता है।

जी हाँ।

जी नहीं। विषम वित्तीय स्थिति के कारण उक्त तीनों निगमों के निदेशक मण्डलों द्वारा अभी तक बोनस (एक्सग्रेसिया) के भुगतान करने का निर्णय नहीं लिया गया है।

मेसर्स प्रहलाद स्टील्स प्रा0 लि0, जिला फिरोजाबाद को 1800 कि0 वा0 का विद्युत भार स्वीकृत कर बिना स्वतंत्र फीडर बनाये लाइन टेप कर विद्युत आपूर्ति ली गयी

श्री बाबूराम एम0 काम0 तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशोदिया--

28--क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि मेसर्स प्रहलाद स्टील्स प्रा0 लि0 यूनिट नं0 2 शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद को 1800 के0 वी0 का विद्युत भार स्वीकृत कर बिना स्वतंत्र फीडर बनाये लाइन टेप कर विद्युत आपूर्ति की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उक्त फीडर बनवायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हाँ।

मे0 प्रहलाद स्टील्स प्रा0 लि0, जिला फिरोजाबाद को 1800 कि0 वा0 का विद्युत भार स्वीकृत कर बिना स्वतंत्र फीडर बनाये लाइन टेप कर विद्युत आपूर्ति किए जाने के संबंध में कुल निम्न 10 अधिकारी/अवर अभियंताओं को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया :--

1--श्री रंगेश शर्मा, तत्कालीन उप महाप्रबंधक वि0 वि0 मं0, आगरा।

2--श्री नरोत्तम शर्मा, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, वि0 वि0 खं0, शिकोहाबाद।

3--श्री वी0 वी0 एस0 गौर, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, विद्युत परीक्षण खण्ड, आगरा।

4--श्री वी0 के0 चतुर्वेदी, तत्कालीन अवर अभियंता विद्युत परीक्षण खण्ड, आगरा।

5--श्री एम0 एफ0 खान, तत्कालीन अवर अभियंता, (वितरण) मक्खनपुर, शिकोहाबाद।

6--श्री प्रेम शंकर शर्मा, तत्कालीन अवर अभियंता (वितरण) 33/11 के0 वी0 आवास एवं विकास केन्द्र, शिकोहाबाद।

7--श्री वी0 डी0 गुप्ता, तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी (वितरण), शिकोहाबाद।

8--श्री गणेश पाल सिंह, (75027) तत्कालीन अधिशासी अभियंता, वि0 वि0 खं0, शिकोहाबाद (सम्प्रति सेवानिवृत्त)।

9--श्री आर0 के0 ठाकुर, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, वि0 वि0 खं0, शिकोहाबाद (सम्प्रति सेवानिवृत्त)।

10--श्री आर0 के0 माहेश्वरी, तत्कालीन महाप्रबंधक, आगरा क्षेत्र (सम्प्रति सेवानिवृत्त)।

उपरोक्त क्रम सं0 1 से 7 तक अंकित अधिकारियों/अवर अभियंताओं को प्रकरण में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर एवं शेष क्रमांक 8 से 10 तक अंकित अधिकारियों के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उनके विरुद्ध सेवानिवृत्ति उपरान्त जांच समिति-प्रथम के माध्यम से अनुशासनिक कार्यवाही सम्पादित कराकर अग्रेतर कार्यवाही प्रचलित है।

उपभोक्ता के खर्चे पर फीडर बनवाने के लिए मा0 उच्च न्यायालय , इलाहाबाद में याचिका विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत मेसर्स सोमानी आयरन एण्ड स्टील्स लि0, उन्नाव द्वारा करोड़ों रुपये की विद्युत चोरी

29--श्री बाबूराम एम0 काम0 तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशोदिया--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 के अंतर्गत मेसर्स सोमानी आयरन एण्ड स्टील्स लि0, उन्नाव द्वारा करोड़ों रुपये की विद्युत चोरी एवं सिस्टम लोडिंग चार्जेज के संबंध में श्री नन्द लाल जायसवाल महामंत्री, उ0 प्र0 विद्युत मजदूर संघ का पत्र दिनांक 18-5-2004 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन एवं सी0 एम0 डी0 , यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

सभी विन्दुओं पर आख्या मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्य) से माँगी गयी है, जो प्रतीक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत गोरखपुर क्षेत्र में विद्युत चोरी ए0 पी0 डी0 आर0 पी0 कार्य में घोटाले विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

30--श्री बाबूराम एम0 काम0 तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशोदिया--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 के अंतर्गत गोरखपुर क्षेत्र, गोरखपुर में विद्युत चोरी एवं ए0 पी0 डी0 आर0 पी0 कार्य में भारी घोटाला विषयक नन्द लाल जायसवाल, महामंत्री, उ0 प्र0 विद्युत मजदूर महा संघ का पत्र दिनांकि 15-9-2004 एवं 15-10-2004 महाप्रबंधक (वितरण), गोरखपुर क्षेत्र, गोरखपुर एवं अध्यक्ष, सह प्रबंध निदेशक, यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन से प्राप्त सूचनानुसार पत्र दिनांक 15-9-2004 प्राप्त हुआ है। पत्र दिनांक 15-10-2004 उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार प्राप्त नहीं हुआ है।

गोरखपुर नगर क्षेत्र में बिजली चोरी के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा किसी क्षेत्र या उपभोक्ता का नाम नहीं बताया गया है। विद्युत चोरी रोकने हेतु निगम के प्रवर्तन दल के निरीक्षक एवं नगर क्षेत्र के अधिकारियों की टीम बनाकर छापा डाला जा रहा है। चोरी संबंधी 14 मुकदमें अप्रैल, 04 से अब तक दायर किये जा चुके हैं। ए0 पी0 डी0 आर0 पी0 कार्य की निविदा कारपोरेशन मुख्यालय से स्वीकृत की गयी है, और उसी नियम एवं दर के अनुसार कार्य कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण टिकैत राय कालोनी के आवासों में मीटर लगवाने की मांग

31--श्री दयाशंकर वर्मा--

क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की टिकैत राय कालोनी के हायर परचेज के अंतर्गत आवंटित आवास संख्या एम0 एम0 आई0 जी0 2/550 से एम0 एम0 आई0 जी0 2/640 तक के सभी आवासों में मीटर लगा दिये गये हैं ? यदि नहीं तो कितने अध्यासियों द्वारा बगैर मीटर के बिजली का उपभोग किया जा रहा है ? क्या सरकार ऐसे आवंटियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां, लखनऊ विकास प्राधिकरण की टिकैत राय कालोनी के हायर परचेज के अंतर्गत आवंटित आवास सं0 2/550 से 2/640 के मध्य 63 संयोजन हैं जिन पर (आवास सं0 2/572 को छोड़कर जो विभागीय कर्मचारी का है) मीटर लगा दिये गये हैं।

कोई नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के ब्लाक माल, गाँव भाईदास खेड़ा मजरा ससपन के अंदर 11,000 वोल्ट के टूटे तार को ठीक कराने की मांग

32--श्री कौशल किशोर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखनऊ के ब्लाक माल गाँव भाई दास खेड़ा मजरा ससपन के अन्दर 11,000 वोल्ट हाईटेंशन विद्युत लाइन के तार टूटकर लटके हुये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बिजली के तारों को ठीक करायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

लगभग 6 माह पूर्व उक्त गाँव में बिजली का तार टूटा था, जिसे पूर्व में ही ठीक करा दिया गया।

अनपरा तापीय विद्युत परियोजना चिकित्सालय, सोनभद्र में तैनात डा0 ऊषा अग्रवाल, चिकित्साधिकारी व नर्स के द्वारा निगम को आर्थिक क्षति पहुँचाने के संबंध में जांच

33--श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अधीन अनपरा तापीय विद्युत परियोजना चिकित्सालय, अनपरा, सोनभद्र में तैनात डा0 ऊषा अग्रवाल चिकित्साधिकारी, श्रीमती सिंथिया शमोन, स्टाफ नर्स एवं श्री एस0 आर0 दास, नर्स (पुरुष) के द्वारा निगम को आर्थिक क्षति पहुँचाने के संबंध में मंत्री, उ0 प्र0 ताप विद्युत मजदूर संघ, शाखा अनपरा तापीय विद्युत परियोजना, अनपरा, सोनभद्र का शिकायती-पत्र संख्या 290/उ0 प्र0 ताप वि0 म0 सं0/2004, दिनांक 28-09-2004 एवं पत्र संख्या 611/उ0 प्र0 ता0 वि0 म0 सं0/2004, दिनांक 6-10-2004 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

प्रश्नगत शिकायती पत्रों के संदर्भ में मुख्य महाप्रबंधक, अनपरा को जाँच कराकर आख्या उपलब्ध कराने के लिये निर्देश दिये गये हैं। जाँच अधिकारी की जांच आख्या प्रतीक्षित है, जिसके प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अधीन हरदुआगंज, पनकी, पारीक्षा आदि के चिकित्सालयों में कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमावली बनाये जाने की मांग

34--श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अधीन हरदुआगंज, पनकी, पापरीछा, ओबरा व अनपरा तापीय विद्युत परियोजनाओं के चिकित्सालयों में कार्यरत पैरामेडिकल स्टाफ (मैट्रन, असिस्टेंट मैट्रन, वार्ड सिस्टर, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट आदि) की कोई सेवा नियमावली बनाई गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त कर्मियों की सेवा नियमावली बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा उत्पादन निगम में कार्यरत सभी कर्मियों के संबंध में पूर्ववती उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् द्वारा प्रख्यापित सेवा नियमावली का पालन किया जा रहा है लेकिन वर्तमान उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन/पूर्ववती राज्य विद्युत परिषद द्वारा चिकित्सा की पैरामेडिकल कर्मिकों की सेवा विनियमावली नहीं बनाई गई है। उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 का संगठनात्मक ढांचा विचाराधीन है जिसके पश्चात् उत्पादन निगम लि0 के कार्मिकों की सेवा विनियमावली बनाना संभव होगा जिसमें चिकित्सकीय (पैरामेडिकल) कार्मिकों की सेवा विनियमावली को भी सम्मिलित किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के थाना सिकन्दरा स्थित के0 के0 बार में बाल श्रमिकों से कराये जा रहे कार्यों की जांच

35--श्री बीजू पटनायक--

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा, थाना सिकन्दरा स्थित के0 के0 बार में बाल श्रमिकों से कार्य कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 वकार अहमद शाह--

जी नहीं।

उक्त प्रतिष्ठान की जांच दिनांक 17-2-05 को कराई गई, जांच के समय कोई भी बाल श्रमिक प्रतिष्ठान में कार्य करते हुए नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पशु चिकित्साधिकारियों को दिये गये वित्तीय आहरण-वितरण का अधिकार

36--श्री अक्षयवर लाल--

क्या पशुधन मंत्री को जानकारी है कि पशु चिकित्साधिकारियों को 5 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने के पश्चात् वित्तीय आहरण-वितरण का अधिकार दिये जाने का प्राविधान है ? क्या यह सही है कि डा0 अमित कुमार पशु चिकित्साधिकारी, चित्तौरा, जनपद बहराइच को 3 वर्ष से कम सेवाकाल के बावजूद वित्तीय आहरण एवं वितरण का अधिकार दिनांक 21 जुलाई, 2003 को दे दिया गया था ? यदि हां, तो उनके द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2003 से 30 सितम्बर, 2003 के मध्य कितनी-कितनी धनराशि किस-किस मद में आहरित की गई तथा उसका उपयोग किस-किस मद में किया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त धनराशि का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह)--

जी नहीं।

जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा का मार्ग जिला पंचायत द्वारा बनाये जाने हेतु स्वीकृत व खर्च की गई धनराशि का विवरण

37--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल विकास निधि से स्वीकृत जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा का मार्ग नसहरपुर औरंगाबाद जिला पंचायत प्रतापगढ़ द्वारा बनाये जाने हेतु स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो उसके लिये कितना धन स्वीकृत हुआ था और कितनी राशि खर्च की गयी ? शेष धनराशि की वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्री बलराम यादव--

जी हाँ।

उक्त मार्ग के निर्माण के लिये रु0 4.50 लाख का आगणन स्वीकृत किया गया था, जिसके सापेक्ष रु0 3.31 लाख धनराशि अवमुक्त की गयी तथा खर्च की गयी।

शेष धनराशि प्राप्त नहीं हुई।

प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति

38--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति किये जाने की नीति क्या है ? क्या यह सही है कि कुछ जनपदों में अधिक विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों एवं तहसील स्तरीय नगरों में प्रतिदिन 14 घंटे तथा अन्य समस्त शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 16 घंटे से 24 घंटे तक विद्युत आपूर्ति कराये जाने की नीति है।

जी हां।

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र के अतिरिक्त कुछ संवेदनशील जनपदों में निर्धारित से अधिक विद्युत आपूर्ति करायी जा रही है।

जनपद प्रतापगढ़ में अधूरे पड़े मार्गों को लेपन स्तर तक पूर्ण कराये जाने की मांग

39--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ में जिला पंचायत, प्रतापगढ़ द्वारा वर्ष 2000 से अब तक कौन-कौन से मार्ग निर्माण हेतु स्वीकृत किये गये और उनमें से कौन से मार्ग लेपन स्तर तक मानकों के अनुरूप पूर्ण किये गये ? क्या अधूरे पड़े मार्गों को लेपन स्तर तक मानकों के अनुरूप पूर्ण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव--

सूची संलग्न है, जिसके क्रम संख्या 3, 5 एवं 7 पर उल्लिखित मार्ग लेपन स्तर तक मानक के अनुरूप पूर्ण किये गये हैं।

अधूरे कार्य जो लेपन स्तर तक स्वीकृत है, उन्हें पूर्ण कराया जायगा ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विद्युत उपकेन्द्र से अन्य क्षेत्रों को की जा रही विद्युत आपूर्ति

40--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विद्युत उपकेन्द्र नरहरपुर, करैला, अमापुर, ढखवा से किन-किन क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति की जा रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हाँ।

जनपद प्रतापगढ़ के विद्युत उपकेन्द्र नरहरपुर से मंगरौरा ब्लाक के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति करना प्राविधानित है। करैला विद्युत उपकेन्द्र से मंगरौरा ब्लाक के ही कुछ अन्य ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति करना प्राविधानित है। आमापुर उपकेन्द्र से धनेपुर, धरौरा, टी0 बी0 पुर एवं आसपुर देवसरा के कुछ क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति की जा रही है। ढकवा उपकेन्द्र से ढकवा पम्प कैनाल एवं ढकवा के कुछ क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति करना प्राविधानित है।

यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत विद्युत चोरी रोकने व सी0 बी0 आई0 से जांच कराने की मांग

41--श्री नरेन्द्र सिंह शिशैदिया--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत विद्युत चोरी रोकने के क्या-क्या उपाय किये गये हैं ? क्या 4.00 करोड़ रुपये की विद्युत चोरी की सी0 बी0 आई0 जांच कराये जाने विषयक श्री मिथिलेश नारायण, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 15-12-2003 जो कि मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव, उ0 प्र0 एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यू0 पी0 सी0 एल0 को सम्बोधित है, उन्हें प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 122 पर) ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

उपभोक्ताओं की मीटर एवं मीटरिंग प्रणाली पिल्फर प्रूफ क्यूबिकल (बाक्स) के अंदर की जा रही है। उपभोक्ताओं के यहाँ मेकेनिकल मीटर के स्थान पर इलेक्ट्रानिक मीटर लगाये जा रहे हैं।

विद्युत चोरी रोकने के लिए समय-समय पर पावर कारपोरेशन के प्रवर्तन दल एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा छापे मारे जाते हैं तथा समय-समय पर सघन चेकिंग अभियान भी चलाये जाते हैं।

जी हाँ।

मे0 सण्डीला मेटल वायर्स कम्पनी, हरदोई द्वारा रु0 4.00 करोड़ की विद्युत चोरी के प्रकरण में इक्वेटर संगठन द्वारा जांच की जा चुकी है। जिसमें जांचोपरांत कुल 31 अधिकारी/कर्मचारी प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये। 20 कार्मिकों के विरुद्ध प्रकरण दण्ड देकर/दोषमुक्त करके समाप्त किये जा चुके हैं। 6 कार्मिकों के संबंध में जांच आख्या अभी प्रतीक्षित है एवं 5 कार्मिकों की जांच आख्या कारपोरेशन स्तर पर परीक्षणाधीन है।

उपभोक्ता से बकाया धनराशि की वसूली हेतु आर0 सी0 जारी की जा चुकी है। मे0 सण्डीला मेटल वायर्स, सण्डीला का स्थायी विच्छेदन दिनांक 31-1-2003 को किया जा चुका है। स्थायी विच्छेदन के उपरांत उपभोक्ता पर बकाया धनराशि रु0 1,87,48,532.32 हेतु दिनांक 17-4-2003 को वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है।

उक्त वसूली के विरुद्ध उपभोक्ता ने मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ के समक्ष याचिका संख्या 1735/2003 तथा 2837/2003 (एम0 बी0) मे0 सण्डीला मेटल वायर्स बनाम उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 व अन्य में, मा0 न्यायालय, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-9-03 के अनुपालन में मामला सक्षम अपीलीय समिति के समक्ष लम्बित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला मुख्यालय को मुख्य कस्बों से जोड़ने के लिए निजी बसों के संचालन की योजना

42--प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील मुख्यालयों व मुख्य कस्बों को मंडल मुख्यालय या जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले राष्ट्रीयकृत मार्गों पर कितने किलोमीटर तक निजी बसों का संचालन अनुमन्य है ? क्या इसका अनुपालन मेरठ मण्डल में हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

तहसील मुख्यालय व मुख्य कस्बों को मण्डल मुख्यालय या जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिये राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों के संचालन हेतु कोई योजना विद्यमान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के आनन्दपुरम्, सुभाष नगर आदि मोहल्लों में लटके बिजली के तारों को ठीक कराने की मांग

43--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के मो0 आनन्दपुरम्, लाला तेली की बजरिया, सुभाष नगर, अब्दुल्लागंज, दीवान जोगराज मोहल्लों में लटके बिजली के तारों को ठीक कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

मो0 आनन्दपुरम्, लाला तेली की बजरिया, सुभाष नगर, अब्दुल्लागंज, दीवान जोगराज में लटके तारों को ठीक करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण विद्युतीकरण के मानक तथा जनपद बस्ती के गांवों का विद्युतीकरण कराने की मांग

44--श्री राम करन आर्य--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण के क्या मानक निर्धारित किये गये हैं ? बस्ती जनपद के कितने गांवों में विद्युतीकरण करा दिया गया है तथा कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है ? क्या सरकार शेष गांवों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

विद्युतीकरण हेतु चयनित ग्राम का मूल राजस्व ग्राम एवं उससे जुड़े एक अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य मजरे का विद्युतीकरण किए जाने का मानक निर्धारित है। बस्ती जनपद में 1655 ग्रामों का विद्युतीकरण करा दिया गया है एवं 1501 ग्रामों का विद्युतीकरण अवशेष कराना है।

जी हां।

केन्द्र सरकार के द्वारा संचालित त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामों का विद्युतीकरण वर्ष 2009 तक कराए जाने का कार्यक्रम है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में गत वर्षों में गांवों में विद्युतीकरण कार्य

45--श्री राम करन आर्य--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समग्र गांवों का विद्युतीकरण किये जाने के क्या मानक हैं ? क्या वर्ष 2003 एवं 2004 में बस्ती जनपद के चयनित समग्र गांवों का विद्युतीकरण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो उनका विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

समग्र ग्राम्य विकास कार्यक्रम में ग्रामों के विद्युतीकरण के कार्य को हटा दिया गया है अत: इस मद में ग्रामों के विद्युतीकरण का कोई मानक निर्धारित नहीं है।

वर्ष 2003 एवं वर्ष 2004 में विद्युतीकरण हेतु समग्र ग्राम का चयन नहीं किया गया । अत: विद्युतीकरण का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ जनपद के मोतीनगर क्षेत्र में अवैध रूप से कटिया लगाकर की जा रही विद्युत की चोरी का प्रकरण

46--श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ जनपद के मोतीनगर क्षेत्र के अंतर्गत डी0 ए0 वी0 कालेज परिसर में दयानंद सेवा संस्थान, उपकारम् करोति (ह्यूमन पब्लिक स्कूल), दयानन्द विद्या मंदिर के आस-पास लगभग 4 बारात घर चल रहे हैं जिनके द्वारा अवैध रूप से कटिया लगाकर विद्युत की चोरी की जा रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त बारात घरों के मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

अवैध रूप से कटिया लगाकर विद्युत की चोरी का प्रकरण विभाग के संज्ञान में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-देवरिया के रुद्रपुर क्षेत्र में विद्युत कटौती

47--श्री अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद देवरिया के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में विद्युत कटौती से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आसन्न परीक्षा में छात्रों की पढ़ाई में व्यवधान हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार नियमित विद्युत आपूर्ति करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है, परन्तु प्रदेश में बढ़ी हुई विद्युत की मांग के सापेक्ष उपलब्धता के कम होने के कारण आपातकालीन कटौती करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक सप्ताह रात में तथा दूसरे सप्ताह दिन में विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

निर्धारित घंटों के अनुसार विद्युत आपूर्ति कराये जाने के हरसम्भव प्रयास किये जा रहे है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के जैतीपुर ब्लाक में विद्युतीकरण एवं क्षतिग्रस्त लाइनों के सम्बन्ध में जानकारी

48--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती ऊषा देवी, ब्लाक प्रमुख, जैतीपुर, जनपद शाहजहांपुर के गांवों में विद्युतीकरण कराने हेतु पश्चिमांचल पावर कारपोरेशन, मेरठ को आदेश संख्या सी0 एम0/वी0 को0/एम0/112041/2004, दिनांक 4-11-04 दिया गया प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

पत्र में उल्लिखित 3 ग्रामों के विद्युतीकरण एवं क्षतिग्रस्त लाइनों के संबंध में स्थिति निम्नवत् है :--

1--नकरिया खुर्द गांव का विद्युतीकरण दिनांक 31-3-01 को किया गया तथा 0/01 में तार चोरी चला गया था जिसकी एफ0 आई0 आर0 15-9-04 को दर्ज करा दी गयी है। उक्त गांव को विद्युत आपूर्ति मार्च, 05 तक ठीक करा दी जायेगी।

2--अमरेडी गांव को दि0 31-1-01 को विद्युतीकृत कर दिया गया था लेकिन दिनांक 26-12-03 को उक्त ग्राम का निरीक्षण करने पर पाया गया कि उक्त गांव के 7 खम्भे टूटे हुए हैं एवं 8.30 किमी0 तार चोरी चला गया है जिसकी एफ0 आई0 आर0 दर्ज नहीं करायी गयी है। क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है कि वे एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराकर नियमानुसार भण्डार से सामग्री लेकर उक्त ग्राम की विद्युत आपूर्ति चालू करायें।

3--नदेया रामपुर ग्राम वर्ष 95-96 में गांधी ग्राम के रूप में चयनित हुआ था। लेकिन उक्त ग्राम का विद्युतीकृत करने के लिए भण्डार खण्ड को सामग्री हेतु प्रस्ताव देर से प्रस्तुत करने तथा विद्युतीकरण न कराये जाने के लिए श्री बदरुद्दीन, अवर अभियंता दोषी पाये गये एवं ग्राम का विद्युतीकरण न कराये जाने के लिए श्री बदरुद्दीन को दण्ड स्वरूप उनका एक वार्षिक वेतन वृद्धोत्तरी संचयी रूप से रोका गया तथा वर्ष 2001-02 की सत्यनिष्ठा रोक दी गयी है। भारत सरकार की त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत उक्त ग्राम को विद्युतीकृत करने के लिए चयनित कर लिया गया है एवं उसका विद्युतीकरण शीघ्र करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम डमोरा में 33 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र स्थापित कराने की मांग

49--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर के ग्राम डमोरा में 33 के0 वी0 का विद्युत उपकेन्द्र स्वीकृत किए जाने हेतु पत्र संख्या-सी0 एम0/वि0को0/एम/112043/2004, दिनांक 4-11-2004 द्वारा प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल पावर कारपोरेशन, मेरठ से कार्यवाही कर आख्या मांगी गयी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हाँ।

चूँकि प्रकरण मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 लखनऊ से संबंधित है अत: उनसे आख्या मांगी गयी, जिसके अनुसार ग्राम-डभौरा में नये 33 के0 वी0 उपकेन्द्र के निर्माण के लिए निकटवर्ती क्षेत्र का सर्वेक्षण कराया गया। सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ कि यह ग्राम कटरा क्षेत्र में है तथा इस क्षेत्र में औद्योगिक घरेलू एवं निजी नलकूप संयोजन अत्यन्त कम है तथा भविष्य में विद्युत भार बढ़ने की संभावना भी कम है। अत: तकनीकी एवं वित्तीय दृष्टि से ग्राम डभौरा में नये 33 के0 वी0 उपकेन्द्र की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के बड़ागांव, डुहां, बिहरा में पशु चिकित्सालय खोलने की मांग

50--श्री जियाउद्दीन रिजवी--

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के सिकन्दरपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बड़ागांव एवं डुहां बिहरा में पशु चिकित्सालय न होने के कारण पशुओं को इलाज कराने के लिए बहुत दूर ले जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार बड़ागांव, डुहां बिहरा में पशु चिकित्सालय खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह --

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विभागीय मानक के अनुसार 9 किमी0 की परिधि पर पशु चिकित्सालय की स्थापना का प्रावधान है। विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर के ग्राम-बड़ागांव में पूर्व से ही पशु सेवा केन्द्र स्थापित है जहां पशुओं की चिकित्सा का कार्य होता है। ग्राम-बड़ागांव विकास खण्ड मनियर के अधीन है, मनियर में राजकीय पशु चिकित्सालय स्थापित है। ग्राम-बड़ागांव की मनियर पशु चिकित्सालय से दूरी मात्र 5 किमी0 है तथा पशु चिकित्सालय बेरू आरवारी, खेजुरी, पल्हाया की दूरी 6 किमी0 है। पशु सेवा केन्द्र करनर की दूरी 5 किमी0 एवं हथौज की दूरी 6 किमी0 है। ग्राम-डुहां बिहरा से पशु चिकित्सालय बयुड़ी तथा कठौड़ा क्रमश: 5 एवं 4 किमी0 की दूरी पर पूर्व से स्थापित है। अत: सिकन्दरपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बड़ागांव एवं डुहां बिहरा में पशु चिकित्सालय खोले जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधायकों द्वारा प्रस्तावित ग्रामों में विद्युतीकरण की जानकारी

51--श्री जियाउद्दीन रिजवी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर एवं बांसडीह के विधायकों द्वारा प्रस्तावित पांच-पांच ग्रामों एवं समग्र ग्रामों का विद्युतीकरण पूर्ण कर लिया गया है ? क्या यह सत्य है कि उक्त प्रस्तावित ग्रामों एवं वर्ष 2003-2004 तक के चयनित अम्बेडकर ग्रामों का भी विद्युतीकरण कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

दोनों मा0 विधायकों द्वारा प्रस्तावित 10 ग्रामों में से 9 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। शेष एक गांव का कार्य प्रगति पर है, जो दिनांक 28-2-2005 तक हो जायेगा। समग्र ग्रामों के अन्तर्गत हुए चयनित 27 ग्रामों में से दो ग्राम नेडा द्वारा विद्युतीकृत किया जाना है शेष 25 ग्रामों में से 19 ग्राम विद्युतीकृत हो चुके हैं एवं शेष ग्रामों का कार्य प्रगति पर है जो दिनांक 28-2-2005 तक विद्युतीकृत हो जायेगा।

जी हां।

भण्डार स्कन्ध से सामग्री न मिलने के कारण।

सामग्री प्राप्त होते ही कार्य को उच्च प्राथमिकता पर पूर्ण करा दिया जायेगा।

जनपद बलिया के ग्राम करमौता, सिकन्दरपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यशाला तथा आवासीय भवन निर्माण की जानकारी

52--श्री जियाउद्दीन रिजवी--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के ग्राम करमौता सिकन्दरपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यशाला तथा आवासीय भवन नहीं बनाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यशाला एवं आवासीय भवन का निर्माण कराकर वित्तीय वर्ष 2005 में प्रवेश चालू करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 वकार अहमद शाह--

जी हां।

जी नहीं।

संस्थान के भवन निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन रु0 99.73 लाख की मूल्यांकित लागत रु0 74.46 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है तथा उक्त धनराशि में ही निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त धनराशि में से रु0 68.34 लाख व्यय कर, प्रशासनिक भवन, आवासीय भवन टाइप-I दो अदद, टाइप-II दो अदद, समरसबुल पम्प व कार्यशाला शेड (प्लिन्थ) तक तैयार किया जा चुका है। कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त धनराशि में कार्यपूर्ण करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए और धनराशि की मांग की गयी है। प्रकरण विचाराधीन है।

जिला पंचायत फैजाबाद द्वारा फलपट्टी क्षेत्रफल में ईंट भट्ठे को दिया गया लाइसेंस

53--डा0 सुशील चौधरी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद-फैजाबाद के विकास खण्ड सुहावल एवं मसौदा के किन-किन गांवों को फलपट्टी घोषित क्षेत्रफल में ईंट भट्ठे का लाइसेंस जारी किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव--

जिला पंचायत फैजाबाद द्वारा फलपट्टी घोषित क्षेत्रफल में ईंट भट्ठे का कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के अविद्युतीकृत ग्रामों को विद्युतीकृत करने की योजना

54--श्री अब्दुल मन्नान--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सण्डीला में वित्तीय वर्ष 2004-05 में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रस्तावित पांच ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

वित्तीय वर्ष 2004-05 में मा0 विधायकगण द्वारा 5 चयनित ग्रामों में विद्युतीकरण की कोई योजना नहीं है। भारत सरकार की त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में प्रदेश के समस्त ग्रामों को अगले 4-5 वर्षों में विद्युतीकृत कराया जायेगा।

जनपद हरदोई के अविद्युतीकृत ग्रामों को विद्युतीकृत करने की योजना स्वीकृत हो गई है एवं विधान सभा क्षेत्र सण्डीला के सभी अविद्युतीकृत ग्रामों को अगले 4-5 वर्षों में विद्युतीकृत कराये जाने की योजना है।

जनपद शाहजहांपुर के तिलहर क्षेत्र के गांवों में अपूर्ण विद्युतीकरण सम्बन्धी पत्र

55--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद-शाहजहांपुर के तिलहर क्षेत्र में गांवों में अपूर्ण विद्युतीकरण की प्रश्नकर्ता की शिकायत पर आपका पत्र संख्या सी0एम0/वि0को0/एम/112083/2004, दिनांक 4-11-2004, प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण खण्ड मध्यांचल लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

ग्राम नगरिया खुर्द, बण्डिया खुर्द, अमरेडी, गोंगेपुर, नोगवां नरोत्तम, खिरिया रतन रसीदपुर का विद्युतीकरण विगत वर्ष में कराया गया था। शेष तीन ग्राम नदेयारामपुर, सिकन्दी पट्टी एवं राजपूतपुर उर्फ चिता का विद्युतीकरण अभी तक नहीं हुआ है। इन्हें भारत सरकार के त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम योजना में चयनित कर लिया गया है और शीघ्र विद्युतीकृत करा दिया जायेगा। विद्युतीकरण न कराये जाने के सम्बन्ध में जांच करायी गयी व जांचोपरान्त सम्बन्धित अवर अभियन्ता को दोषी पाये जाने पर अर्धक्षण अभियंता द्वारा एक वार्षिक वेतनवृद्धि स्थायी रूप से रोकी गयी तथा 2001-2002 के लिये सत्यनिष्ठा संदिग्ध मानी गयी। वर्तमान में पूर्व विद्युतीकृत 7 ग्राम की लाइनें क्षतिग्रस्त हैं, जिनके प्राक्कलन बनाने की कार्यवाही प्रगति पर है। इनकी क्षतिग्रस्त लाइनों को मार्च, 2005 तक ठीक करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 2003-04 के चयनित ग्रामों में विद्युतीकरण पूर्ण कराने की मांग

56--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर में वर्ष 2003-2004 के चयनित ग्रामों में विद्युतीकरण पूर्ण कराने के सम्बन्ध में आपका आदेश संख्या सी0एम0/वि0को0/एम/112084/2004, दिनांक 4-11-2004, प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण खण्ड-मध्यांचल-लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

संदर्भित पत्र में 10 ग्रामों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव दिया गया था जबकि नियमानुसार मा0 विधायकगण द्वारा 5 ग्राम ही चयनित किया जाना था। मा0 विधायक जी द्वारा वर्ष 2003-04 में 5 ग्राम चयनित किये थे जिनमें से बरुआ, दौलतपुर, सिमरिया रायपुर को विद्युतीकृत किया जा चुका है। शेष दो ग्रामों खिरिया माल व शाहपुर का विद्युतीकरण पानी लगे होने के कारण अभी तक नहीं किया जा सका था, इन्हें शीघ्र विद्युतीकृत करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ की ग्राम सभा करेंद में ग्राम पंचायत की सड़क का निर्माण

57--श्री कौशल किशोर--

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला लखनऊ, ब्लाक-माल की गांव सभा करेंद में दिनांक 11 मार्च, 2003 से 15 मार्च, 2003 तक बनाई गई सड़क में मजदूर हरीशंकर पुत्र द्वारिका व अन्य की ग्राम प्रधान, छोटे लाल यादव व सचिव कल्लू सिंह द्वारा मजदूरी का रुपया न दिये जाने के सम्बन्ध में न्यायालय प्राधिकारी अन्तर्गत वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 एवं सहायक श्रमायुक्त, लखनऊ द्वारा दिनांक 29-1-2004 को दिये गये आदेश के अन्तर्गत मजदूरी रुपया 11,310 जो एक गुना प्रतिकर अर्थात् कुल धनराशि 22,620 रुपया मजदूरों को भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव--

जी नहीं। ग्राम सभा करेंद में ग्राम पंचायत द्वारा किसी सड़क का निर्माण नहीं कराया गया। मजदूरी भुगतान सम्बन्धी प्रश्नगत आदेश ग्राम प्रधान व सचिव को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

जनपद गौतमबुद्ध नगर के दादरी रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण की मांग

58--श्री नवाब सिंह नागर--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद गौतमबुद्ध नगर के अन्तर्गत दादरी रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य कब तक शुरू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां। दादरी रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। ग्रेटर नोएडा से प्राप्त आख्या के अनुसार रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण वित्तीय वर्ष 2005-06 में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता है।

वाराणसी में विद्युत कटौती से पेय जलापूर्ति बाधिक होने की जानकारी

59--श्री श्याम देव राय चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि विद्युत कटौती के कारण वाराणसी की पेय जलापूर्ति बाधित होने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के उत्तर में नगर विकास मंत्री द्वारा अर्धशा0प0सं0-2475/9-5-04, दिनांक 25 अक्टूबर, 04 के द्वारा अवगत कराया है कि वाराणसी जल संस्थान के पम्पिंग स्टेशनों को की जाने वाली विद्युत आपूर्ति को सेपरेट कर देने के निर्देश दिये गये हैं ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-12-04 अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कार्पोरेशन एवं प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण कम्पनी, वाराणसी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

वाराणसी जल संस्थान के रॉ-वाटर पम्पिंग स्टेशन भदैनी की विद्युत आपूर्ति 33/11 के0वी0 शहरी विद्युत उपकेन्द्र भदैनी से निकलने वाले स्वतंत्र 11 के0वी0 पोषक द्वारा की जाती है। इसी प्रकार क्लीपर वाटर पम्पिंग स्टेशन भेलूपुर की विद्युत आपूर्ति 33/11 के0वी0 शहरी विद्युत उपकेन्द्र भेलूपुर से निकलने वाले स्वतंत्र 11 के0वी0 पोषक से की जाती है।

दोनों विद्युत उपकेन्द्रों पर वाराणसी शहर के समान प्रतिदिन 4 से 5 घंटे की औसतन विद्युत कटौती होती है। जिसके कारण कटौती अवधि में पेय जल पम्पिंग स्टेशनों की भी विद्युत कटौती होती है।

जी हाँ।

दोनों बड़े पम्पिंग स्टेशनों को विद्युत कटौती से मुक्त करने के लिए 33 के0वी0 मण्डुवाडीह-भदैनी विद्युत लाइन को कटौती से मुक्त कराना होगा। 33/11 के0वी0 भदैनी में दोनों पम्पिंग स्टेशनों के लिए अलग से 5 एम0वी0ए0 33/11 के0वी0 परिवर्तक की स्थापना करनी पड़ेगी तथा भदैनी से भेलूपुर पम्पिंग स्टेशन तक 11 के0वी0 भूमिगत केबुल बिछानी होगी। इन कार्यों पर कुल रु0 128.00 लाख की धनराशि का व्यय भार आयेगा। धन की व्यवस्था किए जाने पर कार्य पूर्ण होना सम्भव है।

उपरोक्त कार्य हेतु सर्वे कराकर प्राक्कलन रुपये 128.00 लाख का तैयार किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

निर्धारित प्रश्नों को सत्रकाल में ही लिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी सिफारिशों से कार्यसूची जारी की है। हम लोगों के मामले हैं 29 मार्च तक यह सत्र चलने वाला है कल मुझे कार्यालय से 10 तारांकित प्रश्न प्राप्त हुए हैं जो स्वीकृत हैं। जो छठें बुध, सातवें बुध, आठवें बुध, नवें बुध, दसवें बुध, बारहवें बुध, तेरहवें बुध के लिए स्वीकृत है। यह 29 तारीख के अन्दर नहीं आने वाले हैं।

इसमें सातवाँ सोमवार, छठवाँ सोमवार, ये सारे प्रश्न निश्चित रूप से 29 तारीख के अन्दर नहीं आने वाले हैं। मान्यवर, आप व्यवस्था दें कि इस तरीके की यह भ्रमित करने की कार्यवाही कार्यालय भविष्य में नहीं करें और जो मेरे तारांकित प्रश्न हैं, इनको 29 तारीख के अन्दर ही जो तिथि पड़ती हो, उसमें समायोजित करने की व्यवस्था करायें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्रीवास्तव जी, आप भी भलीभाँति परिचित हैं कि हमारे इस माननीय सदन में संख्या-बल अन्य प्रदेशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है और सभी माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं और उसमें एक निश्चित नियम है कि इतने प्रश्न ही एक दिन में लिए जायेंगे। जब प्रश्नों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो वह उसी तरह से लगाये जाते हैं। आपका कहना है कि यह 29 तारीख से पहले नहीं आ सकते हैं। हम देख लेंगे कि क्या इनको 29 तारीख से पहले लिया जा सकता है, अगर गुंजाइश होगी। हम दिखवा लेंगे।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मान्यवर, आज की कार्यसूची में 11 प्रश्न है और सभी आ गए तो यह कल्पना कैसे की जा सकती है कि और प्रश्न नहीं आ सकते थे।

नगर विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ) --

मान्यवर, कुछ सदस्य मौजूद नहीं थे, इस कारण से ऐसा हुआ। अगर माननीय सदस्य आते और दिलचस्पी लेते तो समय कम पड़ता।

श्री प्रमोद कुमार--

अध्यक्ष जी, मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है, साधारणतया प्रश्न पूछ लिए जाते हैं लेकिन सम्मानित सदस्य जो प्रश्न पूछते हैं, उस समय उपस्थित नहीं रहते हैं। यह प्रश्न जिन सदस्यों ने पूछा था, यह उनका अधिकार है, वह होते हैं तो उनके प्रश्न लिए जाते हैं। लेकिन अब उसके बाद यह सदन की सम्पत्ति बन जाते हैं और उन पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार हो जाता है तो जो सदस्य प्रश्न पूछें, कम से कम उस दिन तो उपस्थित रहें।

श्री अध्यक्ष--

यह तो उनका नैतिक दायित्व माना जाता है कि वह उपस्थित रहें। आपने कहा है हम दिखवा लेंगे।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

अध्यक्ष जी, नियम है कि एक दिन में अधिकतम 12 प्रश्न लिए जायेंगे। जिन माननीय सदस्यों ने प्रश्न दिये हैं और स्वीकार कर लिए गये हैं, मैं चाहूँगा कि उनके उत्तर 29 तारीख से पहले लिखित रूप में आ जायें और सप्लीमेंटरी अगले सत्र में ले लिया जाए।

श्री अध्यक्ष--

यह 12 प्रश्न ही क्यों, अगर प्रश्न आते हैं तो इनको संख्या 20 तक जानी चाहिए। हम इसको देख रहे हैं।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 25 फरवरी, 2005 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 29 सूचनाएँ प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयी :--

पहली सूचना, श्री मिथिलेश कुमार की जनपद शाहजहाँपुर में औषधि निरीक्षक के रिक्त पद पर नियुक्ति करने के सम्बन्ध में (सूचना पढ़ी हुई मानी गई), दूसरी सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की लखनऊ में गैस सिलेण्डरों में पानी भरने वालों एवं कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में। (मा0 सदस्य द्वारा सूचना पढ़ी गयी।) तीसरी सूचना श्री मुंशी लाल गौतम की बुलन्दशहर की तहसील शिकारपुर परिसर के रुके कार्यों को पूर्ण कराने तथा वकीलों के चैम्बर बनवाने के सम्बन्ध में (सूचना पढ़ी हुई मानी गई।) चौथी सूचना, श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद आजमगढ़ सदर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत/पुन: निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है (सूचना पढ़ी हुयी मानी गयी), पाँचवीं सूचना, श्री अमरजीत सिंह जनसेवक की जनपद फतेहपुर के बिन्दकी क्षेत्रान्तर्गत मुगुल रोड से बिजुरी मार्ग की टूटी पुलिया का निर्माण करने के सम्बन्ध में है (सूचना पढ़ी हुई मानी गयी), छठी सूचना, श्री मदन चौहान की जनपद गाजियाबाद के गढ़ मुक्तेश्वर क्षेत्रान्तर्गत स्याना चोपले से रेलवे क्रासिंग पर फ्लाई ओवर बनवाने के सम्बन्ध में है। (सूचना पढ़ी हुई मानी गयी), सातवीं सूचना, डा0 सुशील चौधरी की निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार द्वारा लिपिक संवर्गीय कर्मचारियों की कोटिक्रम सूची में अस्थायी एवं तदर्थ कर्मचारियों को भी सम्मिलित करने के सम्बन्ध में है (सूचना पढ़ी हुई मानी गयी), आठवीं सूचना, श्री लाल जी वर्मा की जनपद अम्बेडकर नगर में क्षतिग्रस्त माया टण्डा राज्य मार्ग को हाट मिक्स प्लांट से बनाये जाने के सम्बन्ध में है (सूचना पढ़ी हुई मानी गयी), नवीं सूचना, श्री राम विशुन आजाद की जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित विद्युतीकरण हेतु 5 ग्रामों में से अवशेष ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है (सूचना पढ़ी हुई मान गयी), दसवीं सूचना, श्री राम नरेश यादव की जनपद आजमगढ़ के फूलपुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है (सूचना पढ़ी हुई मानी गयी), ग्यारहवीं सूचना, श्री वसीम अहमद की महाराष्ट्र एवं लक्षद्वीप की भांति उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिम एवं इसाई बिरादरियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में है (माननीय सदस्य द्वारा पढ़ी गयी), बारहवीं सूचना, श्री राम चन्द्र यादव की है (अनुपस्थित), तेरहवीं सूचना, श्री राजेश कुमार की जनपद खीरी के पैला क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों को लोक निर्माण विभाग अथवा मण्डी समिति के माध्यम से पेन्टेड रोड कराये जाने के सम्बन्ध में है (सूचना पढ़ी हुई मानी गयी), चौदहवीं सूचना, श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहाँपुर के मान्यता प्राप्त कतिपय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सहायक लिपिक के पदों पर तैनाती करने के सम्बन्ध में है (सूचना पढ़ी हुई मानी गयी), पन्द्रहवीं सूचना, श्री आर0 एस0 कुशवाहा की जनपद खीरी के निघासन क्षेत्रान्तर्गत ग्राम-तिकोनिया में पक्की पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है (सूचना पढ़ी हुई मानी गयी)।

चूँकि क्रम संख्या 12 पर श्री राम चन्द्र यादव अनुपस्थित हैं इसलिए उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची में से श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह) की सूचना जो कि जनपद सुल्तानपुर के जयसिंहपुर

क्षेत्रान्तर्गत 4 गांवों के विद्युतीकरण हेतु पूर्वान्चल विकास निधि द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में है (सूचना पढ़ी हुई मानी गयी), को स्वीकृत किया जाता है।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयीं वह हैं--श्री बीजू पटनायक, श्री राम करन आर्य तथा श्री नवाब सिंह नागर।

(पढ़ी गयीं तथा पढ़ी हुई मानी गयीं स्वीकृत सूचनाएं संलग्न हैं।)

जनपद शाहजहाँपुर में औषधि-निरीक्षक के रिक्त-पद पर नियुक्ति करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मिथिलेश कुमार--

[मान्यवर, जनपद शाहजहाँपुर में विगत ढाई वर्ष से किसी औषधि निरीक्षक की नियुक्ति न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। जनपद शाहजहाँपुर में विगत ढाई वर्ष से औषधि निरीक्षक का पद रिक्त चल रहा है अभी किसी औषधि निरीक्षक की नियुक्ति नहीं की गयी है। जिसके कारण कोई औषधि लाइसेंसिंग स्वीकृत अधिकारी नहीं है जिसकी वजह से शाहजहाँपुर में बेरोजगारों को मेडिकल स्टोर के लाइसेंस नहीं बन पा रहे हैं। ड्रग इन्सपेक्टर न होने के कारण शाहजहाँपुर में नकली दवाईयां बिक रही हैं।

अत: लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल ड्रग इन्सपेक्टर की नियुक्ति किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

लखनऊ में गैस सिलेण्डरों में पानी भरने वालों एवं कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

[मान्यवर; उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रसोई गैस सिलेण्डर (एल0पी0जी0) से गैस निकालकर खुलेआम पानी भरा जा रहा है और निकाली गई गैस से छोटे सिलेन्डर भरे जा रहे हैं, यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि जितनी तौल में गैस बड़े गैस सिलेण्डरों से निकाली जाती है उसी के बराबर सिलेन्डर में पानी भर दिया जाता है। इस समय एल0पी0जी0 कम्पनियों ने गैस सिलेन्डर तौलकर देने का अभियान चला रखा है। इस परिस्थिति में यदि बड़े सिलेन्डरों से थोड़ी गैस निकाल ली जाए तो यह चोरी आसानी से पकड़ में आ जाती है, इसलिए जालसाज प्रकृति के लोग सिलेन्डर को तौलकर पानी की मिलावट कर रहे हैं ताकि यह धोखाधड़ी पकड़ में न आये। इस गोरखधन्धे को रोकने के लिए और जनता को नुकसान न पहुँचने पाए इसलिए अविलम्ब धोखेबाजों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है और जगह-जगह पर जो चोरी-छिपे ब्लैक में गैस सिलेन्डरों की सप्लाई होती है उसे रोका जाना जनहित में आवश्यक है तथा अवैध रूप से भरकर बेचे जा रहे छोटे सिलेन्डरों पर भी रोक लगायी जाए। अत: लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए गैस सिलेन्डरों में पानी भरने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा काला बाजारी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।]

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-बुलन्दशहर की तहसील शिकारपुर परिसर के रुके कार्यों को पूर्ण कराने तथा वकीलों के चैम्बर बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुंशी लाल गौतम--

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र की तहसील शिकारपुर, जनपद-बुलन्दशहर का निर्माण कार्य लगभग 5 वर्ष पूर्व कराया गया था जो आज तक अपूर्ण है और वकीलों के लिए कोई चैम्बर आदि की व्यवस्था नहीं की गयी है तथा पानी की टंकी, बिजली की लाइन, सड़क तथा आवासों में रहने की सुविधा आज तक सुचारू रूप से नहीं हो पायी है। तहसील परिसर के रुके कार्य को पूर्ण कराने के साथ-साथ वकीलों के चैम्बर निर्माण कराये जायें।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

आजमगढ़ सदर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत/पुन: निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव--

[मान्यवर, मैं प्रक्रिया नियमावली के नियम-301 के अन्तर्गत सदन का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र सदर आजमगढ़ के अन्तर्गत आने वाले निम्न मार्गों की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं जिसके कारण आवागमन बाधित हो रहा है और जनता को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है :--

1--भवरनाथ से तहवरपुर मार्ग-10 कि0मी0

2--गोरा ओरा मार्ग-3 कि0मी0

3--तहवपुर बेरमपुर मार्ग से कोइनहाँ मार्ग-5 कि0मी0

4--सोफीपुर मुस्लिम पट्टी मार्ग-10 कि0मी0

5--शहर बाई पास मार्ग से ममरखापुर मार्ग-4 कि0मी0

6--आजमगढ़ दोहरी घाट मार्ग से मनचोभा तक-3 कि0मी0

7--शहर बाई पास का बांध वाला मार्ग-4 कि0मी0

8--सोफीपुर मुस्लिम पट्टी मार्ग से दरदरा मेठी होते हुए तहवरपुर बेरमपुर मार्ग-5 कि0मी0

अत: मैं अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आजमगढ़ मण्डल के अन्तर्गत आने वाले उक्त मार्गों के तत्काल पुनर्निर्माण/मरम्मत हेतु धन अवमुक्त किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद फतेहपुर के बिन्दकी क्षेत्रान्तर्गत मुगुल रोड से बिजुरी मार्ग की टूटी पुलिया का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमरजीत सिंह 'जनसेवक'--

[मान्यवर, मैं एक अविलम्बनीय लोकमहत्व की सूचना अपनी विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी, जनपद फतेहपुर को देना चाहता हूँ। बिन्दकी ब्लाक के अन्तर्गत मुगुलरोड से बिजुरी को जाने वाले मार्ग के मध्य में बनी पुलिया टूट गयी है जिससे उस क्षेत्र के सैकड़ों आने-जाने वाले

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वाहनों का निकलना बन्द हो गया जिसके परिणाम स्वरूप जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है। ट्रैक्टर व बैलगाड़ी तक का आवागमन ठप्प हो गया है।

अत: लोकमहत्व से जुड़े जनहित का विषय है जो अविलम्बनीय व तात्कालिक है सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मुगल रोड से विजुग जाने वाले मार्ग की टूटी पुलिया के शीघ्र निर्माण की मांग करता हूँ।]

गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्रान्तर्गत स्याना चौपले से रेलवे क्रासिंग पर फ्लाई ओवर बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन चौहान--

[मान्यवर, गढ़ मुक्तेश्वर कस्बे में नेशनल हाइवे से स्याना गढ़ रोड चौपले से रेलवे क्रासिंग की दूरी बहुत कम होने से रेलवे फाटक बन्द होने पर दूर तक हाइवे तक जाम लग जाता है जिससे कई रास्तों का आवागमन प्रभावित होता है। जनता बेहद परेशानी का सामना करती है तथा फाटक बहुत समय व छोटे अन्तराल से बन्द रहता है क्योंकि गढ़ मुक्तेश्वर ब्रजघाट तीर्थ नगरी है, पर्यटन स्थल है। दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं। सरकार विकसित करना चाहती है। इसलिए पुल निर्माण फ्लाई ओवर शीघ्र व अत्यन्त आवश्यक है। अत: सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।]

निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार द्वारा लिपिक संवर्गीय कर्मचारियों की कोटिक्रम सूची में अस्थायी एवं तदर्थ कर्मचारियों को भी सम्मिलित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 सुशील चौधरी--

[मान्यवर, मैं सदन के माध्यम सेआपका ध्यान लोकमहत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की तरफ दिलाना चाहता हूँ। निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-सी-866/बा0 वि0 परि0/स्था-3/2001-2002, दिनांक 12-12-2001 के द्वारा लिपिक संवर्गीय कर्मचारियों की अन्तिम कोटिक्रम सूची वरिष्ठ सदस्यों की कमेटी की संस्तुति दिनांक 29-11-2001 के क्रम में जारी की गयी है। इस अन्तिम कोटिक्रम सूची में अनियमित, अस्थायी एवं तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों को सम्मिलित नहीं किया गया था और अवैध रूप से नियुक्त कर्मचारियों को सम्मिलित नहीं किया गया था और अवैध रूप से नियुक्त कर्मचारियों के प्रत्यावेदनों को भी तत्कालीन निदेशक द्वारा निदेशालय के विभिन्न पत्रों के माध्यम से निस्तारित कर दिया गया था। पुन: निदेशालय के पत्र संख्या-सी-180/बा0वि0परि0/स्था-2/2003-2004, दिनांक 8-5-2003 एवं पत्र संख्या-सी-181/बा0वि0परि0/स्था-2/2003-2004, दिनांक 8-5-2003 के द्वारा नियुक्ति अधिकारी से भिन्न अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से नियुक्त कर्मचारियों को कनिष्ट सदस्यों की कमेटी की संस्तुति दिनांक 24-12-2002 के आधार पर योगदान की तिथि से मौलिक नियुक्ति की तिथि घोषित करते हुए नियमित एवं मौलिक रूप से नियुक्त कर्मचारियों के नाम के ऊपर कर दिया गया है जिससे नियमित एवं मौलिक रूप से नियुक्त कर्मचारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है और सरकार पर भी वित्तीय बोझ डाला गया है तथा कर्मचारियों में भी रोष व्याप्त है।

अत: आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त मामले में सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अम्बेडकर नगर में क्षतिग्रस्त माया टाण्डा राज्य मार्ग को हाट मिक्स प्लांट से बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लाल जी वर्मा--

[मान्यवर, जनपद अम्बेडकर नगर में माया टाण्डा राजमार्ग अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गया है। उक्त मार्ग जनपद-अम्बेडकर नगर का महत्वपूर्ण मार्ग है। आजमगढ़, बलिया, मऊ तथा लखनऊ से आने वाली समस्त रोडवेज की बसें तथा एन0टी0पी0सी0 टाण्डा से चलने वाले समस्त वाहन उक्त मार्ग से ही चलते हैं। जिसके कारण उक्त मार्ग गढ्ढे में तब्दील हो गया है, जिससे आम जनता को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अस्तु इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त मार्ग को हाट मिक्स प्लान्ट से बनाये जाने की मांग करता हूँ।]

गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित विद्युतीकरण हेतु 5 ग्रामों में से अवशेष ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम विशुन आजाद--

[मान्यवर, आपको सादर अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा मनकापुर के अन्तर्गत बहुत से ऐसे गांव हैं जो विद्युत से वंचित हैं जिस गांव में विद्युत नहीं हैं वहां के लोग अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। पूर्व सरकार में पाँच ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु अपना प्रस्ताव मेरे द्वारा दिया गया था जिन गांवों का प्रस्ताव दिया गया है वह गांव निम्न हैं :--

1-टीकर डोमई, 2-बहराडीहा भवानी पाण्डेय पुरवा, 3-ईटैला बुजुर्ग, 4-गैजड़ा बेल्हानियां, 5-मधवापुर, इन ग्रामों में से मात्र क्रम संख्या 1 टीकर डोमई का ही विद्युतीकरण किया गया शेष ग्रामों में कहीं-2 विद्युत पोल गड़े हुए हैं तो कहीं तार पड़े हुए हैं इस तरीके से कई ग्रामों में विद्युत सामग्रियाँ पड़ी हुई है लेकिन विभाग द्वारा विद्युतीकरण नहीं कराया जा रहा है। क्रम संख्या-5 मधवापुर में कोई विद्युत सामग्री नहीं गिराई गई है। इस तरीके से सारे कार्य अधूरे पड़े हुए हैं यहाँ तक कि वर्ष 1999 में मेरे द्वारा अपने विधायक निधि से ग्राम सोहांस प्रधानपुरवा के विद्युतीकरण हेतु अपना प्रस्ताव दिया था परन्तु आज तक विद्युतीकरण नही हो पाया। इस जन कल्याणकारी सरकार में जनता की आशाएं हैं कि हमारे अधूरे काम पूरे होंगे।

अत: इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए आवश्यक कार्यवाही करने एवं उक्त अवशेष पड़े सभी विद्युत ग्रामों का विद्युतीकरण कराने की मांग करता हूँ।]

जनपद आजमगढ़ के फूलपुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम नरेश यादव--

[मान्यवर, आजमगढ़ जनपद में फूलपुर विधान सभा क्षेत्र के सभी सम्पर्क मार्ग बहुत ही खराब हो गये हैं, जिससे आवागमन में बड़ी कठिनाई जनता महसूस करती है। कई बार प्रस्ताव भी

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मरम्मत के लिए मांगे गये, किन्तु आज तक कोई कार्य नहीं किया गया। विशेष रूप से 1-पवई-सरायपुल, 2-पवई-मित्तूपुर, 3-फूलपुर-माहुल, 4-माहुल से अहरौला, 5-शाहपुर, 6-अहरौला से बसही कोतवालीपुर से खजुरी, फूलपुर राजवाहा की पटरी, फूलपुर से मुड़ियार मार्ग को जोड़ने वाली फूलपुर से शमशाबाद, अम्बारी से ओरिल आदि सभी सड़कों की सूची पी0डब्लू0डी0 अधिकारियों के पास है। धन के अभाव में मरम्मत नहीं हो पा रही है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि फूलपुर विधान सभा के उपरोक्त सम्पर्क मार्गों की मरम्मत शीघ्र करा दी जाय।]

महाराष्ट्र एवं लक्षद्वीप की भाँति उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिम एवं ईसाई बिरादरियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वसीम अहमद--

मान्यवर, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत के संविधान में सामाजिक बराबरी के जिस मौलिक अधिकार के सिद्धान्त को मान्यता दी गई है इसका आधार धर्म नहीं है। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह भारत के सभी नागरिकों के कानून बनाये। संविधान में पिछड़ेपन की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गयी है कि सभी धर्मों के पस्त बिरादरियों को तरक्की का हक प्राप्त हो संविधान की धारा-341 के अन्तर्गत दलितों को अनुसूचित के जाति में सम्मिलित करना इसी दिशा में एक कदम था लेकिन दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि वर्ष 1950 में राष्ट्रपति महोदय के एक आदेश से सभी गैर हिन्दू दलितों को अनु0 जाति की सूची से हटा दिया और बाद में सिख एवं बौद्ध दलितों को तो पुनः उसमें सम्मिलित कर लिया गया लेकिन मुस्लिम एवं ईसाई के बिरादरियों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया था कि वह दलित समाज का ही एक रूप है सामाजिक शैक्षणिक एवं आर्थिक आधार पर इन जातियों की हालात भी वैसी ही शोचनीय है जैसी दूसरी दलित जातियों की, इससे संविधान की मूल भावना का उल्लंघन हो रहा है जिसके परिणाम स्वरूप मुस्लिम समाज एवं ईसाई समाज के स्वीपर, मोची, धोबी, फकीर, कलन्दर, गोरियां, परिसया, जोगी, नट, कंकाली, बंजारा, पवरिया, गदला जाति की मिढियारा, मनिहार, हज्जाम, मन्सूरी, राईन व केरशी आदि जाति की स्थिति गुलाम भारत के समय जैसी ही रह गयी है जबकि महाराष्ट्र एवं लक्षद्वीप जैसे क्षेत्रों में कुछ जातियों को अनु0 जन जाति में सम्मिलित किया गया है किन्तु उ0 प्र0 जैसे अनेक राज्यों में आज तक न्याय नहीं मिल सका है जिसके कारण यह जातियां सामाजिक शैक्षणिक एवं राजनीतिक लाभ से वंचित है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए जनप्रिय सरकार से अनुरोध है कि वह इस विषय को अपनी संस्तुति के साथ केन्द्र सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे मुस्लिम एवं ईसाई समाज को भी इन्साफ मिल सकें।

जनपद खीरी के पैला क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों को लोक निर्माण विभाग अथवा मण्डी समिति के माध्यम से पेन्टेड रोड कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश कुमार--

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा तिरपन पैला जनपद-लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत ब्लाक बाकेगंज में प्रतापपुर पी0 डब्लू0 डी0 रोड से पेन्टेड रोड निर्माण कार्य व महारतला

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पेन्टेड रोड से अन्नापुर होते हुए गोला बाकेगंज (पी0डब्लू0डी0) निर्माण कार्य कराये जाने हेतु संसारपुर से ग्राम आसौवा तक पेन्टेड रोड, ग्राम पसियापुर से शिरदारपुर तक पेन्टेड रोड का निर्माण कार्य, ब्लाक लखीमपुर में ग्राम बेल से परसैरा होते हुए शंकरपुर मण्डी रोड तक पेन्टेड रोड निर्माण कराने हेतु ग्राम सियाथू नलकूप से तुलसीपुर होते हुए ग्राम बेल तक पेन्टेड रोड निर्माण हेतु उक्त मार्गों का निर्माण न होने से किसानों को मण्डी तक अपनी फसल लाने और ले जाने तक किसानों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है जिससे किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है।

अत: इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न उक्त मार्गों को पी0डब्लू0डी0 से अथवा मण्डी समिति के माध्यम से उक्त मार्गों को पेन्टेड रोड कराये जाने की शासन से मांग करता हूँ।]

जनपद शाहजहाँपुर के मान्यता प्राप्त कतिपय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सहायक लिपिक के रिक्त पदों पर तैनाती करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

[मान्यवर, शाहजहाँपुर के मान्यता प्राप्त तथा सरकारी अनुदान प्राप्त गांधी विचार-प्रचार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुर्रियाकलां, शाहजहाँपुर, बिनोवा भावे उ0 मा0 विद्यालय, कांट शाहजहाँपुर, सेवाराम नत्थू लाल इण्टर कालेज, जोगराज, शाहजहाँपुर में सहायक लिपिक के पद रिक्त हैं तथा जनहित में इन पदों पर सहायक लिपिक की तैनाती आवश्यक है। बिना सहायक लिपिक के विद्यालयों का कार्य बहुत बुरी तरह प्रभावित होता है। शाहजहाँपुर जनपद में कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर अतिरिक्त सहायक लिपिक कार्यरत हैं। यदि जिला स्तर पर ही समायोजन हो जाये तो समस्या का हल हो सकता है। उपरोक्त विद्यालयों में सहायक लिपिक तैनात करवाने हेतु कार्यवाही अपेक्षित है।

लोकमहत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से माध्यमिक शिक्षा मंत्री से सहायक लिपिकों के खाली पदों पर तैनाती की मांग करता हूँ।]

जनपद खीरी के निघासन क्षेत्रान्तर्गत ग्राम तिकोनिया में पक्की पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आर0 एस0 कुशवाहा--

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद-खीरी की तहसील निघासन के ग्राम-तिकोनिया में हजारों लोग रहते हैं। जिनको गाँव से बाहर आने-जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। गाँव के किनारे बहुत गहरा नाला है जिस पर ग्राम के लोगों ने लकड़ी की छोटी सी पुलिया बना रखी है। उसी से पैदल आ जा सकते हैं। तिकोनिया ग्राम-नेपाल बार्डर पर स्थित है। शासन द्वारा बार्डर योजना में पक्की पुलिया निर्माण के लिए आश्वासन दिया गया था लेकिन अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है।

अत: इस अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के प्रश्न पर शासन से ग्राम-तिकोनिया के लोगों को आने जाने हेतु नाला पर एक पुलिया बनाये जाने की माँग करता हूँ।]

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सुल्तानपुर के जयसिंह पुर क्षेत्रान्तर्गत चार गांवों के विद्युतीकरण हेतु पूर्वांचल विकास निधि द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)--

[मान्यवर, जनपद-सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र जयसिंह पुर में पूर्वांचल विकास निधि के जिलांश से मेरे द्वारा 15 जुलाई, 2004 को चार गाँव का विद्युतीकरण कराये जाने का प्रस्ताव मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से आयुक्त फैजाबाद मण्डल को भेजा गया है। जिसमें ग्राम काछाभिटवरा ग्राम पुरुषोत्तमपुर चौहान तथा दरिपीपुर गाँव का बिद्युतीकरण प्रस्तावित था परन्तु 6 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पूर्वांचल विकास निधि की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृत्ति आयुक्त फैजाबाद मण्डल से अभी तक नहीं हो पायी है जिसके कारण उपरोक्त गाँव का विकास अवरुद्ध हो गया है। 6 महीने से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी आयुक्त फैजाबाद द्वारा भेजे गये प्रस्ताव पर कोई निर्णय न लिये जाने के कारण उपरोक्त गाँव के निवासियों में रोष व्याप्त है तथा क्षेत्रीय लोगों का मानना है कि अनावश्यक रूप से प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही तथा अरुचि के कारण विकास बाधित हो रहा है।

अत: इस लोक महत्व के विकास के विषय पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 25-2-2005 को नियम-300 के अन्तर्गत कुल तीन सूचनाएं प्राप्त हुई। इसमें पहली सूचना डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कृत कार्यवाही की जानकारी प्राप्त न होने के सम्बन्ध में है, इसको सुना जायेगा। दूसरी सूचना, श्री अकीलुर्रहमान की प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों के उद्घाटन में क्षेत्रीय विधायक की उपेक्षा एवं उद्घाटन शिलापट पर विद्यायक का नाम न लिखे जाने के सम्बन्ध में तथा तीसरी सूचना, डॉ0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी जी की मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थाई समितियों की बैठक न बुलाये जाने के सम्बन्ध में है, इसे 01 मार्च की बैठक में लिया जायेगा। अब मैं डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर जी की सूचना को ले रहा हूँ।

नियम 51 के अन्तर्गत तीन माह पूर्व हंडिया डिग्री कालेज, इलाहाबाद की स्वीकृत सूचना का उत्तर अभी तक न मिलने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग विभिन्न नियमों के तहत सूचनाएं देते हैं और यह सूचनाएं आपके माध्यम से स्वीकार होती हैं। मैंने 19 नवम्बर को नियम-51 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी, कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में आवश्यक एवं अपेक्षित संशोधन कराये जाने के सम्बन्ध में और यह नियम-51 के अन्तर्गत स्वीकार की गयी। आपने इसमें शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या-14-ख/19 की अपेक्षानुसार कार्यवाही कर सम्बन्धित मा0 सदस्य तथा इस सचिवालय को यथाशीघ्र अवगत कराने का निदेश दिया था।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मान्यवर, इसमें तीन महीने हो गये हैं और मुझे अभी तक इसका कोई उत्तर नहीं मिला है। मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इलाहाबाद में हंडिया में डिग्री कालेज है यह अनेक वर्षों से चला आ रहा है और इसमें हजारों छात्र पढ़ चुके हैं और इस समय हजारों छात्र पढ़ रहे हैं। यह कानपुर विश्वविद्यालय से बेहद दूर था इसलिए इसे वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय, जौनपुर से सम्बद्ध कर दिया गया था। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1990 द्वारा उ0 प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-5 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप धारा बढ़ाने का निर्णय, दिनांक 21 सितम्बर, 1990 को लिया गया था। मैं इसकी उपधारा को यहाँ पर नही पढ़ना चाहूँगा। उपरोक्त अध्यादेश को पुनर्जीवित करते हुए शासन द्वारा 15 फरवरी, 1991, 3 अप्रैल, 1991, 16 मार्च, 1992, 18 मई, 1992 तथा 29 नवम्बर, 1992 को उ0 प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 मे आवश्यक संशोधन किये गये। शासन की यह जिम्मेदारी थी कि जो निर्णय लिया गया था उसको लागू करते।

श्री अध्यक्ष--

माननीय गौर साहब, आपने जो सूचना दी थी नियम-51 के अन्तर्गत, उस पर कृत कार्यवाही की जानकारी प्राप्त न [illegible] के सम्बन्ध में यह नियम-300 के अन्तर्गत विषय उठाया है। आप तो विद्वान सदस्य हैं उस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं ?

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि भूलवश शासन द्वारा 29 नवम्बर, 1992 के बाद उ0 प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा में संशोधन हेतु अध्यादेश जारी नहीं किया गया है, जिसके फलस्वरूप हंडिया डिग्री कालेज, इलाहाबाद को कानपुर विश्वविद्यालय से पूर्वांचल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने के निर्णय पर प्रश्नचिन्ह लग गया है ?

श्री अध्यक्ष--

मैंने इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया था अगर इसका परिणाम होता तो उसके बारे में छानबीन करके समुचित उत्तर दे देते। आप तो विद्वान सदस्य हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

मान्यवर, आपकी तरफ से उत्तर आ गया है।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, नियम-51 में उत्तर नहीं मिला तो मैंने इसे औचित्य के माध्यम से उठाया है। हजारों छात्र इसमें पढ़ने जाते हैं। आप इस पर शासन को इंगित कीजिये।

श्री अध्यक्ष--

आपने प्रश्न पूछा था लेकिन उसका उत्तर नहीं दिया गया। आपने इसे औचित्य के प्रश्न के माध्यम से उठाया। इसमें नियमों में प्राविधान है कि अगर समुचित उत्तर न आये तो और भी नियम हैं नियमावली में उसके माध्यम से आप ला सकते हैं।

श्री सतीश महाना--

मान्यवर, आप संसदीय कार्य मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट हैं ?

श्री अध्यक्ष--

गार साहब, मैं आपके औचित्य के प्रश्न को स्वीकार नहीं करता हूँ फिर भी शासन को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नों का जवाब समय से दे दिया करें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, इस प्रकार के निर्देश आपसे सुनने में अच्छे लगते हैं। आप सरकार को भी इस बात के लिए निर्देशित कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। पिछले आठ-दस सालों से ऐसा नहीं हो रहा था।

श्री अध्यक्ष--

अब मैं मद संख्या-03 लेता हूँ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2004-2005 का द्वितीय) अनुपूरक विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव, विधान सभा--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2004-2005 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2005 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 18 फरवरी, 2005 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 18 फरवरी, 2005 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 23 फरवरी, 2005 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2005 का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या-4, 5, 6, 7 में कुछ नहीं है। अब मैं मद संख्या-08 लेता हूँ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

*श्री रामवीर उपाध्याय--

मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र के गांव तंगवाड़ा में एक प्राइमरी पाठशाला का शिलान्यास किया गया था। मान्यवर, पाठशाला का निर्माण मानक के अनुसार नहीं किया गया था, उसकी छत इतनी कमजोर थी कि गांव का कोई भी बच्चा उसकी छत के नीचे बैठ कर पढ़ने को तैयार नहीं था। जब इस सम्बन्ध में गांव के लोगों ने मुझसे शिकायत की तो मैंने पाठशाला की ऐसी स्थिति को देखते हुए उसका शिलान्यास करने से मनाकर दिया और उनसे कहा कि मैं इस सम्बन्ध में जिले के कलेक्टर और सी0डी0ओ0 से बात करूँगा और उनसे ग्राम प्रधान की तथा इसमें शामिल लोगों की शिकायत करूँगा। इस पर ग्राम प्रधान ने 08 फरवरी, 2005 को हमारे फिरोजाबाद के सांसद रामजी लाल सुमन को बुला करके और एस0एस0पी0 तथा डी0एम0 को बुला करके उस पाठशाला का शिलान्यास करा दिया। मान्यवर, मैं जब उस गाँव से निकलता हूँ तो उस गाँव के लोगों ने मुझे घेर कर कहा कि पाठशाला का लोकार्पण गलत तरीके से करा दिया गया है, यह अच्छी स्थिति नहीं है तो मैंने उनसे कहा कि मैं डी0एम0 और उच्च अधिकारियों से इस सम्बन्ध में बात करूँगा। मान्यवर, 19 फरवरी, 2005 को मैं और मेरी पत्नी श्रीमती सीमा उपाध्याय जो जिला पंचायत की उपाध्यक्ष हैं, आ रहे थे, गाँव के कुछ आदमी या ग्राम प्रधान के जो कुछ आदमी जो शिलान्यास हुआ था उसे तोड़ देते हैं, तो मुझे पता चलता है कि इस सम्बन्ध में एक झूठी एफ0आ[illegible]आर0 थाने में दर्ज करा दी गई है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, फिरोजाबाद के सांसद को मेरे क्षेत्र में आकर इस तरह से लोकार्पण नहीं करना चाहिए था और अगर कर भी दिया तो उसके बाद अगर उसको गाँव के लोगों ने या ग्राम प्रधान के ही लोगों ने तोड़ दिया तो जिसने उसे तोड़ा है उसके खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज करानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा न करके मेरे, मेरे भाई और नौ अन्य लोगों के खिलाफ एफ0आई0आर0 लिखा दी गई। जिसमें महेश चन्द्र अग्निहोत्री नाम का आदमी रेलवे ड्राइवर है और अलीगढ़ में उसकी ड्यूटी थी, वह उस समय ड्यूटी पर था, उसे भी कार्यवाही के तहत जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद मान्यवर, मैंने आपसे इस सम्बन्ध में अनुरोध किया और आपने मेरे सामने एस0एस0पी0 से बात की, आपके द्वारा इस सम्बन्ध में बात करने के बावजूद भी महेश अग्निहोत्री और राजेन्द्र यादव को जेल भेज दिया जाता है।

मान्यवर, जबकि मैंने इसकी बाबत एस0एस0पी0, डी0एम0 और कमिश्नर को बताया, आपको मान्यवर बताया, व्यक्तिगत रूप से लिखकर प्रमुख सचिव, गृह से मिल रहा हूँ कि आपके पास पूरी इंटेलीजेंस है ३.' इसको देख लें। अगर इसमें एक परसेंट भी बात सत्य है तो आप बतायें। मैं और मेरे भाई ने अगर तू-तू, मैं-मैं ही की हो, गोली चलाना तो दूर की बात है। मेरे समर्थकों का वहां उत्पीड़न किया जा रहा है। रिपोर्ट जिला लोकदल के अध्यक्ष ने लिखायी है।

मान्यवर, यह गम्भीर प्रश्न है इस पर सारे सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा करायी जानी चाहिए। मान्यवर, एक तो किसी विधायक के विधान सभा क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र के प्रतिनिधि को लोकार्पण नहीं करना चाहिए था। मैं जब ऊर्जा मंत्री था तो मैंने 220 के0वी0ए0 के स्टेशन का लोकार्पण किया था अगर माननीय मुख्य मंत्री या ऊर्जा मंत्री किसी कार्य का लोकार्पण करते हैं तो अच्छी बात है। मैं विधायक हूँ, स्कूल मैं बनवा रहा हूँ प्रस्ताव मैं उसका दे रहा हूँ और उसकी बाबत शिकायत कर रहा हूँ कि इसे मानक के अनुसार बनवाया जाय, मैं मान्यवर, नहीं समझ पा रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के सांसद का उसमें क्या इंटेशन था, मुझे यह लगता है कि मेरी शिकायत पर उस जांच से बचने के लिए सांसद जी को इसमें बीच में बुलाया गया है। मान्यवर, इस घटना से दुनिया भर का बवाल वहां आज हाथरस में मचा हुआ है हम लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और उसमें निर्दोष लोगों का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। मैंने थाने जाकर कहा है कि अगर आपको गिरफ्तारी करनी है तो मुझे गिरफ्तार कर लो। मान्यवर, अगर आप चाहें तो हमारे यहां जो साथी बैठे हुए हैं हम बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों को चाहें तो छोड़ दें, एक कमेटी बनाकर आप निष्पक्ष जांच करवा लें। अगर मेरी बात गलत होगी तो मैं राजनीति से और सदन से सन्यास ले लूँगा।

*संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

मान्यवर, यह वाक्या आपके संज्ञान में भी है। मैं भी उस वक्त आपके पास मौजूद था और आपने टेलीफोन किया था और काफी चिन्ता भी व्यक्त की थी। उसके बाद की सूचनायें भी आपके पास है। मान्यवर, शिलान्यास या उद्घाटन के मामले में मुझे यह कहना है कि यदि सांसद निधि से विधायक निधि का पैसा उसमें लगा है तब तक तो बाध्यता है, अन्यथा जिलाधिकारी या सरकार को इस बात का अधिकार है कि शिलान्यास या उद्घाटन जिससे चाहे उससे करवा लें।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, खुद मेरे अपने क्षेत्र में जिसकी मैंने बहुत सी योजनायें बनायी थीं, जिनको मैंने मंजूर कराया था, उसमें मेरे नाम का पत्थर नहीं लगा। लेकिन उसकी मुझे शिकायत नहीं है, न मैं उस पत्थर को तोड़ने ही गया न प्रधान के घर जाकर उसे कोई बन्दूक दिखायी, न कोई मारपीट की घटना की। मान्यवर, अगर हमें कोई विरोध प्रकट करना हो तो उसके अन्य तरीके भी है। मान्यवर, मुझे याद है मेरे यहां सिविल लाइन्स के थाने के पास, हाईवे के बिल्कुल दाहिने में एक को आपरेटिव बैंक बना था, मैं उस समय यहां को आपरेटिव विभाग का मंत्री था, हमारे लोगों ने उस कार्यक्रम का विरोध किया था लेकिन उसमें हम लोगों ने शांति पूर्ण गिरफ्तारियां दी थी। न कोई पत्थर तोड़ा था न किसी विधायक के घर गये, न कोई बन्दूक किसी को दिखायी थी, न उसमें हम कोई मुल्जिम बने, न कोई धारा हम पर लगी। मान्यवर, इसमें एक मुकदमा कायम हुआ है, पत्थर टूटा है, यह एक सच्चाई है, जब यह कार्य हुआ है तो उसे करने वाले लोग भी हैं और मान्यवर, जब माननीय विधायक को इस बात की पूरी जानकारी है तो इतनी भी जानकारी होगी कि वे लोग कौन हैं उनकी तरफ आप इंगित कर दें। मान्यवर, एफ0आई0आर0 नामजद है तो उसमें कार्यवाही हो सकी है। मान्यवर, अभी चार रोज पहले यहां चर्चा हुई थी कि पूरे मामले की जांच करा दीजिये, लेकिन हमने कहा था और उससे असहमति जाहिर करते हुए कहा था बल्कि सख्त विरोध किया था कि जिनके नाम एफ0 आई0 आर0 में है वह बिल्कुल नहीं बचने चाहिए। मान्यवर, फिर क्या रह गया एफ0आई0आर0 का औचित्य ? अगर उसमें नाम है तो उनकी जांच होगी। अगर वह नाम सही है तो वह एफ0 आई0 आर0 रहेगी अगर नाम सत्य नहीं है तो वह नहीं रहेगी। मान्यवर शब्द इन्वेस्टीगेशन बना है तो इसमें जांच की बात है। अगर माननीय सदस्य उसमें नहीं है तो कुछ नहीं होगा।

श्री रामवीर उपाध्याय--

मान्यवर, झगड़ा तो कुछ हुआ ही नहीं।

श्री अध्यक्ष--

आप पहले संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन लें।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, यह भी जांच का मुद्दा है। यह झगड़ा नहीं हुआ, पत्थर खुद से टूट गया। कभी-कभी ऐसा भी होता है, कभी पत्थर खुद से टूट जाते हैं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इस घटना का संज्ञान आपको है, माननीय सदस्य का यह कहना है कि हम उस समय नहीं उपस्थित थे और मेरा नाम डाल दिया गया है। वह कह रहे हैं कि अगर मैं उस समय हूं तो राजनीति से सन्यास ले लूँगा।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, इतना ही माननीय सदस्य का कहना नहीं है उनका कहना है कि वह नहीं थे, उनके भाई नहीं थे और अन्य लोग जो उसमें नामजद किये गये हैं, प्रताड़ित किये जा रहे हैं उनमें से कोई नहीं था तो यह जांच करा ली जायेगी स्वयं से तो पत्थर नहीं टूट गया, पत्थर में कोई ऐसी शक्ति तो नहीं आ गयी कि वह स्वयं में टूट गया। यह भी दिखवा लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

इसको गम्भीरता से दिखवा लीजिए कि जो लोग हैं, उनको अनावश्यक परेशान न किया जाय।

श्री राम वीर उपाध्याय--

मान्यवर, आपने स्वयं एस0एस0पी0 से बात की है और एस0एस0पी0 कहते हैं कि उसमें कोई झगड़ा नहीं हुआ ये लोग निर्दोष हैं लेकिन वह कहते हैं कि क्या करें ऊपर से आदेश है ?

श्री अध्यक्ष--

इस मामले की छानबीन हो रही है, दो आदमी पकड़े गये हैं, आपको कोई परेशान नहीं कर रहा है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, जैसा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को जांच कराने के लिए कहा और कहा निर्दोष आदमी परेशान नहीं किया जाये अब इतना निवेदन मेरा आपसे है कि जांच हो, यह सत्र चल रहा है और हम चाहते हैं कि 2-4 दिन में यहाँ जांच रिपोर्ट आ जाय ताकि जो प्रताड़ना चल रही है, उसमें अंकुश लगाया जा सके।

श्री रामवीर उपाध्याय--

मान्यवर, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--

अब हो गया, आप बैठें, आप मुझसे अलग से मिल लीजिएगा।

*श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)--

मान्यवर, इसकी न्यायिक जाँच करवा ली जाय। माननीय सदस्य का कहना है कि स्थानीय पुलिस दबाव में नाजायज कर रही है। इसलिए इस प्रकरण में न्यायिक जाँच करा ली जाय।

श्री अध्यक्ष--

निर्दोष लोगों को परेशान न किया जाय और गम्भीरता से इसकी जाँच करा ली जाय, यह मैंने कह दिया है।

श्री रामवीर उपाध्याय--

मान्यवर, उन्होंने लोकार्पण कर दिया।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

माननीय अध्यक्ष जी, आपने अभी माननीय सदस्य को सुना।

श्री अध्यक्ष--

और आपको भी सुना।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कह दिया कि दो बार इस रिपोर्ट के बाद वह थाने जा चुके हैं, 307 की रपट आपके खिलाफ है अगर आपके खिलाफ कोई पक्षपातपूर्ण कार्य करना होता, अपमानित करना होता, एफ0आई0आर0 दर्ज है उस पर कार्यवाही करनी होती तो जब आप चले ही गये थे थाने तो आपको बन्द कर दिया गया होता, एक बार नहीं दो बार आप थाने जा चुके हैं और पुलिस ने कुछ नहीं किया। इसका मतलब है कि जाँच हो रही है और निष्पक्ष जांच हो रही है।

श्री अध्यक्ष--

उपाध्याय जी, मैंने कह दिया है कि गम्भीरता से जाँच करा लें और निर्दोष लोगों को परेशान न किया जाय। यह सही है कि व्यक्तिगत रूप से आपसे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी।

श्री रामवीर उपाध्याय--

मान्यवर, सी0बी0सी0आई0डी0 से जाँच करा लें और 15 दिन में उसकी रिपोर्ट आ जाय।

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठिये।

यह माननीय नेता विरोधी दल और श्री श्यामदेव राय चौधरी की सूचना वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर स्थित दुकान में गैस सिलेण्डर के विस्फोट से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में है।

श्री श्याम देव राय चौधरी--

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने वाराणसी में मेरे विधान सभा क्षेत्र में घटित एक अत्यन्त हृदयविदारक घटना की ग्राह्यता पर बोलने का अवसर प्रदान किया, मैं आपका आभारी हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह 23 फरवरी की शाम 4 बजे की घटना है। दशाश्वमेध घाट पर पोलीथीन का शेड डालकर एक चाय की दुकान में लोग बैठे हुये हैं, चाय पीने के लिये, पान खाने के लिये लोग बैठे हुए हैं। लगभग 4 बजे दुकान के अन्दर एक भयंकर विस्फोट होता है, उस भयंकर विस्फोट की जो भयावहता है, उसका परिणाम यह होता है कि दुकान के सामने घाट पर कई लोगों की लाशें बिछ जाती हैं और इतना भयंकर विस्फोट कि धड़ कहीं पड़ा हुआ है उसका हाथ कहीं और सिर कहीं पड़ा हुआ है और मांस के लोथड़े छिटक-छिटककर के कई मीटर की दूरी पर गिरे हैं। जो घाटों पर पंडे बैठते हैं, उनकी छतरियों को आपने देखा होगा, उनमें आग लग जाती है, छतरियाँ जल जाती हैं और एक भयंकर हाहाकार मच जाता है, अफरातफरी का माहौल होता है।

सूचना पाकर पुलिस वहाँ आती है और आने के बाद पुलिस फायरब्रिग्रेड को बुलाती है और फायरब्रिग्रेड के लोग वहाँ पानी का बहाव करके जो कुछ था, उसकी धुलाई कर देते हैं और तब मौके पर ही 6 लोग गिरे हुये पाये जाते हैं, किसी का हाथ है, तो सिर नहीं और किसी का सिर है तो धड़ नहीं है, इससे इतनी भयंकर आवाज होती है कि लोग बताते हैं कि डेढ़-डेढ़, दो-दो किमी0 की दूरी पर इसकी आवाज सुनी गई। जहाँ तक आवाज सुनी गई, लोगों के अन्दर भगदड़ मच गई, दुकानें बंद होना शुरू हो गयीं, लोगों के मुख से तरह-तरह की बातें, जितने मुँह उतनी बातें। कोई सत्यता से परिचित नहीं, इस परिस्थिति में वहाँ जनता भी आती है और उसके बाद जो दृश्य दिखाई देता है, उसके अनुसार 6 लोग मौके पर ही मरे हुये पाये जाते हैं। एक व्यक्ति अजय यादव नाम का, टेम्पो चालक उसकी साँसें कुछ चल रही होती हैं, उसको लेकर लोग भागते हैं, सरकारी

अस्पताल और सरकारी अस्पताल के बारे में जैसा सर्वविदित है कि वहाँ उपेक्षा का वातावरण होता है, दवा नहीं है, डाक्टर उपस्थित नहीं हैं, वहाँ की स्थिति और मरीजों की स्थिति को देखकर लोग उसे निजी नर्सिंग होम में ले जाते हैं, वहाँ उनको भरती करते हैं, बाद में उसी दिन रात को अजय यादव की भी मृत्यु निजी अस्पताल में हो जाती है। इस तरह से इस भयंकर हादसे में 7 लोगों की मृत्यु हो जाती है।

श्री अध्यक्ष--

आपने पूरी घटना तो बता दी, आप कहना क्या चाहते हैं ?

श्री श्याम देव राय चौधरी--

मान्यवर, मैं अब एक दूसरे बिन्दु पर विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ। लोगों की जान से ज्यादा कीमती इस माननीय सदन का समय नहीं हो सकता। मुझे आप दो मिनट का अवसर और दें।

श्री अध्यक्ष--

आप चाहते क्या हैं, यह तो बता दें ?

श्री श्याम देव राय चौधरी--

मान्यवर, मैं उसी बिन्दु पर आ रहा हूँ। वहाँ पुलिस यह मानकर चल रही है कि यह सिलेण्डर में विस्फोट के कारण हुआ है, सारे अखबारों में आया है, मेरे बैग में सारे अखबार मौजूद हैं, कहें तो आपकी टेबिल पर भिजवा दूँ। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है, कि जो सिलेण्डर फटने की बात कही जा रही है, वह सिलेण्डर दुकान में मौजूद मिला तो इससे यह शंका जाहिर होती है और इस धारणा को बल मिलता है कि थोड़ी देर के पश्चात् गंगा आरती का आयोजन होना था। आयोजन के समय दो-तीन सौ लोगों को वहां पर एकत्रित होना था, अगर यह भयंकर हादसा उस समय होता, तो स्थिति और भी भयानक होती और यदि इसके पीछे कोई षड़यंत्र होता, राष्ट्रविरोधी तत्वों का षड़यंत्र होता तो इस हादसे में और भी जनधन की हानि हुई होती। मान्यवर, बनारस एक संवेदनशील क्षेत्र है और कई बार अखबारों में भी आया है कि वह असामाजिक तत्वों के निशाने पर है। मान्यवर, सिलेण्डर इंटैक्ट वहां पर मौजूद मिला है। जो सिलेण्डर की एल0पी0जी0 गैस होती है, वह लिक्विड होती है और जब वह फटता है तो वह नीचे फैल जाता है और विशेषज्ञों का कहना है कि जब वह नीचे फैलेगा तो आग लगेगी और आग के आसपास के सारे सामान स्वाहा हो जायेंगे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ।

दूसरी बात यह है कि सात लोगों की मृत्यु हो चुकी है और सारे लोगों में से कोई मल्लाह, कोई केवट, कोई टेम्पो चालक जैसे लोग थे। इसके अतिरिक्त अभी एक निजी नर्सिंग होम में पांच लोग जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह उनका खर्च वहन कर सकें। मैं लखनऊ में था, लोगों ने मुझसे सम्पर्क किया, यहां पर जैमर लगा हुआ है, इसीलिए किसी का मोबाइल काम नहीं करता है। मुझे जैसे ही सूचना मिली मैंने तुरन्त जिलाधिकारी, वाराणसी से सम्पर्क किया, उनका पहला वर्जन यही था कि चौधरी साहब आप पहले व्यक्ति हैं, जिन्होंने मुझे इस घटना की सूचना दी, उस समय लगभग छः बजे का समय था। मैंने कहा कि जिलाधिकारी महोदय, यह अत्यन्त दर्दनाक घटना है और यह लोग बहुत गरीब लोग हैं, इसलिए उनकी चिकित्सा की व्यवस्था कीजिए, आपात राहत की स्थिति में जो राहत देने का

अधिकार आपके पास हो, उसका उपयोग कीजिए। मान्यवर, मैं लगातार सम्पर्क में बना रहा एस0एस0पी0 और जिलाधिकारी, वाराणसी से और कई बार प्रयास करने के बाद लगभग 12 बजे एस0डी0एम0 सदर, ए0के0 सिंह निजी नर्सिंग होम में पहुंचे और वह भी 3 हजार रुपये के साथ में। मान्यवर, आप संवेदनशील हैं, आज अस्पतालों में यही होता है कि पैसा लाओ तब इलाज होगा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नागरिकों से चन्दा मांगने निकलते हैं और 34 हजार रुपए इकट्ठा करके अस्पताल को देते हैं। मान्यवर, आज तक कोई राहत उन्हें नहीं मिली है, वहां पर तीन विदेशी समेत एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। कुछ लोग पुलिस की कारवाई से बचने के लिए वहां से अंतर्ध्यान हो गये हैं, अभी भी अस्पताल में पांच लोग गंभीर रूप से घायल हैं, एक व्यक्ति का पूरा पेर खराब हो गया है।

श्री अध्यक्ष--

अब आपकी बात पूरी हो गयी है।

श्री श्याम देव राय चौधरी--

मान्यवर, मैं कल मुख्य मंत्री महोदय से मिला था, उन्होंने कृपया पूर्वक मेरी बात को सुना है। और सुनने के बाद उन्होंने यह आश्वासन भी दिया था कि चूंकि गरीब लोग हैं, उनको आर्थिक सहायता दें। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि लखनऊ में जो दंगा हुआ, उसमें जो निरीह लोग मारे गये, आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए प्रत्येक मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपये और प्रत्येक घायल व्यक्ति के परिजनों को 3 लाख रुपये की सहायता दी है। दुर्भाग्य की घटना में सौभाग्य का विषय है कि माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में उपस्थित हो गये हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि मनुष्य के जीवन की कोई कीमत नहीं लगायी जा सकती। लखनऊ में जो दंगा हुआ, उसमें जो सहायता दी गयी है, कम से कम समानता के व्यवहार के नाते जो सहायता लखनऊ के दंगे में मारे गये लोगों को दी गयी है, वही सहायता वाराणसी की दुर्घटना में मारे गये गरीब लोगों को व घायलों को दी जाए और उन घायलों के इलाज पर जो खर्च हो रहा है, उसको सरकार वहन करे। आपके माध्यम से एक अंतिम बात माननीय मुख्य मंत्री जी के समक्ष कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आपकी बात आ गयी। अभी और लोगों को भी बोलना है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी--

मान्यवर, इससे ज्यादा गंभीर घटना का उल्लेख नहीं होने वाला है। माननीय मुख्य मंत्री जी, संवेदनशील व्यक्ति हैं, इसलिए आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस घटना की एक उच्च स्तरीय जांच करा लें। मैं उन्हीं बातों को इसलिए दोहरा रहा हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं थे। वाराणसी संवेदनशील जगह है और राष्ट्र विरोधी ताकतों के निशाने पर है। कहीं यह घटना कोई साजिश का परिणाम तो नहीं है। यदि है तो इस संबंध में प्रशासन ऐहतियाती कारवाई करने में सक्षम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करते हुए कि लखनऊ के दंगे में मारे गये लोगों और घायलों को जो सहायता दी गयी है वही सहायता वाराणसी के इस हृदय विदारक घटना में जो मरे हैं और घायल हुये हैं उनको दें और जिनका इलाज चल रहा है, उनको

सहायता देने की घोषणा करें। माननीय अध्यक्ष जी, यह घटना अविलम्बनीय, तात्कालिक और लोकमहत्व की है, एक सुनिश्चित घटना है, इसलिए सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

*नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)--

इसमें दो बिन्दु पर मुझे कहना है। एक तो यह है कि इस घटना के संबंध में जो पुलिस की थ्योरी है, वह मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि गैस सिलेण्डर फटता है, तो आग लग जाती है और उसके टुकड़े बिखर जाते हैं जबकि सिलेण्डर का कोई टुकड़ा नहीं मिला है। इसलिए इस बात की जांच होनी चाहिए। दूसरे यह कि जो मृतक थे उनका पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया। अगर पोस्टमार्टम नहीं कराया गया तो किस घटना के छुपाने की बात हो रही थी। इतनी गंभीर घटना हो, और इतनी असंवेदनशीलता हो तो इसका मतलब यह है कि कोई षड़यंत्र हो सकता है और आगे कोई बड़ी बात हो सकती है। यह सबके चिन्ता का विषय होना चाहिए। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। पूर्वांचल में जिस तरह की शक्तियां प्रबल हो रही हैं तो ऐसा लगता है कि इस तरह की घटना करने में कहीं कोई योजना तो नहीं है। इसकी जांच किसी एजेंसी से निष्पक्ष करायें। पुलिस ने जा करके लाठड़ों को हटा दिया और लाश फुंकवा दिया तो इतने से ड्यूटी खत्म हो गयी। यह कह दिया कि सिलेण्डर फट गया है। यह अपने आपमें गंभीर लगती है। इसकी जांच करायें तथा मेरी मांग है कि जिनकी मृत्यु हुई है और जो घायल हुये हैं, उनको जो उचित समझे सरकार सहायता करे।

श्री मोहम्मद आजम खां--

चौधरी साहब ने और नेता विरोधी दल ने इस मामले को रखा है। यह बहुत गंभीर है इसीलिए इसे घटना नहीं दुर्घटना कहा गया है। दुर्घटना है और बहुत अफसोसनाक है। इससे जितनी हमदर्दी है वह कम है। चौधरी साहब ने यहां तक कहा और बिल्कुल सही कहा कि एक जिंदगी सदन के समय से कहीं ज्यादा जरूरी है। आपने इसे विस्तार से रखा और सरकार इस पक्ष में है कि इसे गंभीरता से लिया जाय लेकिन चाहे जो उद्देश्य रहा हो चौधरी साहब ने जो बात आखिर में खत्म की वह थोड़ा कण्ट का विषय है। हादसे होते हैं प्रदेश भर में होंगे पहले भी हुए हैं आगे भी होते रहेंगे। लेकिन हादसा और दंगा दो अलग-अलग चीजें हैं, लेकिन दिल की बात निकल ही आती है आपने अपने दिल की बात हादसे को दंगा पीड़ितों से जोड़कर रख दी।

श्री श्याम देव राय चौधरी--

मैं व्यवधान के लिए क्षमा प्रार्थी हूं जान तो एक ही होती है। जान की बात अलग नहीं होती है। चाहे कोई दंगे में मारा जाय या हादसे में मारा जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां--

आपके पास लम्बा तजुर्बा रहा है सरकार चलाने का। इस तरह की बातों से गुजरे भी हैं। आपके जमाने में हादसों और दंगों में क्या फर्क होता रहा है आप सरकार में लम्बे अर्से तक रहे हैं इसलिए आपको फर्क बताने की जरूरत मैं नहीं समझता। यह तय करना मुश्किल है कि किनके साथ चौधरी की हमदर्दी नहीं है या कम है या व्यंग किस पर है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्याम देव राय चौधरी--

मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। मैंने व्यंग कहां किया, क्या यह व्यंग का माहौल है ? या यह विषय व्यंग का है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मुझे इस बात की खुशी है कि चौधरी साहब को अपने कहे हुए शब्दों पर शायद अफसोस हो रहा है। जो उन्होंने दंगा पीड़ितों को हादसे से जोड़ा। दंगा पीड़ितों को अलग निगाह से देखा जाता है और हादसों को अलग निगाह से देखा जाता है। हादसों के लिए अलग नियम बने हुये हैं। दंगों में मुख्य मंत्री का विवेक रहा है। एक जमाना वह भी रहा है जब दंगा पीड़ितों को कुछ भी नहीं दिया जाता था, उसके बाद एक राशि दी जाने लगी। इस राशि को घटाने या बढ़ाने का फैसला लिया जाता है ताकि जल्द से जल्द शान्ति व्यवस्था कायम की जा सके। आपने खुद माना कि सदन का समय इंसानी जिन्दगी से कहीं ज्यादा कम है। एक दो लाख रुपए इंसानी जिंदगी का मूल्य नहीं हो सकता है। लेकिन चौधरी साहब ने यह अच्छी बात नहीं कही कि दंगा पीड़ितों को कितना दे दिया ? आप नेता सदन से भी इस संबंध में मिल चुके हैं यह जो हादसा हुआ है।

श्री श्याम देव राय चौधरी--

माननीय मुख्य मत्री जी बैठे हैं वह सहृदय हैं वह उदार भी हैं इस नाते मैंने यह कहा था। उन्होंने कई अवसरों पर सदाशयता का भी परिचय दिया है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

आप इंसानों के बीच में फर्क मत किया करिये। जिन्दगी किसी की भी गई हो वह खेदजनक है।

श्री लाल जी टण्डन--

इंसानों के बीच फर्क कौन कर रहा है ? इसलिए यह कहा गया कि मुख्य मंत्री जी बैठे हैं वह जो उचित समझें वह दे दें।

श्री मोहम्मद आजम खां--

माननीय सदस्य मुख्य मंत्री जी से भी मिल चुके हैं। नेता विरोधी दल ने भी इस बात को रखा है। सरकार इसको गंभीरता से ले रही है। सरकार इसको गंभीरता से लेगी। जिस शुब्हे की तरफ बात कही गई है, इंगित किया गया है कि सिलेण्डर फटने का मामला नहीं है, विस्फोट किस तरह से हुआ है, यह देखा जायेगा। नेता सदन बैठे हुए हैं और आपकी उनसे बात हो चुकी है और वे आश्वासन दे चुके हैं कि उन लोगों के इलाज और मदद के लिये सहयोग करेंगे।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

मान्यवर, वैसे तो आवश्यकता नहीं है और मुझे जल्दी जाना भी है, आई0पी0एस0, पी0सी0एस0 एसोसियेशन की बैठक है। चौधरी साहब, हमारी और आपकी बात हो गयी थी। आपने बात रख दी थी। यह षड़यंत्र भी हो सकता है और दुर्घटना भी हो सकती है। आपने कहा कि नहीं, यह दुर्घटना नहीं है, षड़यंत्र है। अगर आपको कोई बहुत विशेष जानकारी हो तो आप हमको लिखकर दे दें कि कहां इशारा है, कहां संभावना है। लिखकर दे दें। न लिखकर देना चाहें तो जबानी बता दें, मैं कहीं नहीं बताऊंगा।

श्री श्याम देव राय चौधरी--

मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

आपने बात रखी थी और मैंने कहा था कि हम मदद करेंगे। हम किसी की मदद करते हैं। कोई बता दे, बीमारी या किसी और तरह की बात आई, तो हमारी सरकार ने भेद-भाव किया हो। हम लोग यहां बहस करते हैं लेकिन बाहर हम सब एक हैं। कोई धर्म और जाति का भेद नहीं। मैं यहां पर घोषणा करता हूं कि जो लोग घायल हुये हैं उनको 25-25 हजार रुपये और मृतक परिवार को एक-एक लाख रुपये देंगे।

(श्री रामवीर उपाध्याय के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आपने कह दिया है, संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसको सुन लिया है और बात हो गई है, आप फिर दोबारा उसको क्यों उठा रहे हैं ?

श्री रामवीर उपाध्याय--

मान्यवर, आप एक मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष--

हमने आपसे कह दिया कि आप हमारे चैम्बर में आ जाइयेगा।

श्री रामवीर उपाध्याय--

मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जैसा मैं आपको अवगत करा चुका हूं कि 14 फरवरी को मैं और मेरी पत्नी दूसरे गांव में जा रहे थे।

श्री अध्यक्ष--

क्यों आप इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। जिसको गंभीरता से सरकार ने लिया है, उसको हल्का न करिये। माननीय मुख्य मंत्री जी को कहीं जाना भी है, समय न खराब करिये। मैंने आपसे कहा है कि आप हमारे चैम्बर में आ जाइयेगा। संसदीय कार्य मंत्री के साथ बैठकर बात कर लेंगे।

श्री रामवीर उपाध्याय--

मान्यवर, पुलिस जेल में बन्द करना चाह रही है।

श्री अध्यक्ष--

अगर आपको पकड़ना था तो पकड़ न लिया होता। आप बैठ जायं। आपकी बात संसदीय कार्य मंत्री के संज्ञान में ला दी गई है। चौथी सूचना, गौर साहब की है और इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, पांच लोगों की हत्या हुई है। कानून व्यवस्था भी माननीय मुख्य मंत्री जी देखते हैं।

श्री अध्यक्ष--

कानून व्यवस्था पर जब चर्चा होगी तब बोल लीजियेगा। आपकी सूचना पर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, कार्य-स्थगन की दो सूचनाओं को तो आप सुनेंगे। इलाहाबाद, कौशाम्बी के बीच में इस तरह से 5 लोगों की हत्या हो जाती है। यह बहुत गंभीर विषय है।

श्री अध्यक्ष--

सुन तो ली। एक रामवीर जी की हो गयी और एक और आपकी पार्टी की ही थी। ठीक है, दो मिनट में अपनी बात कह लें।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक हो, इसके लिये हम सब चिंतित हैं। जनपद कौशाम्बी के थाना सैनी के अन्तर्गत . ...

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

रामवीर जी का मामला व्यक्तिगत है। अपने चैम्बर में बुला लें वहां नेता सदन भी रहें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने संसदीय कार्य मंत्री के लिए कह दिया है। नेता सदन को हम नहीं कह सकते हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने भी कह दिया है आपके विरुद्ध कोई ऐसी बात नहीं हुई तो क्यों कह रहे हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

एक सदस्य से संबंधित मामला है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। दो मिनट आपके चैम्बर में बैठ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष--

हम नेता सदन को नहीं कह सकते हैं, आप स्वयं निवेदन कर लें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मैं आपके माध्यम से नेता सदन से अनुरोध कर रहा हूं। इनकी बात सुन लें।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

सैनी थानान्तर्गत उसरैना गांव में एक युवक ने कुछ अपराधियों के साथ घर में घुसकर एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या कर दी छोटे-छोटे बच्चों की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। खुल्दाबाद के बेनीगंज गांव में कमल किशोर की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई। 6 हत्यायें कौशाम्बी में हुई हैं। वह गरीब परिवार के लोग थे मैं मांग करता हूं कि इनके परिवारों को आर्थिक मदद सरकार की ओर से दी जाए। जो हत्यारे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए।

श्री अध्यक्ष--

प्रमोद कुमार जी, आप एक सेकेंड में अपनी बात खत्म करें।

*श्री प्रमोद कुमार--

श्रीमन्, मेरा इरादा कोई आलोचना करने का नहीं है ध्यान खींचने का है। मान्यवर, कल मैं आगरा गया था आगरा में शिल्प ग्राम में भीषण अग्निकाण्ड हुआ। वहां 105 जो हाट लगी थी, वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जल गई है यह अन्तर्राष्ट्रीय महोत्सव हो रहा है। 350 वर्ष स्थापना के पूरे हो रहे हैं इसलिए यह महोत्सव हो रहा है। बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। विदेशों से पर्यटक आ रहे हैं। वहां पर 105 दुकानें जली हैं। ईश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं कि वहां किसी की मौत नहीं हुई। इतना बड़ा काण्ड हुआ वहां भगदड़ भी मच सकती थी। मेरा एक अनुरोध है इसमें जो शिल्पकार थे, वह व्यापारी नहीं थे, शिल्पकार जिनकी कुल जमा पूंजी दुकानों में लगी थी, उनकी सूची मैं आपके माध्यम से सरकार को भेज रहा हूं। इन शिल्पकारों ने बैंक से ऋण लेकर एक लाख, दो लाख, चार लाख ऋण लेकर कलाकृतियों में लगाया था। वह इसलिए लगाया था कि इससे आय होगी तो बैंक का कर्जा चुका देंगे दूसरों का कर्जा चुका देंगे। उनका मान्यवर वर्तमान नहीं जला बल्कि भविष्य भी जल गया है। एक विदेशी पर्यटक ने मुझसे पूछा कि इतनी असुरक्षा क्यों थी मैंने उनसे तो कह दिया कि सुरक्षा न होती तो इतने बड़े हादसे में कोई मारा नहीं गया ऐसा न होता। लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों में ऐसी भावना फैल गई है। मेरा अनुरोध है कि अधिक से अधिक धनराशि देकर जिन शिल्पकारों की क्षति हुई है, इनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। मैंने पूछा फायर बिग्रेड की व्यवस्था नहीं थी ? तो पता लगा कि व्यवस्था तो थी लेकिन पानी का कनेक्शन वहां नहीं था तो इसको भी दिखवा लें। इन शिल्पकारों को आर्थिक सहायता देकर पुनर्वास करा दें ऐसी भी व्यवस्था करा दें।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, हो गया है।

*श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं माननीय नेता सदन बैठे हैं उत्तरांचल बनने के बाद पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हमारे पास स्वाभाविक रूप से कोई महत्वपूर्ण स्थल है जिसका दुनिया में महत्व है तो वह आगरा का ताज है। श्रीमन्, जैसा उल्लेख किया गया है, हम आगरा में ताज के 350 वर्ष पूरे होने पर बहुत ही उल्लेखनीय ढंग से महोत्सव मना रहे हैं और उसी श्रृंखला में पूरी दुनिया के पर्यटक आकर्षित हुए हैं और इसी के तहत वहां पर शिल्प ग्राम की स्थापना हुई। जिस तरह से वहां पर घटना हुई है और इन शिल्पकारों को जो नुकसान हुआ है, उसकी तो भरपाई होनी ही चाहिए, मैं कहना चाहता हूं कि इतने बड़े महोत्सव में कैसे यह घटना हो गई, निश्चित रूप से इस लापरवाही के लिए सरकार को उत्तरदायित्व निर्धारित करना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना न हो। अगर भविष्य में ऐसी घटना घटित होती है तो यह पर्यटकों को प्रभावित करेगा। जब अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का यह महोत्सव हो रहा हो और वहां पर पूरे देश और विदेशों की भी कलाकृतियां रखी गई हों, तब ऐसी घटना होना दुखद है। यह देश और दुनिया के समाचार-पत्रों में आया है। वहां की 150 दुकानों में कुछ नहीं बचा है। इन दुकानदारों को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई की जाए और भविष्य के लिए वहां की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

अध्यक्ष जी, मुझे भी सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष--

बाजपेयी जी, स्वकेन्द्र के निर्धारण के संबंध में आपने रखा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुलायम सिंह यादव--

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रमोद कुमार और जगदम्बिका पाल जी ने गंभीर सवाल उठाया है। यह घटना बहुत अफसोसजनक है, जब ताज के 350 वर्ष पूरे होने पर वहां पर यह महोत्सव बहुत अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है और वहां अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कई देशों के राजदूत और कई देशों के नेता और कई देशों के कलाकार भी आए हैं। मुझे भी जाने का मौका मिला है और 27 तारीख को जा भी रहा हूं, आगरा। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और एक अच्छे वातावरण में एक दुखद घटना हुई है। इसे सरकार ने गंभीरता से लिया है और अधिकारियों से और वहां के जिलाधिकारी से तत्काल रिपोर्ट मांगी है कि कितना अनुमानत: नुकसान हुआ है, उसी आधार पर हम जल्दी से जल्दी मदद करेंगे।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

(विपक्ष के डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह) तथा कई अन्य सदस्य खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे)

श्री अध्यक्ष--

बाजपेयी जी, आपका स्वकेन्द्र निर्धारण के संबंध में गंभीर प्रश्न है। 6.00 बजे हमने मंत्री जी को, उनके डाइरेक्टर और शिक्षा सचिव को विचार-विमर्श के लिए बुलाया है, अगर कोई निस्तारण नहीं होगा तो पहली तारीख को सुन लेंगे।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य तथा बसपा के कई सदस्य अपनी बात कहने का प्रयास करते रहे)

श्री अध्यक्ष--

मौर्य जी, आप दूसरे दिन कहिएगा, आज नहीं। रामवीर उपाध्याय जी का आ गया है। एक-एक सभी पार्टियों का आ गया है।

श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)--

मान्यवर, आप इस पर चर्चा स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष--

आज समय नहीं है। इस पर चर्चा हो चुकी है। यह सदन के संज्ञान में आ चुका है जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई थी और खाद्य मंत्री ने भी उत्तर दिया था। इसलिए इसको दोबारा लाना उचित नहीं है। एक बार यह सदन में आ चुका है।

(स्वामी प्रसाद मौर्य और बसपा कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहते रहे)

श्री अध्यक्ष--

माननीय मौर्य जी, मेरी बात मान लीजिए, आप रुक जायें, आप मेरी बात भी तो सुनें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

[x x x]

नोट--[xxx] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

मौर्य जी, आप दूसरे दिन दीजिएगा, लेकिन आज नहीं। आप बैठें, यह लिखा नहीं जायेगा और न कार्यवाही का अंग माना जाएगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष--

मौर्य जी, आपका लिखा नहीं जाएगा और न ही कार्यवाही का अंग माना जाएगा। मौर्य जी बैठ जाइये।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया ।)

(श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री जगदम्बिका पाल के अपने स्थान पर खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी, श्री जगदम्बिका पाल जी जब माननीय मुख्य मंत्री बोलने के लिए खड़े हो गये हैं तो आपको बैठ जाना चाहिए। आप बैठ जाइये।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव†

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम धन्यवाद देते हैं माननीय नेता विरोधी दल को, बसपा के माननीय नेता को और कांग्रेस के श्री प्रमोद कुमार जी को और हमारे जितने भी माननीय मंत्रीगण और माननीय सदस्य हैं, उन्हें भी धन्यवाद देते हैं। एक अच्छी परम्परा की शुरुआत हुयी थी। उस परम्परा को निभाते हुए सभी ने बहस में हिस्सा लिया। महामहिम राज्याल जी के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव, जो माननीय छोटे लाल यादव जी ने पेश किया था उसमें कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी आये हैं और कुछ समस्याएं हैं और कुछ गंभीर समस्याएं और चुनौतियां हैं, जिसकी वजह से उसकी तरफ कुछ सकारात्मक ध्यान भी आकर्षित किया और कुछ ऐसे काम भी सरकार के हुए हैं या पिछली सरकार के हुए हैं, उसके संबंध में भी हमारे कुछ नेताओं ने अपनी बात रखी। हम सदन को संतुष्ट करेंगे अपना उत्तर देकर। जहां तक नेता विरोधीदल ने सवाल उठाया तो कुल मिलाकर जो बहस है वह दो बिन्दुओं पर सिमटकर रह गयी है और उसमें मुख्य तौर पर बिन्दु है कानून व्यवस्था। जो कोई भी बोलने के लिए खड़ा हुआ है तो बोलने की शुरुआत कहीं से की और आखिर किया कानून व्यवस्था से मैंने सभी का भाषण देखा है। माननीय नेता कांग्रेस पार्टी के नेता सदन और सभी का। आखिर यह सबका अधिकार है। लेकिन नेता विरोधीदल ने जो सवाल उठाया वह मुख्य तौर से दो बिन्दुओं पर है। यह सही है कि महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है, वह सरकार की नीतियों का द्योतक होता है। उसमें आपने कहा कि इसमें सरकार की उपलब्धियां हैं ही नहीं और न ही लक्ष्य है। तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि माननीय नेता विरोधी दल बहुत अनुभवी हैं और उन्हें दोनों सदनों का अनुभव है। विपक्ष का भी अनुभव है और सरकार चलाने का भी अनुभव है। लेकिन हमें आश्चर्य इस बात का है कि आखिर नेता विरोधीदल ने यह अभिभाषण पढ़ा कि नहीं। इसमें स्पष्ट है कि उपलब्धियां हैं, लक्ष्य हैं। वह उपलब्धियां समाचार पत्रों और मीडिया से जन-जन तक पहुंच चुकी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों की राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा है। जहां तक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात है तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए,

---

नोट :-- †दिनांक 15 फरवरी, 2005 की कार्यवाही से

निरक्षरों को शिक्षित करने के लिए, गरीब लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, लड़कियों को शिक्षा देने के लिए हमने विशेष ध्यान देने का प्रयास किया है। जो गरीब है, जो अन्त का व्यक्ति है, जो उदासीन है, निराश है और गुस्से में है, उसके लिए भी शिक्षा के माध्यम से प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। इसी के चलते सबसे पहले जो गरीब है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, बिना भेदभाव किये सस्ती शिक्षा दी गयी है, जो महंगी शिक्षा पहले माननीय नेता विरोधी दल जी दिया करते थे। हमने कक्षा 12 तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी है। हिन्दुस्तान में पहली यह सरकार है जिसने वजीफा बिना किसी भेदभाव के चाहे वह हिन्दू हो, सिक्ख हो, मुसलमान हो, अनुसूचित जाति का हो, अनुसूचित जनजाति का हो, सबके वजीफा का प्राविधान किया है और इस हेतु साढ़े छः सौ करोड़ का प्राविधान किया है तो क्या यह मामूली उपलब्धि है ? किसी भी सरकार की इससे बड़ी उपलब्धि की एक बात बता दें। केवल शिक्षित करना ही नहीं, हमने 42000 लोगों को विशिष्ट बी0टी0सी0 के तहत नौकरी दी और मैं यह बात भी सदन को बताने में फख्र महसूस करता हूं कि इन लड़कों से एक रुपया भी रिश्वत नहीं ली गयी। यदि आप बतायें कि किसी से ली गयी है तो मैं जांच कराने को तैयार हूं। तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है ? हम यह बताना चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में, हमने यह नहीं कहा है बल्कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने इसी लखनऊ में अपनी बैठक में हमारी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों से कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जितना अच्छा काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है उतना किसी और ने नहीं किया है।

क्या यह उपलब्धि नहीं है ? जहां तक ऊर्जा का सवाल है, ऊर्जा के क्षेत्र में यह आशंका निर्मूल साबित हो गयी, एक षड़यंत्र के तहत यह कहा गया कि रिलायंस कम्पनी में मतभेद हो गया है, जिसके चलते यह बिजली का कारखाना नहीं लगेगा। मान्यवर, यह हिन्दुस्तान का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा कारखाना है और साढ़े सैंतीस सौ मेगावाट गैस आधारित पावर प्लान्ट लगाने जा रहे हैं और हमारा लक्ष्य है, कम्पनी से बात करके इसे पांच हजार मेगावाट करेंगे। आपको पता चल गया होगा कि वहां पर बाउन्ड्री बननी शुरू हो गयी है, जमीन उपलब्ध हो गयी है, माननीय विरोधी दल जी, आप डेढ़ दो महीने बाद जायेंगे तो वहां पर आपको तब्दीली नजर आयेगी तो क्या यह मामूली उपलब्धि है ? हमने चौदह घंटे किसानों को बिजली देने की घोषणा की है। कहीं-कहीं ज्यादा भी दी है और आपको कई बार एतराज भी हुआ। आपके बड़े नेताओं को एतराज भी हुआ कि कहां ज्यादा कहीं कम हो रही है तो जहां कम हम दे रहे हैं वहां भी हम ठीक कर देंगे। कोई पक्षपात नहीं है, यह क्या मामूली उपलब्धि है ? जो कानून व्यवस्था के नाम पर बात कही गयी है, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि कितने बड़े-बड़े लोग आज प्रदेश के विकास के लिए आ रहे हैं। माननीय नेता कांग्रेस ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। यह सही है कि ऊंचाहार और टांडा अगर बेचा नहीं जाता तो माननीय नेता विरोधी दल जी आज हमारे सामने बिजली का संकट ही नहीं हो सकता था। आज साढ़े छः रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदनी पड़ रही है, वह हमें दो रुपये, ढाई रुपये प्रति यूनिट की दर से मिलती है। कितना सरकारी खजाने का नुकसान हुआ ? 25-25 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदनी पड़ी उसके बावजूद भी हमने बिजली खरीदी और उसका परिणाम यह हुआ कि खेतों में फसलों की पैदावार बढ़ी, पैदावार के साथ-साथ उसके दामों में भी बढ़ोत्तरी हुई। 1992 के बाद 1995 से लेकर लगातार राज्य सरकार आपने चलाई, आपका भाई-बहन का रिश्ता था, मिलकर सरकार चलाई, तो उस समय क्या स्थिति थी ? आज यह उपलब्धि है और इस उपलब्धि को आप जैसा नेता और नेता विरोधी दल, आप केवल नेता विरोधी दल ही नहीं रहे, सरकार में मंत्रियों को बनाने में और सरकार को हटाने में आपकी अहम

भूमिका रही, आपने सरकार के सारे फैसले अपने स्तर से लिए। इतने बड़े नेता होकर इस तरह की बातें कह रहे हैं, आप सदन को गुमराह कर रहे हैं।

हमारा एक सिद्धान्त था, हमारी एक रणनीति थी, एक रणनीति के अनुसार यह बात कही है, डा0 राम मनोहर लोहिया ने 1970 में गैर कांग्रेसी सरकार का नारा दिया था और जिसे हम सारे लोगों ने स्वीकार किया। यह अच्छा काम था और इसलिए अच्छा था क्योंकि आपकी कांग्रेस पार्टी बहुत मजबुत हो गई थी और इतनी मजबूत हो गई थी कि जब एकाधिकार हो जाता है तो फिर एक तरह से तानाशाही चल जाती और कांग्रेस में इस तरह की भावना पैदा हो गई तो हम लोगों ने कांग्रेस का नारा दिया। इमरजेंसी के दौरान हम लोग एक हुए थे और उसके बाद आपने मुझे अपना नेता बना लिया था उस समय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनी थी तो जो गठबंधन बना और जब आपने हमें नेता माना और गठबंधन का अध्यक्ष भी मान लिया और गठबंधन का नेता भी माना और हमारे साथ-साथ आपने काम भी किया, विधान परिषद् में भी काम किया। तो हर तरह का अनुभव है हमें। उसके बाद भी जब आपकी नहीं चलती है तो यह सब आपके ऊपर दबाव डालकर आपसे ऐसा भाषण करवाते हैं।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)--

इसमें इनकी भूमिका ज्यादा है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

किसकी, गौर साहब की ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

गौर साहब की नहीं, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी की।

श्री मुलायम सिंह यादव--

आप ठीक कह रहे हैं, गौर साहब ऐसा नहीं करेंगे वह तो शिक्षक हैं।

जहां तक चिकित्सा सुविधाओं की बात है, इसमें कितनी बड़ी उपलब्धि इस सरकार की रही। पहले ही दिन गरीबों को राहत मिली। सरकारी अस्पतालों में आठ रुपये पर्चे के शुल्क की जगह एक रुपये पर्चे का शुल्क कर दिया। आज आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जायेंगे। आपको पूरी दवायें मिलेंगी, अगर किसी को नहीं मिलती है, तो आप हमसे कहें, हम तत्काल वहां दवा उपलब्ध करायेंगे, हम उसका इंतजाम तत्काल करा देंगे। सदन में अभी कोई माननीय सदस्य कहें, जो वह कहेंगे उसकी हम सब मांग पूरी करेंगे। [सांप काटने की दवा और कुत्ता काटने की दवा हमने सब जगह उपलब्ध कराई है और इसलिए कराई क्योंकि जो गरीब हैं उन्हीं को सांप काटते हैं, कुत्ते काटते हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

कुत्ता काटने की दवा कहीं भी उपलब्ध नहीं है। मेरठ में नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

सब जगह है। अगर कहीं नहीं है तो आप हमें लिख कर दें, हम उसको उपलब्ध करा देंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव--

सब अधिकारी हमारे यहां बैठे हुए हैं, इसको नोट कर रहे होंगे। आपके यहां मेरठ में कुत्ते की दवा नहीं है यह हो सकता है, कुत्ते के इंजेक्शन की कमी रही होगी, हम पहुंचवा रहे हैं।

*नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)--

मान्यवर, आप काटने वाले कुत्ते की दवा पहुंचवायेंगे या भोंकने वालों की।

श्री मुलायम सिंह यादव--

अब भोंकने वाले कुत्तों को आप अच्छी तरह से समझते हैं, (हंसी) वह हमारे समझ के बाहर की बात है। इसलिए मैं कह रहा था कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने बताया कि जो गरीब लोग थे वह सरकारी अस्पतालों में जाते थे। प्रारम्भ में तो इतनी भीड़ बढ़ गयी कि जगह-जगह पुलिस लगानी पड़ी थी। जिस अस्पताल में गरीब जाना छोड़ चुका था। अस्पताल जाता था, पर्चा बनवाता था लेकिन दवा बाहर से ले लेता था। अब वहां गरीब आदमी जा रहा है। यह उपलब्धियां हैं। इसे उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं स्वीकार कर रही है बल्कि जो सीमा से लगे हुए प्रदेश हैं वहां भी इसकी चर्चायें हैं मध्य प्रदेश है और बिहार में तो हमने देखा कि बहुत बड़ी चर्चा है। अभी चुनाव में हमें वहां जाने का मौका मिला था। वहां के गरीब लोग इन उपलब्धियों को स्वीकार करते हैं। इसलिए आप भी इस उपलब्धि को स्वीकार करें। अभी स्वास्थ्य विभाग का बजट आगे आयेगा तो बहुत विस्तार से इस पर बताया जायेगा। क्या यह मामूली उपलब्धि है कि डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल जो लखनऊ में है, उसको कितना आगे बढ़ाया गया है ?

बलरामपुर हास्पिटल को बहुत अच्छा बनाने का हम प्रयास करेंगे। हम जानते हैं कि पी0जी0आई0 कितना महंगा है, मेडिकल कालेज कितना महंगा पड़ता है और वहां पर कैसी सेवायें होती हैं ? मुझे कल ही इसका बहुत बड़ा अनुभव हुआ था। मेरे भतीजे को 16 घंटे दवा नहीं मिली, भले ही पहुंच गया था रात एक बजे, लेकिन दिन में दो बजे तक इलाज नहीं हुआ। अज्ञात में पड़ा था। लेकिन एक मानवता के नाते उसे देखना चाहिए था लेकिन मैंने वहां पहुंचकर कुछ कहा नहीं। आज सबेरे-सबेरे उसको ट्रांसफर किया गया है पी0जी0आई0 में तो यह हालत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सी सुविधायें जो हैं पी0जी0आई0 में, मेडिकल क़ालेज में, हम सिविल अस्पताल को, राम मनोहर लोहिया अस्पताल को, बलरामपुर अस्पताल को उस स्तर पर ले जाने की कोशिश करेंगे। वहां के डाक्टर जनसेवा करते हैं। सरकारी अस्पतालों में जो व्यवस्थायें हैं, वह जनता के लिए बहुत जरूरी है। सदन का जरूर इसमें हम सहयोग चाहेंगे। तो यह महत्वपूर्ण उपलब्धियां है। इसी तरह से यहां पर खाद्य एवं रसद विभाग के बारे में सवाल उठाये गये हैं। माननीय प्रमोद जी ने उठाये हैं। इसमें आपको पता है कि चार जिलों की समस्यायें सामने आयी थीं बलिया, गोण्डा, संतकबीर नगर और लखीमपुर खीरी। यह चार जिलों से बहुत गंभीर शिकायतें सामने आयी हैं। उनकी सरकार ने गंभीरता से जांच करायी है। कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है यह मैं आपको बताना चाहता हूं। इसमें किसी को भी किसी प्रकार से बचाने की कोशिश नहीं की गयी है। इसमें जांच चल रही है और जांच के चलते ही हमने करीब 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ कार्यवाही की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें कितनी कार्यवाही हुई है। एक सी0डी0ओ0 के खिलाफ हमने मामला लोक सेवा आयोग को भेजा है नौकरी से बर्खास्तगी के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिए और दूसरे लोगों को मुअत्तल भी किया गया है। हम पूरी कार्यवाही बता देंगे। अनियमित खाद्य वितरण में दोषी पाये जाने पर अब तक 174 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जा चुकी है इनमें बीस वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं जिनमें एक जिलाधिकारी और 8 पी0सी0एस0 अधिकारी हैं। 9 कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की जा चुकी है। आपने इसकी गंभीर शिकायतों के बारे में मुझे व्यक्तिगत रूप से भी बताया था। 623 प्रकरणों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जा चुकी है। जनपद खीरी में 400 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है और 66 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है। इसी तरह से जनपद गोण्डा में 41 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। भ्रष्टाचार के मामले में कोई भी हो, उसे छोड़ा नहीं जायेगा। जो गरीबों का अन्न जाना है, हर गरीब को दाना-दाना पहुंचाना हमारी सरकार का काम है और हम उसे पहुंचायेंगे और जिन्होंने इस तरह से हमारा अन्न बांग्लादेश भेजा है या और कहीं बेचा है, इसकी पूरी जांच रिपोर्ट आपके सामने पेश कर देंगे। किसी को छोड़ा नहीं जायेगा। इसीलिए सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है। अब गरीबों तक पहुंचेगा एक-एक दाना और इसके लिए समीक्षा की व्यवस्था भी की गयी है और एक करोड़ सात लाख परिवारों को 35 करोड़ का खाद्यान्न चीनी तथा मिट्टी का तेल दे रहे हैं। लेकिन कहीं आपको भी कोई जानकारी मिले तो दें, हम आपके सुझावों का स्वागत करेंगे।

लोक निर्माण, आपको आश्चर्य होगा माननीय नेता विरोधी दल कि आपको उपलब्धियां नहीं बताई गयीं लेकिन इतनी उपलब्धि की है और थोड़े समय में की है कि अगर आपको मालूम होता तो ऐसा सवाल उठाते ही नहीं। यह हमारे पास है कि कितने पुल हमने बनवाये हैं। 2 जून, 1995 से 18 अगस्त, 2003 तक 8 वर्षों में प्रदेश में 308 पुल बने हैं। औसतन कहें, 38 पुल एक साल में बने हैं और 29 अगस्त, 2003 तक 173 सेतुओं का निर्माण हो गया है। यह कोई छोटे पुल नहीं बने हैं और 18 माह में इतनी बड़ी संख्या में, यह ऐतिहासिक है। अप्रैल 2004 से अभी तक केवल इसी वित्तीय वर्ष में 11 माह में 122 सेतुओं का निर्माण हुआ है और 31 दिसम्बर तक 150 सेतुओं का निर्माण हो जायेगा। 19 महीने में 201 सेतुओं का और निर्माण पूर्ण होने की आशा है। 4 पुलों का आपने शिलान्यास तब किया है जहां पुल बनना शुरू हो गये हैं। हम ईंट लगाने नहीं जाते हैं। जब ईंट लग चुकी थी, पिलर बन चुके, गार्डर, ईंट, सीमेंट, लोहा लगा हो और सैकड़ों की तादाद में लगे हुए वरिष्ठ इंजीनियर थे, तब शिलान्यास करने जा रहे हैं। मान्यवर, गंगा का पुल कन्नौज क्षेत्र में बना और पुल की वजह से बुलंदशहर दिल्ली के कितना नजदीक हो गया। कचौराघाट का पुल कितना महत्वपूर्ण था। आगरा, इटावा से लेकर मैनपुरी की जनता कितना वंचित थी आने जाने को, बेतवा का पुल झांसी में बन रहा है। बुन्देलखण्ड कितना पिछड़ा हुआ था, 500 करोड़ की लागत का पुल है, हम केन्द्र सरकार से भी मदद मांगेंगे। संत कबीर नगर का पुल है घाघरा नदी पर लगभग 100 करोड़ का, इतना बड़ा पुल स्वीकृत हो चुका है। अभी लखनऊ में हमें आश्चर्य होता है कि लखनऊ में जितने पुल बने हैं वह हमने ही बनवाये हैं और फिर अभी जा रहे हैं शिलान्यास करने। तो ये पुल बन जाने से सड़क बनाने की सुविधा होती है और पुल के रिश्ते कितने भावुक हैं, ये एक दूसरे के खूनी रिश्तों को, भावनात्मक रिश्तों को मिलाता है तो आपको सोचना पड़ेगा, आप सोचिये, कितना रिश्ते, कहां कचौरा घाट पर जमुना पुल और उधर आगरा पास ही है, बहुत नजदीक है लेकिन हम खून के रिश्ते नहीं रख सकते, संबंध नहीं रख सकते, शादी-व्याह नहीं कर सकते, कितने रिश्ते पुलों के अभाव में नहीं हो पाते हैं। इसीलिए हमने प्राथमिकता के आधार पर पुलों पर जोर दिया है। जब पुल बनेगा तो सड़क बन ही जायेगी और सबको सुविधा हो जायेगी। इसी तरह से, आप देखेंगे, आपने कहा कि व्यापार कर में घाटा हुआ है। मैं अवगत कराना चाहता हूं कि व्यापार कर में हमको

घाटा नहीं हुआ है। इस वित्तीय वर्ष में हमारा लक्ष्य 6,670 करोड़ था, जबकि हमारी वसूली 6,973.55 करोड़ हुयी है, इस प्रकार लक्ष्य से ज्यादा वसूली हुयी है और 105 प्रतिशत वसूली हुयी है। यह वसूली गत वर्ष की तुलना मे 21 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार पेट्रो-डीजल में भी 30 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। इसी प्रकार गन्ना के मामले में बताना चाहूंगा कि 16 फरवरी तक 86 प्रतिशत भुगतान हो चुका है और आपकी सरकार में 16 फरवरी, 2003 तक मात्र 40 प्रतिशत भुगतान हुआ था। मुझे खुशी है कि इस विधान सभा में दो सवाल हमेशा उठते थे, जब बरसात का मौसम आता था तो बस्ती, देवरिया, गोरखपुर से लेकर आजमगढ़, गाजीपुर और पूरे पूर्वांचल की बाढ़ और गन्ना किसान का मामला।

आपको याद होगा कितना लाठीचार्ज होता था, गोलियां चलती थी, इस भुगतान के लिये लेकिन आज कहीं किसी प्रकार का आन्दोलन किसान का नहीं है और जो कीमत हमने बढ़ाई, उसकी वजह से 556 करोड़ रुपया अतिरिक्त किसान के घर पहुंचेगा। जितना लाभ इस बार किसान को हुआ है, जो हमने किया है, हमारी सरकार ने किया है, उतना कभी नहीं हुआ है। इस बार बजट में अनेक ऐसी उपलब्धियां थीं, जिनके लिये आपको मेजें थपथपाना चाहिये था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। जब हम दिल्ली में रहे तो जैसे बजट पेश हुआ, हम लोगों ने देखा। अच्छा बजट पेश हो रहा है तो हम ताली बजाते थे, मेज थपथपाते थे, लेकिन जब हम यहां बजट पेश कर रहे थे तो उधर मुर्दानगी छाई हुयी थी। आप अच्छे काम का स्वागत नहीं करेंगे ? हम आप दोनों का लक्ष्य एक ही है, प्रदेश का विकास करना, जनता को राहत देना। हम जनप्रतिनिधि होकर आये हैं तो जनता के प्रति जिम्मेदार हैं हमें-आपको बड़ी कठिन चुनौती कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा। हमने क्या किया है, इसको भी आप देखें। आप हमेशा दोनों बातें बोलते थे। जब से मैंने कहा है, तब से कुछ दबाव बढ़ा है। लेकिन जब यह नेता विपक्ष के पद पर रहते हैं, अपने नेता.....

*श्री प्रमोद कुमार--

ऐसी कोई बात नहीं है, वह जब बोल रहे थे तो कहते हैं कि आनन्द की मुद्रा में बोल रहे है, जिससे आप इसे लाइट मूड में लें, आप तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते।

श्री लालजी टण्डन--

जो यह लोग कर सकते हैं, वह हम कभी नहीं कर सकते है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, ऊर्जा नीति। ऊर्जा नीति के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ऊर्जा नीति बनायी है, उसी के आधार पर केन्द्र सरकार भी ऊर्जा नीति बनाने जा रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी, सचिव हैं, उन्होंने भी स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश में जो नीति बनी है, उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है बिजली की समस्या के समाधान के लिए। बिजली की समस्या केवल उत्तर प्रदेश में ही नही बल्कि पूरे देश में है। एक अधिकारी जो बिजली के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी विद्युत व्यवस्था में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को मदद देने का वायदा किया है। इसीलिए मैंने कहा था कि हम एक उत्तम और आदर्श प्रदेश उत्तर प्रदेश को बनायेंगे। कहा गया है कि जिस तरह से विद्युत सुधार की दिशा में उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है, देश के अन्य राज्य भी इसी तरह से प्रदेशों में कार्य करें। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है ? इस सदन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में तो नमस्कार तक नहीं होता था। ब0 स0 पा0 के लोगों को इन बातों से क्या मतलब ? इनको बिजली से क्या मतलब ? यह लोग तो ऐसे हैं कि टिकट के लिए रुपये दे दीजिए, जीतकर आ जाइये और फिर जितना कमा सकते हो कमा लीजिए। औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति मान्यवर, निवेश नीति का परिणाम देखिये।

माननीय नेता विरोधी दल, आपको आश्चर्य होगा कि कुमार मंगलम द्वारा 1000 मेगावाट बिजली का पत्र मेरे पास है, कोयला आधारित बिजली का उत्पादन करेंगे। इसी तरीके से आपको आश्चर्य होगा कि एक चिट्ठी आयी है, विश्व के चौथे नम्बर के उद्योगपति है, अजीम प्रेमजी, विप्रो के, उन्होंने मुझे पत्र लिखा था, पत्र का मैंने उत्तर भी दिया है। इतने बड़े-बड़े उद्योगपति निवेश करने आ रहे हैं, इससे ज्यादा आकर्षण और क्या हो सकता है ? इससे ज्यादा सरकार की उपलब्धि और क्या हो सकती है ? सारे विश्व के एन0 आर0 आई0 उद्योगपतियों का जो एक सम्मेलन हुआ था मुम्बई में, इससे पहले इस सम्मेलन में इसके पूर्व चार मुख्य मंत्री गये थे लेकिन किसी में भी 35 से ज्यादा उद्योगपति नहीं सुनने आये थे। जब हम भाषण देने के लिए गये थे तो 187 सीटें भर गई थी और इसके अलावा लोग गैलरी में खड़े थे, अमिताभ बच्चन की बेटी भी खड़ी थी, जो एस्कार्ट समूह से सम्बन्धित है। उनको मैंने बुलाकर अपने मंच पर कुर्सी डलवाई थी, इतने उद्योगपति आये थे। उद्योगपतियों ने जो भाषण दिया है, अगर मैं टेप सुनवा दूं तो आप मान लेंगे। वह हमारे अधिकारियों के काम करने के तरीके पर बोले। इतना आकर्षण है उद्योगपतियों को। उसके बाद जब दिल्ली में एन0 आर0 आई0 की बैठक हुई, उसमें हमें फिर बुलाया गया, तो उसमें और भी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई । वहां पर 400 लोग आ चुके थे। अब ऐसे में आपको सहयोग करना पड़ेगा। लोकतंत्र में चाहे जितना विवाद करें। आपको पता है नीतियां बदल जांय, थोड़ी देर के लिए मंदिर-मस्जिद का इंशू ले लें या शिया-सुन्नी में भेद बताने लगे, यह अलग बात है। इस पर मैं अकेले में आपसे बात करूँगा।

श्री लालजी टण्डन--

आजम खां साहब को साथ में रखियेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव--

आजम साहब तो साथ रहेंगे ही। आप केवल वोट की राजनीति करते हैं। आप चाहें तो कोई भी घटना नहीं हो सकती है। हम चाहते हैं कि इस वक्त हमलोग जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि हम जनता को राहत दें। सरकार को दबाव दें सरकार गल्तियां करे तो उनको उजागर करिये, हम उनको सुधारेंगे। हम निन्दा का स्वागत करते हैं, यह हमारी सरकार की नीति है। आज कितनी उपलब्धि हो रही है ? इसी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी नीति, खाद्य प्रसंस्करण नीति, चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति आदि हैं। किसानों का गन्ना मंहगा बिकेगा। किसान जितना गन्ना बोयेगा, हम कोशिश करेंगे कि उसकी समय पर पेराई हो और समय पर उसका भुगतान हो। जो हमने सुविधायें दी है, हम उन्हीं चीनी मिल मालिकों को सुविधायें देंगे जो किसानों का पूरा भुगतान करेंगे, जो चीनी मिलें एक सप्ताह के अन्दर ज्यादा से ज्यादा भुगतान कर देंगी, नही करेंगी तो ब्याज लेंगे। अभी तक तो कोई ब्याज देता नहीं था। किसानों का ब्याज का पैसा बकाया है। वसूली की समस्या है। हम दिल्ली सरकार से भी मदद मांग रहे है। किसानों का हम 542 करोड़ रुपये का भुगतान करायेंगे। वह हम पर जुर्माना है। हम किसानों की परेशानी समझते हैं, इसलिए हम 542 करोड़ रुपया किस प्रकार से देंगे, लेकिन अवश्य देंगे। इसमें आपकी भी मदद चाहिए, क्योंकि हम किसी

भी मद से दें लेकिन सदन से पास करायेंगे। बेरोजगारी के संबंध में हम बाद में बता देंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती। इतनी बड़ी उपलब्धि है कि 8 साल से चाहे राष्ट्रीय सरकार हो या राज्य की सरकारें हो, सभी सरकारों ने सरकारी नौकरियों पर ताला लगा दिया है। हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की सरकार पहली सरकार है जहां पर थोड़े दिनों में 3 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां देंगे। अर्धशासकीय नौकरियां हम अलग से देंगे।

श्री लालजी टण्डन--

जो नौकरी में है उनको वेतन मिले या न मिले।

श्री मुलायम सिंह यादव--

अध्यक्ष जी ऐसा नहीं है। यह तो आपका किया हुआ है।

श्री लालजी टण्डन--

कल एक कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली।

श्री मुलायम सिंह यादव--

आत्महत्या की है, उसका मुझे अफसोस है लेकिन कोई उपाय निकालेंगे। आप ऐसा क्यों बोल रहे है ? यह किया हुआ तो आपका ही है। हम संसाधन जुटा रहे हैं, हम विकास कर लगाते हैं तो आपकी पार्टी कहती है कि विकास कर क्यों लगा रहे हैं ? आप विरोध करते हैं परन्तु व्यापारी सहमत हैं और हमारे समर्थन में एक जुलूस भी निकालेंगे। बनवारी लाल कंछल आपकी पार्टी में थे तब आपने कोई तवज्जो नहीं दिया लेकिन हमारी पार्टी में वह व्यापारियों के बड़े नेता बन गये है। अब व्यापारी हमारा स्वागत करते है। रोज चेक आ रहे है। सुनामी पीड़ितों के लिए व्यापारियों ने चेक दिए। पहले हजरतगंज का व्यापारी नमस्ते स्वीकार नहीं करता था, अब हालत क्या हो गए है ? अब इससे आपको परेशानी हो रही है।

श्री हरिश चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'--

सूखा पीड़ित किसानों को एक पैसा नहीं दिया गया। ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है उसका सर्वेक्षण अभी तक नहीं हुआ है। इन दोनों बातों पर कब ध्यान देंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

कांस्टेबिलों के बारे में बताना चाहता हूँ। जो पहले कांस्टेबिल के पद से ही रिटायर हो जाता था अब वह जब रिटायर होगा तो रिटायर्ड दरोगा कहलाएगा क्योंकि उसका प्रमोशन दरोगा के पद पर जरूर हो जायेगा। अभी पी0 ए0 सी0 की भर्तियां हुई हैं और पुलिस में 11 हजार पदों पर नियुक्तियां होनी है। हालांकि हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं लेकिन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, उद्योगों के बारे में मैंने बता ही दिया है। अब आपकी असली बात कानून व्यवस्था पर आते हैं। कानून व्यवस्था के बारे में इतना बढ़ा-चढ़ा कर मत कहें जिससे प्रदेश का नुकसान हो। कानून व्यवस्था पहले खराब थी, अब नहीं है। अजीम प्रेम जी जो एक बहुत बड़े उद्योगपति है, उन्होंने हमें लिखा है कि मैं संतुष्ट हूँ। कुमार मंगलम बिड़ला जी ने भी लिखा है कि मैं संतुष्ट हूं। अच्छा काम हो रहा है। अगर प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब है तो इतने बड़े उद्योग पति पत्र क्यों लिख रहे हैं, और वह प्रदेश में क्यों आना चाहते है ? कानून व्यवस्था के बारे में हमारे पास आंकड़े भी है अगर कहें तो आपको बता दें। लेकिन मैं आंकड़ों में विश्वास नहीं रखता इसलिए आपके सामने आंकड़े रखना नहीं चाहता हूँ। यह

आंकड़े आपके शासनकाल के भी है और हमारे शासन काल के भी हैं। डकैती से लेकर अपहरण तक की घटनाओं व बसों में लूट पाट के सभी आंकड़े हमारे पास हैं। लेकिन मैं आंकड़ों पर विश्वास नहीं रखता। मैं चाहता हूँ कि जनता महसूस करे कि कानून व्यवस्था सही है। सरकार जनता की कसौटी पर खरी उतरेगी। जहां तक शिक्षा की बात है, सुप्रीम कोर्ट तक ने अपने जजमेंट में माना कि उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल की परीक्षा का परिणाम समय से निकला। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में वकील से कहा कि आखिर उत्तर प्रदेश में समय से परिणाम कैसे निकला ? आप क्यों नहीं निकाल सकते ? यह गौर साहब को मालूम होगा।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

हम लोगों के समय में विश्वविद्यालय का सत्र नियमित हुआ था तब से आज भी नियमित सत्र चल रहा है।

श्री लालजी टण्डन--

शिक्षा के बारे में आपको सूचना दे दूँ प्रदेश में अनेकों जगह पर सेन्टर स्थापित किए जा रहे हैं जो 50-50 कि0मी0 से लेकर 90 कि0मी0 दूर हैं। लड़कियों और बच्चों को जाना होगा इम्तहान देने के लिये। यह सबका विषय है, यह कोई मेरा विषय नहीं है। आप कितनी ही सफलता क्यों न कहें, जो बच्चे इम्तहान देने के लिये इतनी-इतनी दूर जायेंगे वे वहां से आपका गुण-गान करते हुए आयेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव--

यह आपका सुझाव अच्छा है, हम इसको महसूस करते हैं और इसमें सुधार करेंगे। अब आप छात्रसंघ के चुनाव ही ले लीजिये। किस तरह से हुआ, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। प्रमोद कुमार जी, आप कैसे इस पर बोलेंगे ? आप छात्र आन्दोलनों से जुड़े रहे हैं, नौजवान आन्दोलनों से जुड़े रहे हैं। छात्र संघ के चुनाव पहले कितने साल तक किस तरीके से होते रहे । छोटी-मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं। अब दो-चार लड़कों को लेकर कोई राय बना लें । अब गल्तियां करने की ही तो उम्र है उनकी। इस समय गल्ती नहीं करेंगे तो कब करेंगे ? आप बता दें, कोई छात्र रहा हो और उसने कोई गल्ती न करी हो। कोई गल्ती हो जाती है तो उसको लेकर प्रचार किया जाता है। छात्र संघ का कितना महत्व है, वह भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए। इसी तरह से बताना चाहता हूं कि कहीं बाजारबन्दी सुनी है आपने 18 महीने के अन्दर आपकी सरकार में जब आप व्यापारियों के बलबूते पर थे उनका कितना आन्दोलन आपको झेलना पड़ता था क्योंकि उनको आपसे उम्मीदें थीं और आपने उनको निराश किया। आज व्यापारियों का इन 18 महीनों में कहीं कोई आन्दोलन नहीं है। वैट के खिलाफ वे हैं तो वह तो आपने लागू कराने का फैसला लिया। इस तरह का अविश्वास ठीक नहीं है लोगों के साथ। अब लोग जान गये हैं कि आप जनता के बीच में कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आपने ही वैट का कानून लगाया और हमने ही उसको रोका।

श्री लाल जी टण्डन--

हाई पावर कमेटी का मैं मैम्बर रह चुका हूं। मैंने इसका विरोध किया था कि यह लागू नहीं होना चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मुझे आश्चर्य है कि प्रधानमंत्री के करीबी और उनके दोस्त और प्रतिनिधि जिनका कि अटल जी के साथ केवल कार्यकर्ता का रिश्ता नहीं है बल्कि उनके मित्र हैं, विश्वासपात्र हैं, इसके बाद भी बिल पास हो गया। आप इसको रोक नहीं पाये। आपमें यदि क्षमता थी तो आप कहते प्रधानमंत्री जी से कि यह नहीं आना चाहिए, तो यह न आता। कैसे रोका गया ? यह जो कार्यवाही हुई है, यह हमने अकेले लोकसभा में खड़े होकर रोकी है। कोई खड़ा होने वाला नहीं था मैंने कहा कि आप सब बैठ जाइये, हम अकेले खड़े रहेंगे। अध्यक्ष जी बहुत अच्छे थे, भले ही वे शिवसेना के थे।

श्री प्रमोद कुमार--

वे भी अच्छे थे और यह अध्यक्ष जी भी अच्छे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव--

यह तो अच्छे हैं। हमारा और इनका काफी लम्बा साथ है, छात्र जीवन से अब तक इनका साथ रहा है। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि मल्टीप्लेक्स का निर्माण हो रहा है जहां लोग मनोरंजन के लिये जाते हैं। ऐसा है, कुछ घटनाएं होती हैं और उनका हमको एहसास है। हम अभी बता देंगे। कम्प्यूटर से आप देख लें कि कितने काम हो रहे हैं। बड़े-बड़े लोग यहां आ रहे हैं। मैनपुरी के चुनाव की बड़ी चर्चा हो रही थी। चले गये हैं, नहीं। आपके साथियों ने बड़ी चर्चा कर दी। हम नाम नहीं लेंगे जिन दलों ने रद्द कराया चुनाव। एक नेता एक पार्टी के मैनपुरी में जाकर कहते हैं कि चुनाव रद्द कराना पड़ा तो रद्द करायेंगे, चुनाव आयोग ने कहा यह गम्भीर बात है कहना कि रद्द करायेंगे। करछना, मैनपुरी में चुनाव के बाद पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए, उनकी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट पर गम्भीरता से विचार करने के लिए पूरा चुनाव आयोग बैठा, जहां गड़बड़ी की संभावना थी वहां पर री-पोलिंग करा दी गई। इनके समय में जब पोलिंग में गड़बड़ी हुई थी उसके बाद जब हमारी पार्टी ने धरना-प्रदर्शन किया तो वहां इन्होंने गोलियां चलवाई। श्रीवास्तव जी चलें, बाजपेयी जी चलें, तिवारी जी चलें, रामनरेश जी चलें, पता कर लें, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी गोलियां चली हों। इस तरह किया गया जिससे हमारा पूरा का पूरा नेतृत्व खत्म हो जाए। आजम खां, रामशरण दास, सतपाल जी, अमर सिंह जी, कोई ऐसा नेता नहीं था जो वहां न हो। सड़क पर सब कार्यकर्ता थे। हमने सबको दफ्तर के अन्दर बुला लिया और फाटक बंद कर दिया। फाटक के सामने गोलियां चलाई गई, शीशे तोड़ डाले गए, आंसू गैस छोड़ी गई। यह कहा गया कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय में पाकिस्तानी अस्त्र-शस्त्र है। अधिकारियों ने कहा, जहां प्रदर्शन किया उसे सार्वजनिक स्थान कहा जाता है। समाजवादी पार्टी के पास पाकिस्तानी अस्त्र-शस्त्र है,यह कहा गया। बहुजन समाज पार्टी के लोग चले गए। अगर इनकी एक जांच करा दी जाए तो पता लगे कि इनके यहां कितने-कितने विस्फोटक रखे गए। यह कानून व्यवस्था पर बात करेंगे इनकी हिम्मत नहीं है सुनने की। मैं आपसे कहना चाहता हूं पूरे नेतृत्व को खत्म करने की कोशिश की गई, गोलियां चलवाई गईं। नौजवानों के हाथ बांध कर लड़कों को डोरी-रस्सी से हाथ बांध कर उन पर लाठियां बरसायी गईं। हमारा प्रदर्शन हिंसक नहीं होता है, आज तक हिंसक नहीं हुआ है। हम तो नारा लगवाते हैं--'मारेंगे भी नही, मारेंगे भी नहीं,' लड़को को हाथ बांध कर मारा गया और तीन महिलाओं को पुलिस ने बूटों से पेट पर मारा। अगर वह गर्भवती होती तो क्या होता ? इन महिलाओं को लड़के उठाकर अस्पताल में ले गये। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको यह पता न हो, हमने वह दिन देखे हैं, लेकिन कोई शिकायत नहीं है, नालों के किनारे से कैसे लोग उजाड़े गए

और आप लोग देखते रहे और इसी का परिणाम है कि आप आज वहां बैठे हैं। यदि ऐसा नहीं किया होता तो आज आपको यह दिन देखने को नही मिलता। आपको भी इतने बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। आप प्रस्ताव पास करेंगे, माननीय राम नरेश जी, इन लोगों के भुक्तभोगी आप हैं। स्थिति यह है कि हमारे यहां रहते है तो गुण्डे-माफिया और दूसरी तरफ जाते हैं तो देवता हो जाते हैं। हम फक्र के साथ कहना चाहते हैं, पत्रकारों ने भी कहा, मैंने कहा कि हम विपक्ष में रहना मंजूर करेंगे लेकिन माफियाओं को टिकट नहीं देंगे। कोई ऐसा है जो अपने जीते हुए मेम्बरों को पार्टी से निकाल दे ? लेकिन मैंने निकाला है। उनके घृणित काम देखें और ऐसे 4 एम0 पी0 को हमने निकाला है क्योंकि उनकी छवि खराब थी। सुधार का मौका है, हमें चाहिए कि अगर कुछ गल्तियां कर रहे हैं तो उन्हें सुधारें और अच्छे रास्ते पर लायें और समाज की सेवा करें। इसलिए आप समाज की चिन्ता करिए। जिन्होंने चुनाव रद्द कराया उन्हें 2 फीसदी वोट मिले, यह समाज है। हम चुनाव आयोग से मिले और मैंने कहा कि आपने चुनाव आयोग की गरिमा को गिराया है, इस तरह की मैंने बात की। एक बार चौधरी चरण सिंह के चुनाव को रद्द कराने के लिए आप लोग पहुँच गए, आप त्रिवेदी जी से पूछिए, उन्होंने कहा क्यों बड़बड़ा रहे हो और चुनाव नहीं रद्द किया। यह पहला अवसर है हिन्दुस्तान के अन्दर जब दिल्ली सरकार के अधिकारी, प्रीसाइडिंग आफिसर, मैनपुरी में केन्द्र सरकार ने अपने भेजे और उन्होंने हमारी पुलिस तथा पी0 ए0 सी0 पर भी ज्यादा विश्वास नहीं किया और 40 कम्पनी केन्द्रीय सुरक्षा बल वहां लगायी गई। कितने लोग चुनाव से रोके भी गए और 45 प्रतिशत वोट पड़े। उसके बाद भी हम 1 लाख 55 हजार वोट से जीते। आप कानून-व्यवस्था की बात करते हैं ? यह जनता है, यदि जनता कहे कि कानून-व्यवस्था खराब है, मान लेंगे, हजरतगंज कहे तो मान लेंगे। जितने लोगों को आपने पाला था उनको हम लोगों ने जेल भेजा है। जिनकी वजह से तबाह था हजरतगंज, उनको जेल भेजा है। हमने कहा है कि जितने चुनाव हुए हैं सभी शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं। इतने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कभी नहीं हुए हैं। यह भी सच्चाई है कि अगर हम चाहते, अगर हम एम0एल0सी0 के चुनाव में कुछ कर देते तो हमारा उम्मीदवार जीत जाता। हमारी सरकार है, अगर हम कुछ करवा देते तो हमारा उम्मीदवार जीत जाता। अगर रिपोर्ट कर देते कि 11 वोट से हराया गया तो हमारे 3 एम0एल0सी0 जीत जाते। अगर हम थोड़ा सा भी सरकार का सहारा लेते तो हम पार्लियामेंट में 7 सीटें अधिक जीत जाते। अभी मैंने चुनाव आयोग से कहा है कि हिन्दुस्तान में अगर निष्पक्ष चुनाव हुए हैं तो उत्तर प्रदेश में हुए हैं। चुनाव आयुक्त ने कहा कि भले ही मुलायम सिंह यादव कुछ भी कह गये हों लेकिन वह अच्छे नेता है। जो चिट्ठी दी गयी उस पर चिन्ह दे दिया गया। मुलायम सिंह यादव का सम्मान रखा। हम दिल से निष्पक्ष चुनाव करा रहे हैं।

मैनपुरी से भी हमने चुनाव जीतने के लिए कोई गलत तरीके से प्रयास नहीं किया। सभी जानते हैं कि मेरा मैनपुरी से क्या संबंध है ? हमारे पूर्वज यहां के रहने वाले हैं। हमारे संबंधी हैं, कई तरह के और संबंध हमारे वहां से रहे हैं। हर जाति में सेंटीमेंट्स हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों का क्या मतलब कि खुद तो भाषण दे जाएंगे और बाद में भाग खड़े हो जाएंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट से पैरवी करके ताजमहल रात्रि दर्शन के लिए खुलवा दिया। एक साल तक के लिए खुलवा दिया। ताज महोत्सव मनाने का मौका दिया। अगर कानून-व्यवस्था खराब होती तो क्यों इतने लोग देखने के लिए आ रहे हैं ? पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। इसलिए जनता में अगर आप जाएंगे तो आपको सही चीज पता चलेगी। पुलिस का भी हमने मनोबल बढ़ाया है। हमने भ्रष्टाचार के बारे में भी कड़े कदम उठाये हैं। जो भ्रष्टाचारी हैं उन्हें हमने सजा दी है। जैसे वन विभाग में

आपने देखा कि जो बड़े-बड़े अधिकारी थे उन्हें भी हमने जेल भेज दिया। कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही हुई, कितने लोगों को मुअत्तल किया गया। हम पुराने मामलों को निकलवा रहे हैं और कार्यवाही करेंगे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में सरकार ने एक आदर्श काम न करने का प्रयास किया हो केवल आपका सहयोग चाहिए। आपको वोट की राजनीति नहीं करनी चाहिए। कहां कानून व्यवस्था खराब है, यह जो वोट पड़ रहे हैं यह बता रहे हैं। अकबरपुर में क्या हुआ ? व्यापारियों की बात आप करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पक्ष में 1109 हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चार हैं यह हालत है अकबरपुर की और यह वह सीट है जो उनका गढ़ कहलाती थी। मिल्कीपुर को आप देख लें। आप कहीं भी देख लें, आपको पता लग जायेगा कि ब्राह्मण, ठाकुर ने हमको वोट दिये हैं। यह लोग यह कहते हैं कि यह यादवों और मुसलमानों की पार्टी है। आप यह देख लें कि किसकी पार्टी है ?

माननीय अध्यक्ष जी, आप यहां पर बैठे हैं और हमारी पार्टी से हैं। मुसलमान तो सदा हमारे साथ रहेगा ही क्योंकि ऐसी नीति जो आप बनाते हो, जब तक यह नीति नहीं बदलेगी, यह आपके साथ नहीं आ पायेंगे और हमें फायदा मिलता रहेगा। चौधरी साहब, आपको लोग गलत सूचना देते हैं आप उनकी बात को मत मानों, लोग आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं। कानपुर का मामला आया, मैंने उसको बुलाया था। वह बहुत दुखी होकर मेरे पास आया था। जब मैंने उसे बुलाया तो वह सभी को लेकर मेरे पास आया और जब वह गया तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वह बहुत खुश होकर गया। उसने मुझे चिपटा लिया। मैंने उसके लिए सिक्योरिटी का भी इंतजाम कर दिया था और वह सिक्योरिटी कानपुर तक उसे छोड़ने गयी थी। दूसरे दिन मैंने उनकी जमीन पर कब्जा दिला दिया। हमने कभी पक्षपातपूर्ण तरीके से कोई कार्यवाही नहीं की। जिसने भी खराब काम किया, चाहे वह हमारी पार्टी का ही कार्यकर्ता क्यों न हो उसे हमने सजा दी। एक हमारा सपा का कार्यकर्ता था और बड़ा अच्छा कार्यकर्ता था, हमने उसे 6 महीने तक जेल में डाल दिया। बाद में उसने कहा कि वह अब भविष्य में कभी गल्ती नहीं करेगा तब हमने उस पर से लगा गुन्डा ऐक्ट वापस लिया। तो क्या आप ऐसा कर पायेंगे ?

श्री लाल जी टण्डन--

अगर होगा तो करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

आप कभी नहीं कर सकते हैं। मैं जानता नहीं क्या हुआ ? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी ही पार्टी के इनके नेता हैं, लेकिन न्याय के बारे में मैं कह सकता हूं कि कितने-कितने गलत लोगों को आपके द्वारा बचाया गया है। इतना अमानवीय व्यवहार आपकी ही पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं और आप उनका पक्ष लेते हैं। आप जानते हैं कि क्या हुआ, इटावा में कैसा पक्ष लिया गया, इसलिए कानून व्यवस्था के बारे में हम यह कह सकते हैं।

श्री जगदम्बिका पाल--

अब आगे कुछ न कहिये।

श्री मुलायम सिंह यादव--

जितने अपराधी, माफिया हैं उनके खिलाफ कार्यवाही युद्ध स्तर पर हुई इटावा में एक को हमारी सरकार ने पकड़ा दूसरे को भी मध्य प्रदेश की सरकार पकड़ा रही है, जिन्होंने कितने कत्ल

किए हैं, कितने अपहरण किए हैं, कितनी डकैती डाली हैं। मान्यवर, नाम नहीं लेंगे, सब डकैतों को हम जानते हैं। पांच डकैतों को मारा गया और आठ डकैतों को जिन्दा पकड़ा गया चाहते तो सबको मार देते, लेकिन लक्ष्य था कि जो अपहरण हुए हैं, उन लोगों का पता चल सके। दो हरियाणा, एक दिल्ली, एक आगरा, एक मथुरा, एक हमारे जिले का छल्ला और भदोही जिले का भी था और आठों को जिन्दा पकड़ा गया, यह मिसाल है पुलिस की और यह इकबाल है सरकार का। इधर वहां भगदड़ मची हुई है जब से डकैतों के खिलाफ अभियान छेड़ा गया है।

अब आप बतायें, क्या उन्हें हमने पाला है ? कल्लू जिसे कलुआ कहते हैं--शाहजहांपुर-1997, बताइये हमने इसे बनाया, बृजेश सिंह, वाराणसी-1995, विनोद तिवारी, गोरखपुर-1998, त्रिभुवन सिंह गाजीपुर-1995, अताउल रहमान गाजीपुर-1998, शहाबुद्दीन, गाजीपुर-1998, कृपा शंकर, वाराणसी-2003, मुन्ना उर्फ बजरंगी जौनपुर-1999, निर्भय गूजर औरैया-20 वर्ष, रज्जन गूजर इटावा-1995, सलीम उर्फ पहलवान सिंह जालौन-1996, सत्यपाल उर्फ सपोला इटावा-2001, जगजीवन परिहार इटावा-2001, रमेश कालिया लखनऊ-96, रविन्द्र उर्फ भूरा मेरठ-1995, थोंकिया उर्फ अम्बिका चित्रकूट-1999, शंकर केवट फतेहपुर-1995 आदि। रमेश कालिया, यह किस पार्टी का नेता है ? इसने एल0डी0ए0 पर कितना कब्जा कर लिया था ? आप टिकट देना चाहते थे, मुझे आश्चर्य हुआ था। मुझे आश्चर्य है आपकी सोच, आपकी संस्कृति पर। आपका चरित्र क्या है ? कहां है आपकी साफ-सुथरी छवि ? बताइये क्या जवाब है आपके पास ? आपने रमेश कालिया की पत्नी को टिकट क्यों दिया ? जिसकी वजह से लखनऊ थर-थर कांपता था, उसको आपने टिकट दे दिया, मुझे आश्चर्य है, अफसोस होता है। रमेश कालिया जिसे आजीवन कारावास था, फरार था, लक्ष्मी शंकर यादव को मारा गया, नवम्बर, 2002 में। उस जमाने में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं थी लेकिन मैं जानता हूं कि कांग्रेस के अध्यक्ष जब इटावा जाते थे और वहां मुख्य मंत्री की तरह से उनका सम्मान होता था। इन लक्ष्मीशंकर यादव की हत्या करने वाले कौन थे ? आप देखें। मैं इसको आप सबको बताना चाहता हूं। क्या जवाब है आपके पास ? मुझे अफसोस होता है कितना बढ़ावा दिया जा रहा है ? हमारे खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं मिलता है हमेशा दागी व्यक्ति ही मिलता है। चाहे आप जितना दागी खड़ा करें लेकिन अगर कोई मजबूत प्रत्याशी खड़ा है तो उसके मुकाबले जनता कभी किसी दागी व्यक्ति का साथ नहीं देगी, जनता कभी दागी को पसन्द नहीं करती है। (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) हम तीन चार बार इसे भोग चुके हैं। संभल में मैं चुनाव लड़ने गया, वहां भी खड़ा कर दिया गया। आपको कोई उम्मीदवार दागी के अलावा मिलता ही नहीं है मेरे खिलाफ । और बता रहा हूं, रमेश कालिया, भूरा यह मेरठ का है-1995 अब यह कितने नाम हम आपको बतायें, क्यों यह सब नाम हम कार्यवाही में लाये ? अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपने मजबूर किया है यह सब बताने के लिए। जो राजूपाल की हत्या हुई है, हमें उसका दुख है। चाहे जैसा उसका इतिहास रहा हो लेकिन उस इतिहास से हमें कोई वास्ता नहीं है। हत्या तो हत्या है। हत्या करने का तो किसी को कोई अधिकार नहीं है। हत्या तो तब तक नहीं होती जब तक कि कोई गजब न हो जाय, उस पर ईनाम न घोषित हो जाय। वैसे मारने का अधिकार तो जनता-पुलिस दोनों को है लेकिन किसी की जान लेने का अधिकार तो केवल न्यायालय के अलावा किसी और को नहीं है। राजू पाल की जो हत्या हुई है, उसमें हमें अफसोस है।

लेकिन आप देखेंगे हमारे विधायक शारदा प्रसाद रावत की हत्या हुई, भाजपा राज्य था उस समय 1991 में, यह हत्या कहां हुई यह सबको पता है। लक्ष्मी शंकर यादव जी की हत्या राष्ट्रपति

शासन के समय में हुई । ओम प्रकाश पासवान की हत्या हुई तब राष्ट्रपति शासन था। आपके जवाहर पंडित की हत्या हुई यह हत्या इलाहाबाद के सिविल लाइंस इलाके में हुई थी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की हत्या हो गयी वह आपकी पार्टी के नेता थे, उन्होंने तो आपको परेशान नहीं किया था। मैं इसलिए यह सब बता रहा हूं कि इन सब बातों को गंभीरता से लें। हमारा भले ही उनसे राजनीतिक विरोध था लेकिन मैंने कई बार उनकी मदद की थी और ऐसे मामलों में मदद की थी जो कोई दूसरा कर नहीं सकता था। उनका पूरा परिवार इस बात को जानता है कि हमने उनकी मदद की है। मैं उधर बैठता था लेकिन वह हमारा हाथ पकड़कर बात किया करते थे। उनकी हत्या कोई मामूली हत्या थी ? वीरेन्द्र प्रताप शाही की लखनऊ में हत्या हो गयी। उस समय बी0जे0पी0 का शासन था। भगवान बख्श सिंह एम0एल0सी0 की हत्या हुई । निर्भय पाल शर्मा विधायक, सहारनपुर की हत्या हुई । बहुत अच्छे इंसान थे। फूलन देवी की हत्या हो गयी, आपका राज था। दिल्ली में भी उस समय आपका राज था। आपके मुख्यमंत्री के घर के बगल में उनकी हत्या हो गयी। संतोष शुक्ला को थाने में घुसकर लोगों ने दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला, उनकी हत्या की गयी। उनकी हत्या करने वाले कौन लोग थे ? वह व्यक्ति बसपा पार्टी का कार्यकर्ता था और उनके साथ आप यहां सरकार चला रहे थे। थाने में पुलिस ने उनको छिपा लिया था लेकिन पुलिस की मौजूदगी में उनको बाहर खींचकर मार दिया गया और उनकी हत्या करने वालों की आप मदद कर रहे थे और पूरी मदद हुई । यह है कानून व्यवस्था। लेकिन कम से कम आप देखें मंजूर अहमद की हत्या कहां हुई ? वह और हम सब राजभवन में क्या मांगने गये थे ? वह हमारे साथी विधायक थे। लेकिन उन पर गोलियां चलवा दी गयीं। उस समय राज्यपाल का शासन था। राजू पाल की जो हत्या हुई, उनकी हत्या का हमें बहुत अफसोस है। लेकिन उसमें आप देखें हमारे एम0पी0 को उसमें जेल भेज दिया गया है, उनके भाई को जेल भेज दिया गया है, केवल रिपोर्ट के आधार पर । हमने रिपोर्ट के आधार पर और नैतिकता के आधार पर कार्यवाही की। (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) ।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

लेकिन नैतिकता के आधार पर बी0एस0पी0 के सांसद को हमने जेल नहीं भेजा।

*श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, हमने तो कोई अपराध, हिंसा नहीं किया था लेकिन दो महीने जेल में रहे।

श्री मुलायम सिंह यादव--

आपको तो खुद खड़ा ही नहीं होना चाहिए था। आपसे तो हमने जेल में बात कर हाल-चाल पूछा था। कोई ऐसा मुख्य मंत्री नहीं होगा।

श्री राम इकबाल सिंह--

उसके लिए मान्यवर, आपका धन्यवाद।

श्रीमन्, मैं दो माह जेल में रहा लेकिन कोई दोषी दण्डित नहीं हुआ। मुख्य मंत्री जी, आप इतने बड़े आदमी हैं लेकिन मेरे मामले में कोई आदमी दण्डित नहीं हुआ। हम दोषी हों तो दण्डित कर दिये जाय। धरना देना हमारा मौलिक अधिकार है। हम ऐसा नहीं कर सकते जो आप कर रहे हैं।

(श्री जियाउद्दीन रिजवी द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

रिजवी साहब, आप बैठिये।

श्री मुलायम सिंह यादव--

दोनों लोग एक ही जिले के हैं, आप भी बैठें और आप भी बैठें।

मैं बहुत विचारणीय बिन्दु सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण है जिसको आपने छेड़ा था और सुझाव भी दिये थे, इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि नक्सलाइट की जो समस्या है उसके संबंध में तमाम शिकायतें हैं। लेकिन हम केवल यह निर्णय लेना नहीं चाहते हैं कि उसे हम बन्दूक या डन्डे के बल पर खत्म करना चाहते हैं। यह एक वैचारिक संघर्ष है। सामाजिक असमानता है और सामाजिक असमानता से उत्पन्न गरीबी और गरीबी से उत्पन्न दरिद्रता है। उसके पीछे इन नौजवानों को इसका घूंट पिलाकर वहां के लोग आत्मसम्मान के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं इसलिए आज वह हथियार लेकर निकल पड़े हैं। यह सख्ती तो हम करेंगे लेकिन हम यह कह सकते हैं कि बन्दूक और डन्डे के बल पर नक्सलाइट को नहीं रोका जा सकता है। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनानी पड़ेगी और इसीलिए समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ है और समाजवाद की सरकार है। हम वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे और हमने उस इलाके के विकास के लिए 72 करोड़ रुपया अलग से दिया है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए, बिजली और पानी के लिए, हम पैसा देकर सुविधाओं की व्यवस्था कर रहे हैं। इस तरह से हम उसको रास्ते पर लाना चाहते हैं। जब तक हम वैकल्पिक विचार नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा ? यह वैकल्पिक विचार किसी के पास है तो समाजवादी आन्दोलन के पास है, समाजवादी पार्टी के पास है लेकिन दूसरी तरफ आपसे जरूर चाहेंगे कि अगर विचार करना हो तो यह वैचारिक संघर्ष है। इसलिए हमारा दल एक सैद्धान्तिक और एक अनुभव के आधार पर 10 साल के अन्दर यहां खड़ा है। हम तो 10 साल में समाजवादी आन्दोलन को खड़ा किये हैं एक वैचारिक और सैद्धान्तिक आधार पर चलकर। जनता ने पकड़ा और आज वकीलों ने पकड़ा, शिक्षकों ने पकड़ा, छात्रों ने पकड़ा, इसलिये हम आपसे कहेंगे कि इसमें आपको विकल्प देना पड़ेगा। सामाजिक आर्थिक बदलाव के क्षेत्र में। इसलिये हम यह कहना चाहते हैं कि नक्सलवाद 14 राज्यों में फैल चुका है। हमारे उत्तर प्रदेश में 15 जवानों की हत्यायें हो चुकी है, जबकि मेरा मानना है कि एक भी हत्या नहीं होनी चाहिये। हम अपनी जिम्मेदारी मानते है, इस पर आपको भी विचार करना पड़ेगा। हम आपको बुलायेंगे, नेताओं को बुलायेंगे, सदन के बाद और यदि सदन के बीच में मौका मिलेगा तो बीच में भी। अध्यक्ष के चैम्बर में बैठेंगे। इसमें हमको-आपको बैठकर कुछ विकल्प देना पड़ेगा। आप छोटे-छोटे राज्यों की बात करते हैं, इस पर मैं कहना चाहता हूं कि छोटे-छोटे राज्य बनाने की बात इस मौके पर बंद कर दें तो ज्यादा अच्छा है। आज नक्सलाइट छोटे-छोटे राज्यों के माध्यम से ही प्रवेश कर रहा है।

नेपाल में माओवादी विदेशी हथियार लेकर घूम रहे हैं। छोटे-छोटे राज्यों की जो सत्ता है, वह ढीली होती है, कमजोर होती है, जबकि बड़े राज्यों की सत्ता मजबूत होती है, उनका पुलिस बल, सुरक्षा बल मजबूत होता है अगर कहीं कोई बात होती है तो हम उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं। इसलिये हम छोटे राज्यों की बात न करें। हमें वोट मिले या न मिले, यह देश की राजनीति का सवाल है। हम जानते हैं, हम समाजवादी लोग हैं, हम मिलकर मुकाबला करेंगे। इसमें आप द्वारा केवल आलोचना नहीं, केवल चर्चा नहीं, बल्कि इसमें गंभीरता

से विचार करना होगा। यह वैचारिक संघर्ष है। इसमें विकल्प देना पड़ेगा। समाजवाद इस विचारधारा को समझता है, आप नहीं समझते होंगे। इसलिये आपको इस मौके पर छोटे राज्यों की मांग बंद कर देना चाहिये। आज 14 राज्यों में नक्सलाइट पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में इस समय 225 गांवों में है। आप सुझाव दें, हम मिलकर काम करने को तैयार हैं। यह देश का सवाल है। आज देश में गंभीर स्थिति पैदा हो रही है। यह जो नक्सलाइट विचारधारा है, इस पर आप विकल्प के लिये गंभीरता से विचार करें।

आज जैसा माननीय प्रमोद कुमार जी ने बताया था, सवाल रखा था, हम उससे पूरी तरह सहमत हैं। लेकिन आज हम यह भी कहना चाहते हैं कि पहले जो छात्रसंघ चुनाव पर प्रतिबंध लगा था, वह मैंने इसलिये हटाया था कि अगर छात्र आन्दोलन, नौजवान आन्दोलन ने राजनीति में प्रवेश नहीं किया तो हम कहना चाहते हैं कि अपराधी सत्ता में आयेंगे। हमने बहुत सोचा और अभी मैं 15 दिन लगातार झारखंड में रहा, छत्तीसगढ़ तो पूरी तरह चपेट में है। बिहार पूरी तरह नक्सलाइट के कब्जे में है। जहां-जहां छोटे-छोटे सूबों की बात होती है, वहां नक्सलाइट बढ़ता है और इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब तक छात्र वर्ग के लोग राजनीति में नहीं आयेंगे तो फिर दागदार लोग ही सत्ता में काबिज रहेंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, दूसरे प्रदेश में हम देख रहे हैं कि वहां की क्या स्थिति है ? हमने बहुत चिन्तन-मनन किया, बहुत सोचा कि जहां पर पहले इतना वैचारिक वातावरण रहता था, आखिर क्या वजह हो गई कि दागदार लोगों को पार्टियों ने टिकट दिये ? उसका कारण मुझे पता चला कि वहां लम्बे समय लगभग 15 वर्षों से लालू यादव जी ने छात्रसंघ के आन्दोलनों पर रोक लगा दी थी। हम भी छात्रसंघ से आये हैं, आजम खां साहब छात्र आन्दोलनों से आये हैं, श्री प्रमोद कुमार जी भी छात्रों के नेता रहे हैं, आपकी पार्टी के श्री अरुण जेटली जी भी दिल्ली युनिवर्सिटी छात्रसंघ से रहे हैं, अरूण कुमार सिंह 'मुन्ना' जी भी छात्र नेता रहे हैं।

आज भी राजनीति में लगभग सौ नेता हैं जो छात्र आन्दोलनों से निकले हुए हैं। इसीलिए हम सभी दलों से अपील करेंगे कि छात्रों को भी अपने-अपने दलों में अग्रसर करें। प्रमोद कुमार जी, अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से आपकी और हम सभी की समस्याओं का हल निकल आयेगा, इसलिए आप इसे गम्भीरता से लें। हमने केवल अपनी पार्टी के लिए नहीं कहा है। समाजवादी पार्टी तो आगे निकल गई है, आज बहुत से छात्र नेता हमारी पार्टी के अन्दर हैं, उसी का परिणाम है, उसी का नतीजा है कि हमारी पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है। आप रेवती रमण सिंह जी के लड़के हैं, यह एक अच्छे कालेज में टापर रहे हैं और छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं। मेरा भतीजा भी, हालांकि उसने चुनाव नहीं लड़ा लेकिन वह छात्रों का नेता रहा है। इस तरह के लोगों को राजनीति में लाना चाहिए। सभी दल के लोगों से हम अपील करेंगे कि माफिया और दागदार लोगों को राजनीति में न लायें और छात्रों को ससम्मान राजनीति में लायें, तभी इस समस्या का समाधान हो सकेगा। बिहार में जो छात्र आन्दोलन पर प्रतिबन्ध लगा है, उसका परिणाम बहुत साफ दिखाई दे रहा है। हमें अपने प्रदेश को विकास के मामले में बहुत आगे ले जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरे सदन को धन्यवाद देता हूं और महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव माननीय छोटे लाल यादव जी ने रखा है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। आज जो सकारात्मक बहस इस सदन में हुई है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस सदन में हमारी सरकार को विश्वासमत प्राप्त है।

(नेता विरोधी दल के खड़े होने पर)

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, यह तो बीच में भी टीका-टिप्पणी करते रहे हैं, अब हमें कुछ स्पष्टीकरण मांग लेने दीजिए।

मंत्रि-परिषद् में विश्वास का प्रस्ताव

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव ऐसा होता है, जिसमें सदन का विश्वासमत भी प्राप्त होता है, इसलिए मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन मंत्रिपरिषद् में विश्वास व्यक्त करता है।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रस्ताव भी माननीय मुख्य मंत्री के भाषण में जोड़ दिया जाए।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)--

मान्यवर, मैंने बहुत सी बातें सुनी ही नहीं बल्कि उनका संज्ञान भी लिया है। मैं कहना चाहता हूं कि सदन को गुमराह करने का शायद इससे अच्छा तरीका और नहीं होगा क्योंकि आपने प्रदेश में सैकड़ों पुल बनवा डाले लेकिन वर्ष 1991 में कोलाघाट, शाहजहांपुर में शिलान्यास हुआ था और आज तक वह बन नहीं पाया है। मान्यवर, शाहजहांपुर रोजा में एक पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए यही कुमार मंगलम बिड़ला ने 1996 में पावर परचेज एग्रीमेण्ट भी कर लिया था लेकिन आज तक उसकी नींव नहीं रखी गयी। मैं जो इन्हें सुझाव देता हूं उस पर गौर करना चाहिए। मैं यह कहूंगा कि सारी बातों पर आपकी जो पहचान है, वह न मिटने दीजिए। वह पहचान है कि हिन्दुस्तान और हिन्दी के लिए लड़ते रहे हैं भले ही हिन्दू कहने में शर्म आती हो। लेकिन आपके सहयोगी मंत्री कह रहे हैं कि हिन्दू, हिन्दी और हिन्दुस्तान की बात करने वाले गद्दार हैं, तो वह सदन के नेता को नहीं मानते हैं। मैंने बहुत सी बातों को दर किनार कर दिया, कोई प्रतिवाद नहीं किया। मुख्य मंत्री जी आपने बहुत सी बातें कहीं, उसको मैंने ध्यान से सुना है और बहुत सी बातों को सुनकर निकाल भी दिया है क्योंकि उसका कोई अर्थ ही नहीं है। आपने सदन को एक अच्छे मूड में गुमराह कर दिया। जो कुछ कही और जो कुछ नहीं कही है, वह भी कह दिया। अभी बहुत सी बातें कहनी है, वह मैं बजट पर चर्चा के दौरान कह दूंगा, अवसर आगे है। कोई ऐसा नहीं है कि जो कहा है उसका उत्तर चाहिए।

मैंने धैर्यपूर्वक सुना, मेरा कर्तव्य है जो जवाब दिया है उस पर सवाल करना। आगे मौका है, बजट पर करूंगा। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसी बातों से अपनी पार्टी को बचाइये। समाजवादी पार्टी से ज्यादा कम्युनिस्टों को देशद्रोही कहते थे लेकिन डा0 लोहिया को श्रद्धा के साथ देखा और उन्हें राष्ट्रवादी विचारक के रूप में स्वीकार किया क्योंकि उन्होंने समाजवाद की नई परिभाषा दी। आज उन्हीं के नाम पर राजनीति करने वाले, उन्हीं के नाम पर ऊंचे पदों पर पहुंचने वाले, उन सिद्धान्तों पर इस तरह की बातें कहें तो क्या होगा ? मान्यवर, क्या यह आपका कर्तव्य नहीं था कि जिस मंत्री ने 26 जनवरी को मेरठ में जा करके झण्डे की सलामी नहीं ली कि यह इस्लाम के विरुद्ध है। इसलिए सलामी नहीं ली गयी। इसका खण्डन क्यों नहीं आया ? मान्यवर, आप अपने उस पहिचान को बनाये रखिये, बहुत सी चीजें आपके साथ जुड़ी हैं जिनको कहा जा सकता है। लेकिन जिनका नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं, उनके सिद्धान्तों पर चलने की कोशिश करिये। मैं सलाह दूंगा जहां

तक नीतियों की बात है, मैंने आपको सुझाव दिये हैं, अगर आप उन सुझावों के ऊपर अमल करते तो शायद जो नीतियां चल रही हैं उनका प्रभाव तेजी से सामने आने लगता। निजी क्षेत्रों का जो प्रेम-पत्र आया हुआ है, जैसा कि आपने कहा कि बहुत से उद्योगपति आये हैं। मैंने ऐसी कई कानफ्रेन्स की हैं और भागीदार रहा हूं, सभी ने इसी तरह की भाषा बोली ओर एक उद्योगपति आया भी। मैंने एक उदाहरण बताया कि विष्णु प्रयाग परियोजना का वर्ष 1991 में समझौता हुआ था लेकिन अभी तक एक यूनिट बिजली नहीं आयी। निजी क्षेत्रों की जो मजबूरियां हैं उनको समझिये, उनके हितों को समझिये। मुझे विद्युत नीति से कोई लेना-देना नहीं है, प्रदेश के लिए बिजली चाहिए, आप जो चाहें करें। लेकिन जो अनुभव है, उसको बताया जा रहा है, उसको समझने की कोशिश करिये। उसे सुधार लीजिए, अभी समय है। अन्यथा आपने पहले दिन भाषण दिया था तो कहा था कि दो साल में हम एक हजार मेगावाट बिजली का जनरेशन करेंगे। डेढ़ साल हो गए अभी दो साल और लगेंगे इस तरह से साढ़े तीन साल हो जाएंगे मैं तो चाहता हूं कि आप पांच साल रहें लेकिन कांग्रेस वाले रहने देंगे।

श्री जगदम्बिका पाल--

ऊंचाहार बिजली की बात करिए।

श्री लालजी टण्डन--

आप पांच साल में भी इनसे बिजली का उत्पादन नहीं ले पाएंगे। जो प्रोजेक्ट पहले से हमारे चल रहे हैं जो उत्तरांचल में चले गए हैं उनकी मानीटरिंग करें और जल्द से जल्द विद्युत उत्पादन का काम शुरू कराएं। सख्ती करेंगे तो जल्दी जनरेशन शुरू होने लगेगा। व्यापारी अपना लाभ देखते हैं जनता से इन्हें कोई मतलब नहीं होता है। इन्हें व्यापार से मतलब होता है। आपको जनता का हित देखना है। कुमार मंगलम का रोजा में पावर स्टेशन लगना था उस पर अभी तक बात नहीं बनी। आपको फिर पत्र भेज दिया। पत्र का कार्यान्वयन कौन करेगा ? कब करेगा ? जब हम इस तरह की बात करते हैं तो आप समझते हैं कि हम आपकी आलोचना कर रहे हैं हम आपकी नीतियों की आलोचना कर रहे है । हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं। इस तरह के कार्यो से कुछ नहीं होने वाला है इससे आपकी क्रेडिबिलटी भी खत्म हो जायेगी। इसलिए जो आलोचना हो उसको आप व्यक्तिगत न लें। जहां पर कुछ लोगों के राष्ट्र विरोधी कृत्यों की बात होगी वहां पर हम बार-बार विरोध करेंगे। और आपको यह आगाह करेंगे कि आप क्यों ऐसे लोगों को छूट दे रहे हैं। चाहे कोई कुछ भी कहे लेकिन आपकी राष्ट्र भक्ति पर कोई संदेह नहीं कर सकता है हां आपकी कार्य क्षमता पर संदेह कर सकते हैं लेकिन चाहे मुझसे कोई भी व्यक्ति भले ही वह आपका शत्रु हो वह मुझसे यह कहे कि आपने कोई कार्य हिन्दुस्तान के विरोध में किया है तो मैं नहीं मान सकता हूं। लेकिन ऐसे लोगों को जिसे हिन्दुस्तान के नाम से चिढ़ हो उसके लिए बेहतर होगा कि वह ऐसे मुल्क में चला जाय जहाँ यह नाम सामने आए ही नहीं और उनके दिल में खलिश न हो। यह जो राष्ट्रीयता है यही एक तत्व ऐसा है जो सबको जोड़ सकता है लेकिन कुछ विघटनकारी लोग जो इस तरह की बातें कहते हैं उन पर अंकुश लगाइए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बाकी बातें बजट के समय कहूंगा।

श्री अध्यक्ष--

आप अपना संशोधन वापस ले रहे है ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री शाहिद मंजूर)--

अध्यक्ष जी, अभी नेता प्रतिपक्ष ने मेरे संबंध में एक बात सदन को गुमराह करने के लिए कही कि मैंने झण्डे की सलामी नहीं दी। मुझे गांवल्स के वंशजों से राष्ट्र भक्ति के बारे में प्रमाण-पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। एक झूठ को सौ बार बोलकर सच साबित करने वालों से मुझे राष्ट्र भक्ति का प्रमाण-पत्र लेने की जरूरत नहीं है। मैंने झंडे का सम्मान किया है झण्डे का सम्मान करने के लिए मैं पुलिस लाइन गया था मैं जनतंत्र का सम्मान करने के लिए पुलिस लाइन गया था। चूंकि फिरकापरस्त लोगों की दुकानें बन्द हो चुकी हैं जिनके पास समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं रह गया है ऐसे लोग फिजूल की बात करके इस सदन का समय बरबाद करते हैं । मुझे उनसे किसी भी प्रमाण-पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है।

कुंवर भारतेन्द्र सिंह--

मान्यवर, टाइम्स आफ इंडिया और दैनिक जागरण की कटिंग मेरे पास है। मंत्री जी को उसका खंडन करना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष--

अखबार में क्या छपा है, इस सदन में उसका संज्ञान नहीं लिया जाता है। अभी माननीय नेता विरोधी दल ने अपनी बात कही। जिन माननीय सदस्यों को स्पष्टीकरण पूछना है पूछ लें उसके बाद छोटे लाल जी का प्रस्ताव रख दिया जायेगा।

*श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार ने 70 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया लेकिन किसानों को राहत राशि नहीं मिली। ओला पीड़ित क्षेत्रों का सर्वेक्षण शुरू नहीं हुआ जबकि ओले से रबी की फसल खराब हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों राहत राशि का वितरण करने के लिये कौन सी योजना है जिससे किसानों को इसका लाभ मिल सके।

*श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, कदाचित् आप भी सहमत होंगे कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों का खुलासा किया और पूरे सदन ने उसको गम्भीरता से सुना। मैं नेता प्रतिपक्ष को भी धन्यवाद देता हूं कि वे भी उन तथ्यों को अंगीकार कर रहे थे और गम्भीरता से सुन रहे थे। आज जब मुख्य मंत्री जी फिर अपनी सरकार की नीतियों और कार्यों को बता रहे हैं तो नेता प्रतिपक्ष उनसे सहमत नहीं हैं तो उसकी आलोचना कर सकते हैं लेकिन ये यह कह रहे हैं कि किसको हिन्दुस्तान से नफरत है, झण्डे से नफरत है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन में तब तक कोई व्यक्ति जीत कर नहीं आ सकता जब तक कि वह भारत के संविधान और झण्डे का सम्मान न करे। कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ चुनकर नहीं भेजा जा सकता। किसी क्षेत्र की जनता ऐसे व्यक्ति को नहीं सुन सकती।

श्री अध्यक्ष--

आप स्पष्टीकरण पूछिये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगदम्बिका पाल--

मैं उसी पर आ रहा हूं। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कई महत्वपूर्ण नीतियों का जिक्र किया है लेकिन आप इससे सहमत होंगे कि उत्तर प्रदेश में आय के स्रोत के लिये पर्यटन से बड़ा महत्वपूर्ण और कोई विषय नहीं हो सकता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि बुद्धिस्ट सर्किट के बारे में कुछ कहा जायेगा। मुख्य मंत्री जी इसका कुछ खुलासा करेंगे लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। श्रावस्ती, कपिलवस्तु, भगवान बुद्ध की जन्मस्थली, कुशीनगर के लिये बैंकाक से बोधगया हवाई जहाज आता है। लुम्बिनी दुद्धी मार्ग हो, कलवरी टाण्डा मार्ग हो, के विकास की कोई बात नहीं है जिससे बुद्धिस्ट सर्किट का विकास हो सकता था। दूसरी बात यह है जो कि बहुत संवेदनशील है कि आजादी के बाद तीन बार किसानों पर गोली चली है चाहे वह मुन्डेरवा की घटना हो या रामकोला की, और दुर्भाग्य की बात यह है कि यह भारतीय जनता पार्टी के समय में ही हुआ है। आप प्रतिपक्ष में थे और मुन्डेरवा में 3 किसान मारे गये थे। किसानों ने धरना प्रदर्शन किया था। आपने कहा था कि हमारी सरकार आयेगी तो हम वहां की चीनी मिल चलवायें। आपने और चीनी मिल चलवाई है, हम चाहते हैं कि और भी जो बन्द पड़ी है उनको भी चलवाइये। यह कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु थे जो कि रह गये थे नहीं आ पाये थे।

श्री मुलायम सिंह यादव--

अध्यक्ष महोदय, मैंने सारे सवाल इसलिए उठाए कि अनुदान आएंगे विभाग के तो विस्तार से चर्चा होगी। पर्यटन का सवाल उठाया गया। कपिलवस्तु, कुशीनगर में जापान सरकार बहुत बड़े पैमाने पर खर्चा करने जा रही है। उसी क्षेत्र के सिद्धार्थनगर की तरफ के जो क्षेत्र है वहां विकास का काम होगा। ताज महोत्सव मनाया जा रहा है। वह आगरा में है, हम चाहते हैं कि यह आगरा में ही न होकर जो फतेहपुर सीकरी, मथुरा, ग्वालियर, झांसी, चित्रकूट हैं इसको भी इसमें शामिल किया जायेगा जिससे पूरे प्रदेश में जो बेरोजगार हैं उनको आर्थिक सहायता मिलेगी।

डा0 सुशील चौधरी--

अधिष्ठाता महोदय में जहां प्राइवेट चीनी मिलें है वहां 35 से लेकर 40 रुपये तक इन्टेन्सिव दे रही है को-आपरेटिव चीनी मिलें बगैर आपकी इजाजत के इन्टेन्सिव नहीं पा सकती हैं। प्रतिदिन 10 करोड़ का नुकसान हो रहा है मेरा निवेदन है सहकारी चीनी मिलों को इन्टेन्सिव देने की इजाजत दे दें।

श्री छोटे लाल यादव--

मान्यवर, मेरे द्वारा महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उस पर आज चौथा दिन है। इस पर विभिन्न राजनीतिक नेताओं के विचार आए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल, आदरणीय टण्डन जी, माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य जी, माननीय नेता कांग्रेस प्रमोद कुमार जी, विपक्ष के सभी आदरणीय माननीय सदस्यों के विचार, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 विनोद तिवारी, श्री जगदीश नारायण राय, धर्मपाल जी, जय प्रताप सिंह जी तमाम माननीय सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष के संशोधन के प्रस्ताव पर जिन्होंने अपने विचार रखे हैं उन विचारों को सुनने के बाद श्रीमन् आज आदरणीय नेता सदन ने एक-एक बिन्दु पर नेता प्रतिपक्ष को उत्तर दिया है। पूरे सदन को उत्तर दिया है उसके बाद नेता प्रतिपक्ष एवं सम्मानित नेताओं के विचार आने के बाद और माननीय नेता सदन के उत्तर भाषण को सुनने के

बाद माननीय नेता प्रतिपक्ष को आदरणीय नेता सदन को धन्यवाद देना चाहिए था और अपने द्वारा संशोधन प्रस्ताव को वापस लेना चाहिए था। इसी के साथ मैं अपने द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बल देता हूं और नेता विरोधी दल से अनुरोध करता हूं कि वह संशोधन का प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता के हित में आप अपने संशोधन प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष--

मा0 नेता विरोधी दल, आप अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेंगे ?

(नेता विरोधी दल द्वारा संशोधन प्रस्ताव वापस न लेने पर)

अब मैं श्री राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण के लिए प्रस्तुत धन्यवाद-प्रस्ताव में माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन प्रस्ताव को मतदान के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--"

1--प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, बढ़ते हुए अपराध, अपहरण, हत्यायें तथा जनता में व्याप्त भय और आतंक के सम्बन्ध में,

(कई सदस्यों ने इसे पढ़ा हुआ मान लेने को कहा)

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, संशोधन के क्रम संख्या-1 से क्रम संख्या-40 तक को पढ़ा मान लेते हैं।

श्री जगदम्बिका पाल--

अध्यक्ष जी, अन्य माननीय सदस्यों द्वारा जो संशोधन के प्रस्ताव रखे गये हैं, उन्हें भी पढ़ा मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में जो संशोधन माननीय नेता विरोधी दल ने प्रस्तुत किया है, उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

इसके अतिरिक्त, अन्य संशोधन भी जो उपस्थित किये हुये माने गये हैं, अस्वीकृत समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एकसाथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 11 फरवरी, 2005 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

*दिनांक 16-2-2005 की कार्यवाही में सभी संशोधन छपे हैं।

मंत्रि-परिषद में विश्वास का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--

एक और प्रस्ताव है।

प्रश्न यह है कि यह सदन मंत्रि-परिषद में विश्वास व्यक्त करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

अध्यक्ष जी, इसकी आवश्यकता क्या है ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, इस प्रस्ताव को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ गयी ?

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 25 फरवरी, 2005 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 26 फरवरी से 29 मार्च, 2005 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :--

1--दिनांक 28 फरवरी, 2005 को सदन का उपवेशन न हो।

2--शनिवार, दिनांक 12 मार्च, 2005 को सदन का उपवेशन हो तथा उस दिन नियम 51,56,300, 301 एवं 311 के अन्तर्गत सूचनाएं न ली जायं।

3--दिनांक 26 फरवरी, 2005 से 29 मार्च, 2005 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :--

26 शनिवार 27 रविवार 28 सोमवार	बैठक नहीं होगी।

मार्च, 2005

1 मंगलवार 1--वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।

2--डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा :--

इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या के स्थिरीकरण हेतु विशेष कार्य योजना बनायी जाये।

2 बुधवार 1--वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।

2--उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार एवं पारण--आधा घण्टा।

3--उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार एवं पारण--आधा घण्टा।

4--उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार एवं पारण--आधा घण्टा।

3 गुरुवार 1--वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।

2--"प्रदेश में खाद्य तेलों में मिलावट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में " श्री लालजी टण्डन, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री सुखदेव राजभर, श्री राजेश कुमार, श्री आर0 एस0 कुशवाहा, श्री दद्दू प्रसाद, श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रदीप माथुर, श्री विवेक बंसल, श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' श्री जगदम्बिका पाल तथा श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचनाओं पर चर्चा--डेढ़ घण्टा।

4 शुक्रवार 1--वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2--"प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में " श्री लालजी टण्डन, श्री हुकुम सिंह, श्री केशरी नाथ त्रिपाठी, डा0 विनोद तिवारी, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुखदेव राजभर, श्री जगदीश नारायण राय, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री दद्दू प्रसाद, श्री आर0 एस0 कुशवाहा, श्री ओम प्रकाश, (श्री ओ0 पी0 सिंह), श्री मलिक मसूद, श्री अब्दुल मन्नान, श्री बृजेन्द्र कुमार व्यास, श्री अनीस अहमद, श्रीमती माया प्रसाद, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री सदल प्रसाद, श्री उमाशंकर कुशवाहा, श्री शिव चरण प्रजापति, चौधरी धूराम लोधी, श्री इरशाद खां, श्री जय राम विमल, श्री धर्मराज निषाद, चौधरी महेन्द्र सिंह, श्री अनिल कुमार मौर्य, श्री आर0 के0 सिंह पटेल, डा0 रमेश चन्द्र विन्द, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री प्रमोद कुमार, श्री राम नरेश यादव, श्रीमती लुईस खुर्शीद, श्रीमती अमिता सिंह, श्री उदयभान करवरिया तथा श्री मुंशी लाल गौतम, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा दी गई सूचनाओं पर चर्चा--एक घण्टा।

5 शनिवार
6 रविवार } बैठक नहीं होगी।

7 सोमवार वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

8 मंगलवार बैठक नहीं होगी (महाशिवरात्रि का अवकाश)।

9 बुधवार
10 गुरुवार } बैठक नहीं होगी।

11 शुक्रवार 12 शनिवार	वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
13 रविवार	बैठक नहीं होगी।
14 सोमवार 15 मंगलवार 16 बुधवार 17 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
18 शुक्रवार	1--वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2--**3.00 बजे अपराह्न** उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2005 का सदन की अनुज्ञा से पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।
19 शनिवार 20 रविवार	बैठक नहीं होगी।
21 सोमवार	असरकारी दिवस।
22 मंगलवार	1--असरकारी दिवस। 2--विधायी कार्य (आधा दिन)।
23 बुधवार 24 गुरुवार	विधायी कार्य।
25 शुक्रवार 26 शनिवार 27 रविवार	बैठक नहीं होगी (होली का अवकाश)।
28 सोमवार 29 मंगलवार	विधायी कार्य।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)--

मान्यवर, एक अनुरोध है कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक का समय पूर्वाह्न 11.00 बजे न करके प्रश्न प्रहर के बाद कर लिया जाये तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष--

जरूरी होता है तो ऐसा किया जाता है। भविष्य में ध्यान रखेंगे।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 25 फरवरी, 2005 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 35 सूचनाएं प्राप्त हुई-- पहली सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की उ0 प्र0 के आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग में कार्यरत तदर्थ चिकित्साधिकारियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। दूसरी सूचना श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह) की लखनऊ स्थित लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत आवासीय मानचित्रों के पश्चात् भी व्यक्तियों द्वारा व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलाये जाने के सम्बन्ध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। तीसरी सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मिल्कीपुर को चालू किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। चौथी सूचना श्री राजेश कुमार की जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड बिजुआ, बांकेगंज के ग्रामों में ओलावृष्टि से फसल के नष्ट होने एवं सहायता न मिलने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। पांचवीं सूचना श्री जयप्रताप सिंह की जनपद सिद्धार्थ नगर स्थित आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी, बांसी के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। छठी सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की जनपद इलाहाबाद स्थित शंकरघाट कालोनी, तेलियरगंज के शवदाहगृह की चिमनी को ऊंचा करने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। सातवीं सूचना श्री दीनानाथ कुशवाहा की जनपद सोनभद्र के ग्राम पड़रक्ष में वन अधिनियम की धारा 4 की कार्यवाही रोककर खनन पट्टे के नवीनीकरण में अनापत्ति जारी न किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। आठवीं सूचना श्री राम विशुन आजाद की जनपद गोण्डा एवं बलरामपुर के जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, गोण्डा को संचालित किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। नवीं सूचना श्री प्रमोद कुमार की जनपद प्रतापगढ़ के थाना कोतवाली नगर के श्री पहुप सिंह, निरीक्षक, पुलिस के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैंने मृतक के लिए अनुरोध किया था कृपया इसको वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष--

प्रमोद जी, जब इसका जवाब आएगा तब बोल लीजिएगा।

दसवीं सूचना श्री द्वारिका प्रसाद की जनपद संतकबीर नगर के आमी नदी पर ग्राम उतरावल के पास पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुई श्री आलोक कुमार शाक्य, श्री जगन प्रसाद गर्ग, डा0 सुशील चौधरी, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री लालजी वर्मा, श्री रामकरन आर्य, श्री राम नरेश यादव, प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर, श्री नवाब सिंह नागर, श्री आर0 एस0 कुशवाहा, श्री मदन चौहान, श्री मतेश चन्द्र सोनकर, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री अकीलुरंहमान, श्री छोटेलाल वर्मा, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री मुंशी लाल गौतम, श्री बीजू पटनायक, श्री छोटे लाल यादव, श्री रणवीर राणा, डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा, श्री अशोक सिंह चौहान, श्री अमरजीत सिंह 'जनसेवक' तथा श्री राम इकबाल सिंह।

गौतमबुद्ध नगर के छलैरा ग्राम स्थित गाजियाबाद अरबन कोआपरेटिव बैंक में जमा किसानों के 80 करोड़ रुपये के भुगतान के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता राज्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)--

मान्यवर, प्रश्नगत उक्त बैंक उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम.....

श्री अध्यक्ष--

इसे पढ़ा मान लेते हैं।

श्री मोहम्मद आज़म खां--

[1965 एवं नियमावली 1968 के अधीन निबंन्धित एक सहकारी समिति है जिसका निबन्धन संख्या 2693, दिनांक 22-9-76 है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उक्त बैंक को बैंकिग व्यवसाय हेतु लाइसेन्स संख्या यू0वी0डी0-यू0पी01402पी0 प्रदान किया गया है।

उक्त बैंक स्तर पर हुई अनियमितताओं आदि के संज्ञान में आने पर विभागीय जांचोपरान्त वित्तीय अनियमितताओं आदि में बैंक प्रबन्धन एवं सचिव बैंक आदि की संलिप्तता संज्ञान में आने पर उप निबन्धक मेरठ के पत्रांक 1534-43/विधि धारा 90 बी (III), दिनांक 20-6-2002 द्वारा उक्त बैंक की प्रबन्ध समिति अवक्रमित करते हुए बैंक में प्रशासक की तैनात की गयी है। वर्तमान मे जिला सहायक निबन्धक गाजियाबाद श्री योगेन्द्र मलिक उक्त बैंक के प्रशासक हैं। बैंक स्तर पर हुई अनियमितताओं से संबंधित 07 प्राथमिकी तत्कालीन बैंक सचिव, बैंक प्रबन्धन एवं अन्य उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज कराई गयी है। जिसकी जांच विशेष अनुसंधान शाखा सहकारिता शाखा मेरठ द्वारा की जा रही है। अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत प्रथमत: 6 अधिकारी (सचिव बैंक सहित) को निलम्बित कर अनुशासनात्मक कार्यवाही संचालित की गयी। तत्कालीन बैंक सचिव श्री आर0 डी0 शर्मा एवं श्री जितेन्द्र दत्त शर्मा उप सचिव की सेवायें भी समाप्त की जा चुकी हैं। तथा शेष अन्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संचालित है।

उक्त बैंक का निरीक्षण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये जाने के पश्चात् बैंक स्तर पर की जा रही गम्भीर अनियमितताओं एवं बैंक की वित्तीय स्थिति गम्भीर पाये जाने आदि के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक केन्द्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक 14-5-2002 द्वारा बैंक के व्यवसाय में रोक लगायी गयी तथा कालान्तर में भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश दिनांक 02-6-2004 द्वारा बैंक के

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जमाकर्ताओं का भुगतान भी प्रतिबन्धित कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों के अनुसार बैंक जमाकर्ताओं को मात्र 1000 रुपये तक का ही भुगतान करेगी। गाजियाबाद अर्बन कोआपरेटिव बैंक के कुल 5534 खातों में रु0 2837.40 लाख किसानों की भूमि मुआवजे की धनराशि जमा है।]

प्रदेश के अनुदानित महाविद्यालयों में नियमित शिक्षकों द्वारा स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम की पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं में पढ़ाने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)--

मान्यवर, मा0 सदस्य ने प्रश्नगत सूचना द्वारा सदन के संज्ञान में लाया गया है।

श्री अध्यक्ष--

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

श्री मोहम्मद आज़म खां--

[कि प्रदेश के सभी अनुदानित महाविद्यालयों में 2-3 दशकों से कार्यरत नियमित शिक्षकों को स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम की पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं में पढ़ाने पर शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने प्रतिबन्ध लगा दिया है, जिससे अमानवीय विसंगति पैदा हो गई है। शासनादेश में यह प्राविधान है कि स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षक अलग हो व अनुदानित शिक्षकों से यह कार्य न लिया जाये। यदि किसी महाविद्यालय में किसी विषय में बी0 ए0 20 वर्षों से चल रहा है और जब उसी विषय में स्नातकोत्तर मान्यता स्ववित्त पोषित में मिली, तब उस विभाग का अध्यापक पी0जी0 कक्षाओं को नहीं पढ़ायेगा, पी0जी0 कक्षाओं को केवल अनुभवहीन या कम अनुभव वाले ट्यूटर पढ़ायेंगे।

इसकी हानि यह है कि प्रधानाचार्य पद हेतु आयोग से चयन होने में पी0जी0 कक्षाओं को पढ़ाने के अनुभव की आवश्यकता है जिससे यह वरिष्ठ प्रवक्ता/रीडर वंचित हो जायेंगे, उच्च शिक्षा प्रभावित होगी, स्तर गिरेगा, वरिष्ठ अनुभवी शिक्षकों की प्रोन्नति का भविष्य अन्धकारमय हो जायेगा।

2--इस सम्बन्ध में मा0 सदन को यह अवगत कराना है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण शासनादेश संख्या 1960/सत्तर-2-97-2(85)/97, दिनांक 11-11-1997 द्वारा करते हुए यह निर्णय लिया गया कि इन पाठ्यक्रमों में अध्यापकों की नियुक्ति हेतु विशेषज्ञ सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा तथा इन पाठ्यक्रमों का शिक्षण शुल्क वेतन संदाय खाते में जमा नहीं किया जायेगा और इन अध्यापकों पर उनके सेवाकाल में अथवा सेवानिवृत्ति के उपरान्त पड़ने वाले किसी प्रकार के वित्तीय भार को शासन द्वारा किसी भी दशा में वहन नहीं किया जायेगा। स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों/संस्थाओं में पूर्व से अध्यादेशों द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क लागू नहीं होगा। इन संस्थाओं में सामान्यतया निगमित निकाय (कार्पोरेट बाडी) के नियम लागू होंगे। इस प्रकार स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अध्यापकों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखी गयी है। यह उल्लेखनीय है कि उपरिसंदर्भित शासनादेश दिनांक 11-11-1997 द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क भी निर्धारित किया गया है। शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97, दिनांक 09-05-2000 द्वारा स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में अध्यापकों के चयन के लिए विशेषज्ञ का नामांकन विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने, चयन का अनुमोदन विश्वविद्यालय से कराये जाने, कार्यपरिषद् के अनुमोदन से प्रत्येक विषय के लिए विशेषज्ञों का पैनल बनाये जाने, अध्यापकों की नियुक्ति तीन वर्ष अथवा पांच वर्ष की संविदा पर किये जाने, छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत भाग वेतन मद में खर्च किये जाने, अनुबन्ध पत्र में शिक्षकों के वेतन एवं अवकाश आदि का उल्लेख किये जाने तथा अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि अनिवार्य रूप से लागू किये जाने के प्राविधान किये गये है।

3--यह सत्य है कि अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है तथा ऐसे अध्यापकों को वेतन संदाय से वेतन भुगतान किया जाता है। इन महाविद्यालयों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त आय को वेतन संदाय खाते में जमा किया जाता है। इस प्रकार अनुदानित महाविद्यालय के शिक्षकों एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालय/पाठ्यक्रम के शिक्षकों के चयन/अनुमोदन में पर्याप्त भिन्नता रखी गयी है। इसी परिप्रेक्ष्य में उनकी सेवा शर्तों में भी पर्याप्त भिन्नता है। अतः स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों से अध्यापन कार्य नहीं कराया जाता है।

4--अनुदानित महाविद्यालय में विगत अनेक वर्षों से संचालित स्नातक पाठ्यक्रम के किसी विषय विशेष में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर मान्यता प्राप्त होने पर उस पाठ्यक्रम को विभाग के स्नातक स्तर के पूर्व अध्यापकों से पढ़ाने के स्थान पर अनुभवहीन या कम अनुभव वाले शिक्षक से पढ़ाये जाने का कथन तथ्यपरक नहीं है क्योंकि स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम में अध्यापन करने वाले शिक्षकों के लिए अर्हतायें तथा शर्तें वही रखी गयी हैं, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित है। ऐसी स्थिति में उच्च शिक्षा के स्तर में गिरावट होने की आशंका निर्मूल है। जहां तक स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के स्नातकोत्तर कक्षाओं में अनुदानित महाविद्यालयों के वरिष्ठ प्रवक्ताओं को अध्यापन से वंचित करने के फलस्वरूप आयोग से प्राचार्य के पद पर प्रोन्नति न होने का कथन है, उल्लेखनीय है कि परिनियमों में सीधी भर्ती के स्नातकोत्तर/स्नातक स्तर के प्राचार्य हेतु स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्यापन के अनुभव की अनिवार्यता का प्राविधान नहीं है। विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयों में सीधी भर्ती के प्राचार्यों की निम्नवत् अर्हता निर्धारित है :--

सीधी भर्ती के स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्राचार्य :

(1) स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक अथवा उसके समतुल्य सात सूत्रीय माप में बी-ग्रेड।

(2) पी-एच0डी0 अथवा समतुल्य उपाधि।

(3) उच्च शिक्षा की संस्थाओं में 15 वर्ष का अध्यापन/शोध का अनुभव, किन्तु शिक्षण-प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में प्राचार्य पद हेतु 15 वर्ष के अध्यापन अथवा प्रशासनिक अनुभव शोध जिसमें न्यूनतम 5 वर्ष का शिक्षण-प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शिक्षण अनुभव अनिवार्य होगा।

सीधी भर्ती के स्नातक महाविद्यालयों के प्राचार्य :

(1) स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक अथवा उसके समतुल्य सात सूत्रीय माप में बी-ग्रेड।

(2) पी-एच0डी0 अथवा समतुल्य उपाधि।

(3) विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों और संस्थानों में अध्यापन/शोध का 10 वर्ष का अनुभव, किन्तु शिक्षण/प्रशिक्षण महाविद्यालयों में स्नातक प्राचार्य हेतु 10 वर्ष के शैक्षणिक अनुभव में न्यूनतम 5 वर्ष का शिक्षण-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शिक्षण का अनुभव अनिवार्य होगा।

5--उक्त से स्पष्ट है कि सीधी भर्ती के स्नातकोत्तर प्राचार्य/स्नातक प्राचार्य की अर्हताओं में पी0जी0 कक्षाओं को पढ़ाने की अनिवार्यता नहीं है अपितु शिक्षण अनुभव की अनिवार्यता है। अत: स्ववित्त पोषित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अनुदानित महाविद्यालय के अनुभवी शिक्षकों के अध्यापन कार्य न करने से उनकी प्राचार्य पद पर प्रोन्नति में कोई अवरोध नहीं है और न ही इससे किसी प्रकार की विसंगति उत्पन्न हुई है।]

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

मान्यवर, इन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि सीमित संसाधनों के कारण सफाई कर्मचारियों की नियमित भर्ती नहीं की जा रही है। तमाम भर्तियां खाली है, दूसरा आपने कहा कि हैल्थ मैनुअल के अनुसार बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में सफाई कर्मचारियों की तैनाती नहीं हो पा रही है।

श्री अध्यक्ष--

यह आपका आगे वाला वक्तव्य है।

राज्य सरकार की स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के निदेशक के रिक्त पद को भरने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश पाण्डेय द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)--

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा विभाग, इलाहाबाद में।

श्री अध्यक्ष--

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

[निदेशक के रिक्त पद को नियमित रूप से भर जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है। सम्प्रति स्थानीय निधि लेखा परीक्षा निदेशालय के दिन प्रतिदिन के कार्य निस्तारण में आ रही कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए श्री मुरलीधर पाण्डेय, वरिष्ठतम उप निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0 प्र0, इलाहाबाद को, कार्यवाहक निदेशक के रूप में वित्त (लेखा परीक्षा)

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अनुभाग के आदेश दिनांक 21 फरवरी, 2005 द्वारा तैनात कर दिया गया है। अब तक निदेशक की नियुक्ति न हो पाने के पीछे अधिकारियों का आपसी विवाद नहीं है। अत: किसी अधिकारी के विरुद्ध इस सम्बन्ध में कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता। राज्य सरकार के अधीन विभागाध्यक्ष के रिक्त पदों की सूचना प्राप्त करने में समय लगेगा।]

श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

मान्यवर, बहुत से विभागों में अभी तक स्थान रिक्त हैं उनमें विभागाध्यक्ष नहीं नियुक्त किये हैं तो यह कब तक हो जायेंगे ?

श्री मोहम्मद आज़म खां--

मान्यवर, यथाशीघ्र भर दिये जायेंगे।

यमुना नदी पर बने यमुना सेतु पर भारी टोल-टैक्स वसूल किये जाने के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)--

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी.....

श्री अध्यक्ष--

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

श्री मोहम्मद आज़म खां--

यमुना नदी पर बने नवनिर्मित सेतु पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारी टोल-टैक्स के निर्णय से जनता, वाहनचालकों निजी मोटरकारों तथा परिवहन व्यवसायियों में भारी रोष व्याप्त होने के संबंध में दी गयी सूचना के संबंध में विवरण निम्नवत् है :--

यमुना नदी पर बने नवनिर्मित सेतु पर वाहनों का आवागमन दिनांक 21-08-04 से प्रारम्भ हो चुका है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के राजपत्र दिनांक 02-02-2005 के अनुपालन में दिनांक 15-02-2005 से उक्त सेतु पर गुजरने वाले वाहनों से प्रयोक्ता शुल्क भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इलाहाबाद द्वारा वसूला जा रहा है। विभिन्न वाहनों से वसूल की जाने वाली फीस की दर निम्नवत् है :--

क्र0 सं0	वाहन की विशिष्टयां	एक दिन में एक ओर से चक्कर के लिये फीस की दरें (प्रतिवाहन) (रुपये में)	एक दिन में बहु चक्करों के लिये फीस की दरें (प्रतिवाहन) (रुपये में)
1	कार/जीप आदि	20.00	30.00
2	हल्के वाणिज्यिक वाहन	30.00	45.00
3	ट्रक/बसें और बहु एक्सेल वाहन	60.00	90.00

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों से वसूल की जाने वाली फीस की दरों के अतिरिक्त विभिन्न स्रोतों से प्राप्त प्रत्यावेदनों इत्यादि पर विचार करते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परिपत्र सं0 एन0एच0ए0आई0/सी0एम0/आर0एम0-1/462, दिनांक 05-08-2002 के अनुसार सेतु से गुजरने वाले वाहनों के लिये मासिक पास की भी सुविधा प्रदान की गयी है, जो कि निम्नवत् है :--

(क) टोल क्षेत्र के 05 कि0मी0 के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के निवासियों को उनके विभिन्न वाहनों (कार/जीप) आदि के सेतु पर आवागमन हेतु निवास प्रमाण तथा वाहन स्वामित्व का प्रमाण प्रस्तुत करने पर रु0 150.00 प्रतिमाह की दर से क्षेत्रीय मासिक पास उपलब्ध कराये जाने की सुविधा। यह सुविधा वाणिज्यिक वाहनों पर लागू नहीं होगी।

(ख) उस जनपद के अन्तर्गत जहां पर सेतु निर्मित है के निवासियों अथवा उस जनपद में लगे अन्य जनपद के निवासियों, जिनकी बाउण्डरी की दूरी टोल प्लाजा से 20 किमी0 से कम हो को विभिन्न वाहनों (कार/जीप) आदि के सेतु पर आवागमन हेतु निवास प्रमाण तथा वाहन स्वामित्व का प्रमाण प्रस्तुत करने पर रु0 500.00 प्रतिमाह की दर से मासिक पास उपलब्ध कराये जाने की सुविधा। यह सुविधा वाणिज्यिक वाहनों पर लागू नहीं होगी।

(ग) राज्य परिवहन की बसों को सेतु पर आवागमन हेतु निर्धारित दर पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र के आधार पर मासिक पास उपलब्ध कराये जाने की सुविधा। यह सुविधा निजी वाहन स्वामियों को भी जनपदीय परिवहन अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र के आधार पर उपलब्ध होगी।

(घ) स्थानीय परिवहन स्वामियों के ट्रक/बसों से 20 किमी0 के भीतर आवागमन करने से संबंधित इस आशय का स्पष्ट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रु0 25 प्रति ट्रक/बस तथा रु0 15 अन्य हल्के वाणिज्यिक वाहनों से फीस लिये जाने की सुविधा।

(ङ) स्थानीय स्कूल की बसों से संबंधित प्रधानाचार्य के लिखित अनुरोध तथा संबंधित स्कूल की मान्यता एवं बसों का रजिस्ट्रेशन प्रमाण प्रस्तुत करने पर रु0 1000 प्रतिमाह की दर से मासिक पास उपलब्ध कराये जाने की सुविधा।]

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, संबंधित मंत्रियों को इसमें रहना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यह परम्परा अच्छी नहीं है।

लोक निर्माण एवं कृषि, विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)--

मान्यवर, मैं उपस्थित हूं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, यमुना नदी से यह प्रारम्भ किया गया है। इसमें जो वाहनों के रेट हैं इसकी दर अधिक है इस दर को कम करा दें।

लोक निर्माण एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)--

मान्यवर, इस पर विचार कर लिया जायेगा।

जनपद प्रतापगढ़ की कोतवाली लालगंज के ग्राम पूरे लंगड़ा निवासी स्व0 प्रमेन्द्र कुमार मिश्र के पुत्र श्री नीरज कुमार मिश्र पर जान लेवा हमला किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)--

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार.....

श्री अध्यक्ष--

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

श्री मोहम्मद आज़म खां--

[दिनांक 17-1-2005 को अमवा चौराहे पर श्री प्रमेन्द्र कुमार उर्फ बलई मिश्र निवासी लंगड़ा का पुरवा मजरे अमवां की 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मार कर हत्या कर दिये जाने के संबंध में वादी श्री पंकज कुमार मिश्र पुत्र प्रमेन्द्र कुमार मिश्र की सूचना पर थाना लालगंज मु0अ0सं010/2005 धारा 302 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया। इसी क्रम में दिनांक 142-2005 को अमवां से घर जाते समय श्री नीरज मिश्र पुत्र स्व0 श्री प्रमेन्द्र कुमार मिश्र उर्फ बलई मिश्र निवासी लंगड़ा का पुरवा मजरे अमवां के ऊपर प्रदीप सिंह पुत्र शिवबहादुर सिंह व एक अन्य व्यक्ति द्वारा तमंचे से जानलेवा हमला किया गया। इस सम्बन्ध में वादी श्री नीरज मिश्र की सूचना पर मु0अ0सं0 35/2005 धारा 307/352 भा0दं0वि0 थाना लालगंज में विरुद्ध प्रदीप सिंह व एक अन्य अज्ञात पंजीकृत किया गया। उक्त दोनों घटनाओं से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्र करने हेतु विवेचक को कड़े निर्देश दिये गये हैं तथा दोनों घटनाओं से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी एस0ओ0जी0 को लगाया गया है।

वादी मुकदमा तथा उसके परिवारी जन की जान माल की सुरक्षा हेतु थाना लालगंज से 2 सशस्त्र आरक्षी लगाये गये हैं एवं पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा पुलिस लाइन से एक सशस्त्र गनर को सुरक्षा हेतु लगाया गया है। क्षेत्राधिकारी तथा प्रभारी निरीक्षक लालगंज को विशेष सतर्क दृष्टि रखने हेतु निर्देशित किया गया है।]

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मेरा एक कार्यकर्ता मारा गया उसकी हत्या कर दी गयी। हत्या करने की रिपोर्ट पुत्र ने लिखायी और उनके पुत्र पर एक महीने मे दोबारा गोलियां चलायी गयी। तो क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि जिन लोगों ने यह कार्य किया हे उन्हें एक निश्चित सीमा तय करके उनकी गिरफ्तारी करने के विशेष निर्देश देंगे ?

श्री मोहम्मद आज़म खां--

सरकार की तरफ से कोई शिथिलता नहीं है अगर कहीं कोई कमी होगी तो देख लिया जायेगा।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है। पिता को तो मार दिया गया है और पुत्र को भी मार दिया जाय और उसे गम्भीरता से न लिया जाये। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से शासन से सिर्फ यह आश्वासन चाहता हूं कि पिता की तो हत्या हो चुकी है, लेकिन उसका पुत्र न मारा जाए इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए सरकार व्यवस्था करेगी और जो हमलावर थे उनके खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे।

श्री मोहम्मद आज़म खां--

मान्यवर, इसकी गम्भीरता के अनुरूप ही कार्यवाही होगी।

प्रदेश के स्थानीय निकायों के अन्तर्गत सफाई कर्मचारियों की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय एवं नगर विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अध्यक्ष--

यह आपका दूसरा प्रश्न था, आप किसी अन्य प्रश्न के बारे में पूछने लगे थे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, गलती हो गई थी।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)--

यह आपकी पहली गलती है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)--

माननीय सदस्य का यह कथन.....।

श्री अध्यक्ष--

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री मोहम्मद आज़म खां--

[हेल्थ मैनुअल के अनुसार बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में सफाई कर्मचारियों की तैनाती नहीं हो पा रही है। सफाई कर्मचारियों की जनसंख्या के अनुपात में तैनाती न होने का प्रमुख कारण नगर निकायों की जर्जर आर्थिक स्थिति है। नगर निकायें अपने नियमित कर्मचारियों को नियमित रूप से प्रत्येक माह वेतन का भुगतान भी नहीं कर पा रही हैं। नगर निकायों में सफाई निर्बाध गति से होते रहे, इसलिये प्रदेश की स्थानीय निकायों में नई नियुक्ति न कर सफाई व्यवस्था को संविदा पर कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या 1733/9-1-01-66/01, दिनांक 22 जून, 2002 में निर्णय लिया गया है।

2--प्रदेश के स्थानीय निकाय 74वें संविधान संशोधन के पश्चात् स्वायत्तशासी हो गये हैं और इन्हें शासन सेअब कोई अनुदान/धनराशि नहीं दी जा रही है। वर्ष 1997 से राज्य वित्त आयोग के गठन हो जाने के पश्चात् प्रदेश के राजस्व की 07 प्रतिशत धनराशि नगरीय निकायों को सीधे संक्रमित होती है, जो उनकी जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के अनुपात मे उन्हें प्रतिवर्ष मिलती है। यह राशि उन्हें सामान्यतया नगरीय रोजगार के विकास हेतु सहायता के रूप में दी जाती है। चूंकि नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिसके कारण शासन द्वारा विभिन्न निकायों से आने वाली मांगों के दृष्टिगत राज्य वित्त आयोग के माध्यम से दी जाने वाली धनराशि में से प्राथमिकता के रूप में कर्मचारियों के वेतन पर खर्च करने के आदेश दिये गये हैं। उक्त आलोक में यदि नगर निकायों में भर्ती की जाती है तो वह कर्मचारियों के वेतन पर आने वाला व्ययभार वहन करने में कदाचित सक्षम न होंगी।]

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से केवल इतना जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि मैनुअल के अनुसार, मानक के अनुसार सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जा रही है, उसका कारण है आर्थिक संकट। मेरा निवेदन यह है कि जो स्थानीय निकाय अपना व्यय भार स्वयं उठाने में सक्षम हैं उनके यहां रिक्त पद चाहे सेवा निवृत्ति के फलस्वरूप हो, चाहे मृत्यु के फलस्वरूप रिक्त हो, तो उनकी भर्ती करने में क्या सरकार सहमति दे देगी ?

(सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा आपस में बात-चीत करने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय अग्रवाल साहब, आप मंत्री हैं, आप अपने अगल-बगल वालों को समझा दीजिए।

श्री मोहम्मद आज़म खां--

मान्यवर, सफाई कर्मचारी, हमारे समाज का सबसे कमजोर वर्ग है और इस वर्ग से जो काम हम लोग लेते हैं वह किसी से नही होता है जो काम यह वर्ग करता है वह काम या तो बापू जी ने किया या स्वयं यह वर्ग करता है, यह भी बिल्कुल सत्य है कि लखनऊ की नाक के नीचे बाराबंकी में सफाई कर्मचारी प्रतिदिन काम करते हैं, लेकिन दो वर्ष से ज्यादा हो गये हैं उन्हें नगर पालिका ने वेतन नहीं दिया है। नगर पालिका को पैसा देती है सरकार, लेकिन पिछले कई सालों में एक रिवाज सा बन गया है, पैसे को दूसरे मद में डाइवर्जन करने का, जल निगम में भी कुछ ऐसा ही है, नगर पालिका में भी ऐसा ही है और उसकी वजह से हमें कुछ कड़े निर्णय लेने पड़े। यहां तक आजमगढ़ में सीवर लाईन कई साल पहले बिछाई जानी थी, उसके एक हिस्से का काम पूरा हो गया था मात्र एक करोड़ 75 लाख रुपये न होने के कारण सारा काम ठप्प पड़ा था, सारी सीवर लाईनें चोक हो गयीं, इस सम्बन्ध मे बजाय इसके कि कर्मचारियों को दोषी मानकर और उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दें, हमने इस मामले में क्रिमिनल एफ0आई0आर0 दर्ज कराने की बात की है। यह बहुत गम्भीर है और इसकी गम्भीरता आज नहीं कई वर्षों से है। सफाई नहीं हो पा रही है अगर ठेका दे दें तो उसका विरोध होता है और हम मानते हैं कि सही विरोध होता है, इसलिए बहुत जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाने वाला है। तमाम आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए भी जल्द से जल्द उनकी भर्ती का काम किया जाएगा।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद हमीरपुर के जिला महिला चिकित्सालय में तैनात महिला चिकित्सकों द्वारा अपने चिकित्सकीय दायित्वों का निर्वाह न करने के सम्बन्ध में श्री जगदीश नारायण राय द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)--

दिनांक 18-02-2005 को माननीय सदस्य....।

श्री अध्यक्ष--

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री मोहम्मद आज़म खां--

[जिला महिला चिकित्सालय, हमीरपुर में तैनात डा0 सरोजबाला तथा डा0 सुधा सिंह द्वारा बिना कार्य किये उपस्थिति रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज करने और फर्रुखाबाद में अपने-अपने नर्सिंग होम के संचालन में व्यस्त रहने तथा चिकित्सकीय दायित्वों के प्रति उदासीनता बरतने की सूचना देते हुए उनकी उच्च स्तरीय जांच कराने और उक्त चिकित्सकों को फर्रुखाबाद से दूर स्थानान्तरित किये जाने की मांग की गयी थी।

2--मा0 सदस्य के उपरोक्त शिकायतों की जांच कराने हेतु निदेशक (महिला), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को शासन के पत्र दिनांक 18-2-2005 द्वारा निर्देशित किया गया था। निदेशक (महिला), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा इसकी जांच अपर निदेशक, झांसी मण्डल से कराई गयी।

3--जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया डा0 सरोजबाला तथा सुधा सिंह, महिला चिकित्सकों के विरुद्ध अपने-अपने प्राइवेट नर्सिंग होम में व्यस्त रहने की शिकायत अपर निदेशक, झांसी मण्डल की जांच आख्या में सही पाई गयी है तथा जांच आख्या के अनुसार डा0 सुधा सिंह दिनांक 24-12-2004 से बिना अवकाश स्वीकृत कराये अधिकृत रूप से अनुपस्थित भी चल रही हैं। अतः इन दोनों चिकित्सा अधिकारियों को निलम्बित कर इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने के आदेश दिनांक 23-2-2005 को शासन द्वारा जारी कर दिये गये हैं।]

जनपद प्रतापगढ़ स्थित न्यू सिटी मान्टेसरी स्कूल को जाने वाले रास्ते को नगर पालिका परिषद् द्वारा बन्द किये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

जनपद प्रतापगढ़ में अल्पसंख्यक . . . . . ।

श्री अध्यक्ष--

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मोहम्मद आजम खां--

[संस्था न्यू सिटी मान्टेसरी स्कूल पर आने-जाने वाले रास्ते को नगर पालिका परिषद् द्वारा बन्द किये जाने के संबंध में मो0 मुजतबा सिद्दीकी, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी है। उक्त सूचना के अनुसार जनपद प्रतापगढ़ में स्थित अल्पसंख्यक संस्था न्यू सिटी मान्टेसरी स्कूल तथा प्रतियां अखबार के मुख्य सम्पादक मो0 हाशिम के मकान का दरवाजा, खिड़की, नाली, रास्ता पर असामाजिक तत्वों के साथ नगर पालिका परिषद् के कर्मचारियों के सहयोग से बन्द कर दिया गया है। स्कूल का रास्ता पूर्णतया बन्द है तथा मो0 हाशिम के मकान को भारी क्षति हुई है। रास्ता बन्द हो जाने से मान्टेसरी स्कूल के छात्रों का आवागमन बाधित हो गया है। उक्त मार्ग के बन्द होने से क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है, स्थिति किसी भी क्षण विस्फोटक हो सकती है।

2--उक्त के संबंध में जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ से आख्या प्राप्त की गई है। प्राप्त आख्या के अनुसार नगर पालिका परिषद्, बेला, प्रतापगढ़ द्वारा संगठित विकास योजनान्तर्गत अपनी भूमि पर व्यावसायिक केन्द्र का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे न्यू सिटी मान्टेसरी स्कूल का पिछला दरवाजा बन्द हो गया है तथा कुछ खिड़कियां भी प्रभावित होंगी। नगर पालिका परिषद् अपनी भूमि में ही निर्माण कर रही है तथा न्यू सिटी मान्टेसरी स्कूल का मुख्य दरवाजा (मेन गेट) पूर्णतया खुला हुआ है। न्यू सिटी मान्टेसरी स्कूल एवं नगर पालिका द्वारा किये जा रहे निर्माण दोनों का नक्शा पास है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि संबंधित विवाद को लेकर सिविल जज जुडिशियल, प्रतापगढ़ एवं जिला जज, प्रतापगढ़ के न्यायालय में क्रमशः वाद संख्या-60(2005) व 11(2005) विचाराधीन है। चूंकि प्रकरण के संबंध में वाद मा0 न्यायालयों के समक्ष लम्बित है। अतः उक्त वादों के लम्बित/विचाराधीन होने की स्थिति में प्रशासनिक स्तर पर कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है।]

प्रदेश के राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की महंगाई भत्ते की 50 प्रतिशत धनराशि को मूल वेतन में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, अवगत कराना है कि . . . . ।

श्री अध्यक्ष--

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

अवगत कराना है कि राज्य कर्मचारियों/सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को उन्हीं दरों तथा उन्हीं तिथियों से मंहगाई भत्ता अनुमन्य कराया जाता है जिन दरों/तिथियों से केन्द्र सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों को अनुमन्य कराती है। इस हेतु भुगतान की विधि में इस सीमा तक अन्तर रहा है कि राज्य कर्मचारियों, शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अनुमन्य मंहगाई भत्ता कुछ महीनों बाद स्वीकृत किया जाता है तथा स्वीकृत किये जाने पर कुछ अवधि की अवशेष धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाती रही है।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जहां तक केन्द्र की भांति जुलाई, 2004 से 3 प्रतिशत की दर से बढ़े हुए मंहगाई भत्ते को प्रदेश के कर्मचारियों को अनुमन्य कराये जाने का प्रश्न है उसे स्वीकृत किये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर मंहगाई भत्ते को मूल वेतन में सम्मिलित किये जाने के विषय में संस्तुति दिये जाने हेतु मा0 राजस्व मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अपनी संस्तुतियाँ शासन को दिनांक 20 फरवरी, 2005 को प्रस्तुत की गयीं। इस विषय के समस्त पहलुओं पर विचार विमर्श करके संस्तुति देने हेतु मंत्रि-परिषद् की एक उप समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे उत्तर प्रदेश में लाखों कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, अन्य निकायों के कर्मचारी हैं। अभी तक समानता का सिद्धान्त उत्तर प्रदेश के अन्दर माना जाता था।

मान्यवर, जब केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिये मंहगाई भत्ता घोषित करती थी तो उसी के अनुरूप उत्तर प्रदेश की सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए भत्ता अनुमन्य करती थी। मान्यवर, जनवरी 2004 तथा जुलाई, 2004 में क्रमश: 2 प्रतिशत और 3 प्रतिशत मंहगाई भत्ता केन्द्र सरकार द्वारा बढ़ाया जाना घोषित किया गया है उसके क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक केवल दो प्रतिशत मंहगाई भत्ता स्वीकृत किया गया और जबकि 8 महीने हो गये हैं तीन प्रतिशत वृद्धि की स्वीकृति नहीं दी गयी है। यही नहीं मान्यवर जब केन्द्र में एन0डी0ए0 की सरकार थी तो उन्होंने 50 प्रतिशत डी0ए0 को मूल वेतन में मर्ज करने का निर्णय लिया था। लेकिन उसके बारे में भी अभी कोई निर्णय यहां नहीं हुआ है। मान्यवर, यह सरकार उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के साथ भेदभाव कर रही है जो समानता का सिद्धान्त है उसको क्रियान्वित नहीं कर रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि तीन प्रतिशत मंहगाई भत्ते की वृद्धि और 50 प्रतिशत डी0 ए0 को मूल वेतन में मर्ज किये जाने का निर्णय यह सरकार कब तक ले लेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, यह कार्य प्रगति पर है।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

मान्यवर, यह समानता के सिद्धान्त का निर्णय वर्ष 1986 का है, राज्य सरकार को 50 प्रतिशत डी0ए0 मूल वेतन में मर्ज कर देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

आपका कहना है कि यह कार्य प्रगति पर है, माने कि उस पर विचार हो रहा है ।

सार्वजनिक तालाबों एवं भीटों पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री सोमारू राम सरोज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

ग्राम पतोरा तहसील केराकत जनपद जौनपुर . . . ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

मोहम्मद आजम खाँ--

[में स्थित तालाब संख्या-1028/-567, 811 सं0/-30, 847/-14, 850/-16, 848/-21 एवं बंजर भीटा संख्या-862/-97, 835/07, 832/-19, 833/-27, 836/-23, 860/04, 849/-09, 851/-03, 850/-11 आदि पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिए जाने तथा इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त वाराणसी के यहां शिकायत दर्ज करायी गयी है, परन्तु दो वर्षों से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी अभी तक भू-माफियाओं के दबाव के कारण कोई फैसला न हो पाने की सूचना मा0 सदस्य द्वारा दी गयी थी।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रकरण में जिलाधिकारी जौनपुर द्वारा जांच कर आख्या उपलब्ध करायी गयी है जिसके अनुसार ग्राम पतौरा की आ0नं0 860/0.016 भीटा खाते में अंकित है। इस पर किसी का अवैध कब्जा नहीं है। शेष नम्बरान ग्राम सभा भूमि है, जो तालाब भीटा एवं बंजर के खाते में दिनांक 30-12-2002 को अंकित किये गये हैं। अपर आयुक्त वाराणसी मण्डल वाराणसी के रिवीजन संख्या-211/2003 दिनांक 25-01-2003 द्वारा अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 30-12-2002 का क्रियान्वयन स्थगित करने का आदेश पारित है। स्थगनादेश के कारण तहसील स्तर पर प्रश्नगत भूखण्डों पर कब्जे के संबंध में कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है। इस प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन है तथा न्यायालय के निर्णय के पश्चात् ही अग्रेतर कार्यवाही सम्भव हो पायेगी।]

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि की नीलामी से 84 करोड़ रुपये का नुकसान होने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष--

यह स्थगित है।

जनपद बरेली स्थित रम्पुरा-सिरौली मार्ग के चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री श्री मोहम्मद आजम खां--

रम्पुरा सिरौली मार्ग . . . . .

श्री अध्यक्ष--

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मोहम्मद आजम खां--

[जो कि जनपद बरेली के अन्तर्गत है, की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मा0 सदस्य ने यह कहा कि यह सड़क अत्यन्त महत्वपूर्ण है, यह मार्ग सिरौली से शाहाबाद-मुरादाबाद-दिल्ली को जाता है, परन्तु यह सड़क बेहद खराब एवं गड्ढायुक्त है। इसलिये आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। यह मार्ग बरेली मुख्यालय को भी जोड़ता है। मा0 विधायक ने यह भी जानना चाहा है कि बरेली जनपद की सड़कों की मरम्मत हेतु कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी है एवं इस धनराशि को किन सड़कों पर खर्च किया गया है। प्रश्नगत मार्ग के चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण के प्रस्ताव को जिले से शासन को वर्ष 2002-03 में भेजने का भी उल्लेख किया गया है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि रम्पुरा-सिरौली मार्ग,अन्य जिला मार्ग श्रेणी का मार्ग है। वास्तव में यह मार्ग दो भागों में है पहला भाग रमपुरा से अलीगंज तक 14.00 कि0मी0 लम्बाई का मार्ग तथा दूसरा भाग अलीगंज से सिरौली तक 26.24 कि0मी0 लम्बाई का है। इस प्रकार इस मार्ग की रम्पुरा से सिरौली तक कुल लम्बाई 40.24 कि0मी0 है। वित्तीय वर्ष 2002-03 में उक्त मार्ग के चौड़ीकरण/नवीनीकरण के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव शासन में विचाराधीन नहीं था, रम्पुरा अलीगंज मार्ग का कि0मी0 4 नवीनीकरण हेतु इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत हुआ है, जिसका नवीनीकरण किया जा चुका है। सामान्य अनुरक्षण एवं मरम्मत मद में उपलब्ध सीमित संसाधनों के अन्तर्गत मार्ग पर पाट होल्स/पैचों की मरम्मत हो रही है। जनपद बरेली के लोक निर्माण विभाग के अधीन विभिन्न श्रेणी के मार्गों के अनुरक्षण एवं मरम्मत तथा नवीनीकरण हेतु कुल रु0 443.99 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है जिसके सापेक्ष अनुरक्षण मद में 105 मार्गों के लिये रु0 100.62 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है और विशेष मरम्मत मद में 11 मार्गों के लिये कुल रु0 227.40 लाख की धनराशि आवंटित की गयी तथा इसी प्रकार नवीनीकरण हेतु 18 मार्गों के लिये कुल रु0 115.97 लाख की धनराशि आवंटित की गयी। अवशेष मार्गों की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

जनपद गोण्डा के कटरा बाजार में आये चक्रवात से बाधित विद्युत् आपूर्ति को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बैजनाथ दुबे द्वारा नियम -51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

जनपद गोण्डा में . . .।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मोहम्मद आजम खां--

[4/5 जून, 2004 को कटरा बाजार तथा हलधर मऊ में चक्रवात से आंशिक क्षेत्र में क्षति हुयी थी। पड़री कृपाल तथा झंझरी में कोई क्षति नहीं हुयी किन्तु बाद में आये तूफान से कुछ पोल टूट गये थे इन क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति माह जुलाई 2004 तक ठीक करा दी गयी थी। कटरा क्षेत्र के एक ग्राम रामापुर में टूटे हुये पोल ग्रामीणों के द्वारा विवाद करने के फलस्वरूप ठीक नहीं हो पाये हैं। स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों से विचार-विमर्श कर इस बिन्दु पर सहमति बनायी जा रही है कि जहां के खम्भे क्षतिग्रस्त हैं, वहीं खम्भे गाड़ने दें तथा तार खींचने दें। विद्युत आपूर्ति सामान्य करने के लिए भण्डार केन्द्र पर सामान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।]

जनपद गाजीपुर के कासिमाबाद को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री कालीचरण राजभर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र . . . ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

[जहूराबाद की लम्बाई लगभग 90 किमी0 की परिधि में आती है तथा विधान सभा के अधिकांश गांव मुहम्मदाबाद तहसील में तथा सदर गाजीपुर के अन्तर्गत आता है। इस विधान सभा क्षेत्र के किसानों को कार्य हेतु मुहम्मदाबाद तथा गाजीपुर जाना पड़ता है, जिसकी दूरी लगभग 30-35 किमी0 पड़ती है। जिससे किसानों का समय एवं नाजायज पैसा खर्च होता है तथा जिस कारण क्षेत्रीय लोगों में काफी आक्रोश तथा दु:ख व्याप्त है, के संबंध में मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 18-2-2005 को सूचना दी गयी थी।

वर्तमान में परिसीमन आयोग भारत सरकार द्वारा लोक सभा एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किये जाने के कारण नई प्रशासनिक इकाईयों के सृजन/परिवर्तन पर प्रभावी रोक लगाई गई है। उक्त प्रभावी रोक तब तक रहेगी जब तक लोक सभा एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन का कार्य पूर्ण न हो जाय और इसे अधिसूचित न किया जाय।

अत: मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी प्रश्नगत सूचना पर वर्तमान में कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है।]

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद लखनऊ स्थित सईदुन्निसा गाजीपुर में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा अधिगृहीत की गयी भूमि का मुआवजा न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदिम्बका पाल तथा श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

माननीय सदस्यगण विधान सभा श्री प्रमोद कुमार एवं श्री जगदम्बिका पाल . . . ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 51 के अन्तर्गत दिनांक 18 फरवरी, 2005 को दी गयी सूचना में जनपद लखनऊ के सईदुन्निसा गाजीपुर में गाटा संख्या-491, 492, 497, 498 एवं 499, श्री नरेन्द्र सिंह चन्देल पुत्र श्री पी0एन0 सिंह व कुमारी अनुपमा चन्देल पुत्री श्री पी0 एन0 सिंह चन्देल के नाम दर्ज है। गाटा संख्या-399 की भूमि जो कुमारी अनुपमा चन्देल पुत्री श्री पी0एन0 सिंह चन्देल के तनहा हिस्से में थी तथा उस तनहा हिस्से में से 195.94 वर्गमीटर जमीन कुमारी अनुपमा चन्देल द्वारा दिनांक 13-8-2001 को श्री मुईद अहमद के नाम बैनामा करके कब्जा व दखल दे दिया गया है तथा उक्त बैनामा शुदा जमीन पर श्री मुईद अहमद द्वारा चहार दीवारी, कमरे व शेड भी बनाया गया था। उक्त भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग पर फ्लाई ओवर बनाये जाने हेतु कोई नोटिस दिए वगैर तथा कोई मुआवजा न देकर अधिग्रहीत कर लिए जाने के परिप्रेक्ष्य में कुमारी अनुपमा चन्देल व श्री मुईद अहमद को मुआवजा दिलाये जाने की मांग करते हुए सम्बन्धित मा0 मंत्री का वक्तव्य दिलाये जाने की मांग अपनी उक्त सूचना में की है। मा0 सदस्यगण द्वारा दी गयी उक्त सूचना में उल्लिखित तथ्यों पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की आख्या प्राप्त की गयी, प्राप्त आख्यानुसार प्रकरण में स्थिति निम्नवत् है :--

परिषद् की इन्दिरानगर योजना, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम-गाजीपुर सईदुन्निसा खसरा संख्या-491, श्रीमती मालती, श्री नरेन्द्र सिंह चन्देल व कुमारी अनुपमा चन्देल, खसरा संख्या-492 श्री दुलारा आदि खसरा संख्या-497 श्री राजकुमार आदि खसरा संख्या-498 श्री नरेन्द्र सिंह चन्देल व कु0 अनुपमा चन्देल एवं खसरा संख्या-499 श्री नरेन्द्र सिंह चन्देल व कु0 अनुपमा चन्देल के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित हैं। खसरा संख्या-399 की भूमि कु0 अनुपमा चन्देल पुत्री श्री पी0एन0 सिंह के तनहा हिस्से में होना बताते हुये अपने हिस्से में 195.94 वर्गमीटर भूमि कु0 अनुपमा चन्देल द्वारा दिनांक 13-8-2001 को श्री मुईद अहमद के नाम बैनामा करके कब्जा व दखल दे दिया गया सूचित किया, जबकि कु0 अनुपमा चन्देल द्वारा खसरा संख्या-399 के स्थान पर खसरा संख्या-499 की 195.94 वर्गमीटर भूमि की रजिस्ट्री श्री मुईद अहमद के नाम दिनांक 13-8-2001 को की गयी है। कु0 अनुपमा चन्देल खसरा संख्या-499 की तनहा मालिक नहीं है, इसमें श्री नरेन्द्र सिंह चन्देल सहखातेदार है।

2--राष्ट्रीय राजमार्ग 24ए के चौड़ीकरण में आने वाली बाधाओं के सम्बन्ध में दिनांक 8-12-2003 को जिलाधिकारी, लखनऊ की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी, जिसमें अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) लखनऊ, लोक निर्माण विभाग, आवास विकास परिषद् तथा भू-स्वामी श्री नरेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा भाग लिया गया। जिलाधिकारी, लखनऊ की अध्यक्षता में हुई उक्त बैठक के सन्दर्भ में श्री नरेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा जिलाधिकारी, लखनऊ को लोक निर्माण विभाग को अपनी भूमि देने हेतु सहमति दी गयी। परिषद् तथा लोक निर्माण विभाग के मध्य 1213 वर्गमीटर भूमि के संबंध में हुए अनुबन्ध में यह स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में स्व0 श्रीमती मालती सिंह के और उत्तराधिकारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई दावा या विवाद उत्पन्न किया जाता है अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई दावा या विवाद उत्पन्न किया जाता है अथवा धनराशि मुआवजा आदि की मांग की जाती है, उसके लिए श्री नरेन्द्र सिंह चन्देल पुत्र स्व0 श्री पी0 एन0 सिंह पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे, उसके द्वारा ही उस विवाद का निपटारा अपने स्तर से किया जायेगा, इसके लिए उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अथवा लोक निर्माण विभाग उत्तरदायी नहीं होंगे।

3--उक्त अनुबन्ध के अनुसार खसरा संख्या-494 भाग, 498 भाग, 499 भाग की 1213 वर्गमीटर भूमि का प्रतिकर निर्माणों सहित जिसमें स्वराज माजदा एजेन्सी का निर्माण 237.50 वर्गमीटर, दुकानें 71.68 वर्गमीटर, गैराज 37.80 वर्गमीटर, रोलिंग शटर्स की दुकान 54.00 वर्गमीटर, इण्डियन गैस एजेन्सी 85.50 वर्गमीटर, ज्ञान मन्दिर स्कूल 470.90 वर्गमीटर, रिलायन्स मोटर गैराज 255.60 वर्गमीटर, कुल क्षेत्रफल जिन पर निर्माण थे 1212.98 वर्गमीटर अर्थात् 1213 वर्गमीटर भूमि का प्रतिकर श्री नरेन्द्र सिंह चन्देल को किया गया है। इसमें श्री मुईद अहमद द्वारा चहारदीवारी, कमरे तथा शेड का निर्माण स्थल पर मौजूद नहीं थे। यहाँ यह भी स्पष्ट करना है कि खसरा संख्या-494, 498, 499 की कुल भूमि 2908.12 वर्गमीटर है, जिसमें से राष्ट्रीय राजमार्ग में पड़ने वाली 1213 वर्गमीटर भूमि, जो श्री नरेन्द्र सिंह चन्देल के कब्जे में थी का प्रतिकर भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग से प्राप्त धनराशि को परिषद् स्तर से दिनांक 30-1-2003 में श्री नरेन्द्र सिंह चन्देल को किया गया है।

4--श्री मुईद अहमद ने नरेन्द्र सिंह चन्देल को भुगतान किये जाने के पश्चात् दिनांक 1-2-2003 को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, लखनऊ से 195.94 वर्गमीटर भूमि के मुआवजे की मांग की, जिसे जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्र संख्या-99, दिनांक 11-2-2003 द्वारा परिषद् को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया। चूंकि राजस्व अभिलेखों में श्री मुईद अहमद के नाम भूमि अंकित नहीं थी, जिस कारण कु0 अनुपमा चन्देल जिनका राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज था, परिषद् कार्यालय के पत्र संख्या-2635, दिनांक 21-11-2003 द्वारा हिस्सेदारी का साक्ष्य देने हेतु पत्र भेजा गया, परन्तु उनके द्वारा अभी तक उक्त खसरों की हिस्सेदारी का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट करना है कि कु0 अनुपमा चन्देल व श्री नरेन्द्र सिंह चन्देल में हिस्सेदारी का विवाद मा0 अधीनस्थ न्यायालय, लखनऊ में विचाराधीन है। मा0 न्यायालय के निर्णय के पश्चात् अनुबन्ध के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। उक्त स्थिति के दृष्टिगत श्री मुईद अहमद का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित नहीं होने के कारण मुआवजे का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं पाया गया है।

उक्त स्थिति से मा0 सदन कृपया अवगत होने का कष्ट करें।]

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं, 01 मार्च, 2005 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 3 बजकर 40 मिनट पर मंगलवार, दिनांक 1 मार्च, 2005 के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक : 25 फरवरी, 2005 ई0।

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

संलग्नक 'क'

(देखिये अता0 प्र0 सं0-24 का ... पृष्ठ 32 पर।)

उ0प्र0 जल विद्युत निगम लिमिटड के अधीन विभिन्न खण्डों/जल विद्युत गृहों पर वर्तमान में उपलब्ध चार पहिया वाहनों का विवरण--

क्रमांक	खण्ड/कार्यालय का नाम	वाहनों की संख्या	निष्प्रयोज्य वाहनों की संख्या	वर्तमान में कुल उपयोगी उपलब्ध वाहनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	निगम मुख्यालय	6	--	6
2	विद्युत उत्पादन खण्ड, खारा	12	6	6
3	विद्युत जनपद खण्ड, खारा	*2	--	2
4	विद्युत उत्पादन खण्ड, मुजफ्फरनगर	3	--	3
5	विद्युत उत्पादन खण्ड, माताटीला	6	2	4
6	रिहन्द जल विद्युत गृह, पिपरी	13	2	11
7	जल विद्युत गृह, ओबरा	4	--	4
	कुल :	**46**	**10**	**36**

नोट : *यह खण्ड पूर्व में जनवरी, 2000 तथा उसके बाद पहले देहरादून में स्थित था।

उत्तरांचल प्रदेश की स्थापना के परिणामस्वरूप वहाँ स्थिति कार्यालय/परियोजनाओं को स्थानान्तरित वाहनों को सम्मिलित नहीं किया गया है।

एन0 सी0 पाण्डेय,

महाप्रबन्धक (मुख्यालय)।

संलग्नक 'ख '
(1/4)

महाप्रबन्धक (परि0 एवं अनु0) के अधीन विभिन्न खण्डों/जल विद्युत गृहों पर उपलब्ध वाहनों का आवंटन विवरण--

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	वाहनों की संख्या	आवंटन का विवरण	
			अधिकारी/कार्यालय जिससे सम्बद्ध है	सम्बद्ध वाहनों की संख्या
1	विद्युत उत्पादन खण्ड, खारा	12	खण्डीय कार्यालय से सम्बद्ध (स्कूल बस सहित)	5
			उपमहाप्रबन्धक कार्यालय, खारा	1
			निष्प्रयोज्य	6
2	विद्युत उत्पादन खण्ड, मुजफ्फरनगर	3	खण्डीय कार्यालय से सम्बद्ध	3
3	विद्युत जनपद खण्ड, खारा	2	खण्डीय कार्यालय से सम्बद्ध	2
4	विद्युत उत्पादन खण्ड, माताटीला	6	अधिशासी अभियन्ता	1
			सहायक अभियन्ता, शीतला परियोजना	1
			सहायक अभियन्ता, माताटीला जल विद्युत गृह	1
			स्कूल बस	1
			निष्प्रयोज्य	2
5	रिहन्द जल विद्युत गृह, पिपरी	13	उपमहाप्रबन्धक	1
			सामान्य पाली, सी0आई0एस0एफ0	1
			अधिशासी अभियन्ता (परि0 एवं अनु0)	1
			अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	1
			सहायक अभियन्ता (टी0एण्ड सी0)/ सहायक अभियन्ता (पी0एण्ड एस0)	1
			सी0आई0एस0एफ0 (शिफ्ट ड्यूटी)	1
			उप समादेष्टा (सी0आई0एस0एफ0)	1
			एम्बुलेंस	1
			अधिशासी अभियन्ता, विद्युत उत्पादन खण्ड शिफ्ट (पारी) वाहन	1
			ट्रक	1
			निष्प्रयोज्य	2
6	जल विद्युत गृह, ओबरा	4	परिचालन पारी एवं अनुरक्षण कार्य से सम्बद्ध	4

एन0 सी0 पाण्डेय,
महाप्रबन्धक (मुख्यालय)।

संलग्नक 'ख'
(2/4)

उ0 प्र0 जल विद्युत निगम मुख्यालय पर जनवरी, 2000 से 31-12-2004 तक वाहनों की उपलब्धता एवं उनके आवंटन का विवरण--

क्र0 सं0	अवधि	उपलब्ध वाहनों की संख्या	अधिकारी/इकाई जिनसे वाहन सम्बद्ध रहे	सम्बद्ध वाहनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	1/2000 से 9/2000 तक	5	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	1
			अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक कैम्प	1
			महाप्रबन्धक (मुख्यालय)	1
			विशेष सचिव ऊर्जा	1
			महाप्रबन्धक (परि0 एवं अनु0)	1
			कुल :	5 नं0
2	10/2000	6	उपरोक्तानुसार	5
			निदेशक (तकनीकी)	1
			कुल :	6 नं0
3	11/2000 से 6/2001	7	उपरोक्तानुसार	6
			निदेशक (वित्त)	1
			कुल :	7 नं0
4	07/2001 से 09/2001	6	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	1
			अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक कैम्प	1
			निदेशक (तकनीकी)	1
			निदेशक (वित्त)	1
			महाप्रबन्धक (मुख्यालय)	1
			विशेष सचिव ऊर्जा	1
			कुल :	6 नं0
5	10/2001 से 11/2001	6	अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक	1
			निदेशक (तकनीकी)	1
			निदेशक (वित्त)	1
			महाप्रबन्धक (मुख्यालय)	1
			महाप्रबन्धक (का0 एवं प्र0)	1
			विशेष सचिव ऊर्जा	1
			कुल :	6 नं0
6	12/2001 से 5/2002	7	उपरोक्तानुसार	6
			महाप्रबन्धक (ओ0 एण्ड0एम0)	1
			कुल :	7 नं0

राजीव श्रीवास्तव

नरेन्द्र सिंह
ए0 ई0

1	2	3	4	5
7	6/2002 से 10/2002	6	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक निदेशक(तकनीकी) निदेशक (वित्त) महाप्रबन्धक (मुख्यालय) महाप्रबन्धक (का0 एवं प्र0) महाप्रबन्धक (परिचालन एवं अनुरक्षण)	1 1 1 1 1 1
			कुल :	6 नं0
8	11/2002 से 12/2003	7	उपरोक्तानुसार अनुरक्षण इकाई	6 1
			कुल :	7 नं0
9	01-01-2004 से 01-05-2004	7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	1
			प्रमुख सचिव (ऊर्जा)	1
			निदेशक (वित्त)	1
			महाप्रबन्धक (परि0 एवं अनु0)	1
			महाप्रबन्धक (मुख्यालय)	1
			अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक कैम्प	1
			अनुरक्षण इकाई	1
			कुल :	7 नं0
10	02-05-2004 से 01-09-2004	6	अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक	1
			प्रमुख सचिव (ऊर्जा)	1
			निदेशक (वित्त)	1
			महाप्रबन्धक (परि0 एवं अनु0)	1
			महाप्रबन्धक (मुख्यालय)	1
			अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक कैम्प	1
			कुल :	6 नं0
11	02-09-2004 से 16-10-2004	7	उपरोक्तानुसार निदेशक (तकनीकी)	6 1
			कुल :	7 नं0

राजीव श्रीवास्तव

1	2	3	4	5
12	17-10-2004 से 30-10-2004	6	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	1
			प्रमुख सचिव (ऊर्जा)	1
			निदेशक (वित्त)	1
			निदेशक (तकनीकी)	1
			महाप्रबन्धक (मुख्यालय)	1
			महाप्रन्धक (परि0 एवं अनु0)	1
			कुल :	6 नं0
13	01-11-2004 से 10-11-2004	7	उपरोक्तानुसार	6
			अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	1
			कुल :	7 नं0
14	11-11-2004 से 31-12-2004	6	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	1
			प्रमुख सचिव (ऊर्जा)	1
			निदेशक (वित्त)	1
			निदेशक (तकनीकी)	1
			महाप्रबन्धक (मुख्यालय)	1
			महाप्रबन्धक (परि0 एवं अनु0)	1
			कुल :	6 नं0

राजीव श्रीवास्तव,
जे0 ई0।

नरेन्द्र सिंह

संलग्नक- 'ग'

उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लिमिटेड के विभिन्न कार्यालयों /विद्युत गृहों पर जनवरी 2000 से 31-12-2004 तक किराये पर प्राप्त किये गये वाहनों का विवरण एवं किराया व्यय प्रतिमाह--

क्रम सं0	कार्यालय/विद्युत गृह का नाम	किराये पर लिये गये वाहनों की संख्या एवं अवधि	किराया व्यय प्रतिमाह
1	2	3	4
1	निगम मुख्यालय	1 (04-12-01 से 03-03-02 तक)	रु0 10500.00
		1 (04-03-02 से 03-06-02 तक)	रु0 12000.00
		1 (16-11-02 से 15-03-03)	रु0 10500.00
		1 (02-05-03) से 01-05-04 तक)	रु0 10300.00
		1 (02-09-04 से 16-10-04 तक)	17900.00
		1 (01-11-04 से 10-11-04 तक)	24000.00
2	विद्युत उत्पादन खण्ड, खारा	1 (पिछले लगभग 20 वर्षों से) 1 (01-03-02 से) 1 (01-11-04 से	लगभग रु0 37800.00 लगभग रु0 22000.00 लगभग रु0 16000.00
3	विद्युत जनपद खण्ड, खारा	शून्य	
4	विद्युत उत्पादन खण्ड, मुजफ्फरनगर	शून्य	

1	2	3	4
5	रिहन्द जल विद्युत गृह, पिपरी	3 (14-01-00 से 31-12-00 तक)	रु0 27000.00
		4 (01-01-01 से 31-12-01 तक)	रु0 47328.00
		6 (01-01-02 से 31-12-02 तक)	रु0 88619.00
		6 (01-01-03से 31-12-03 तक)	रु0 86501.00
		6 (01-01-04 से 31-12-04 तक)	रु0 88686.00
6	जल विद्युत गृह ओंबरा	1 (वर्ष 2000)	रु0 14460.00
		1 (वर्ष 2001)	रु0 15000.00
		1 (वर्ष 2002)	रु0 13500.00
		1 (वर्ष 2003)	रु0 14250.00
		1 (वर्ष 2004)	रु0 14850.00

एन0 सी0 पाण्डेय,
महाप्रबन्धक (मुख्यालय)।

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 39 का उत्तर पीछे पृ0 39 पर)

विधान सभा पट्टी के स्वीकृत मार्गों की सूची

क्रमांक	मार्ग का नाम	कार्य का विवरण	स्थिति
1	अन्तपुर-धूती	लेपन स्तर तक	प्रगति में
2	सदहा पचौरी	लेपन स्तर तक	प्रगति में
3	सर्वजीतपुर	लेपन स्तर तक	पूर्ण
4	ढकवा इब्राहिमपुर	लेपन स्तर तक	पूर्ण
5	नरहरपुर कस्सियाही	इंट सोलिंग	पूर्ण
6	मोलनापुर सम्पर्क मार्ग	लेपन स्तर तक	पूर्ण
7	आलाबिरदीपुर	लेपन स्तर तक	विवादित
8	बनवीर पुर	लेपन स्तर तक	विवादित
9	प्रयागपुर-ओरिस्ता जोगीपुर	मिट्टी कार्य	पूर्ण
10	पाण्डेय का पुरवा दौहरी आइना	मिट्टी कार्य	पूर्ण
11	रमईपुर-दिसिनी मार्ग	मिट्टी कार्य	पूर्ण
12	उसरौली ठनेपुरगोपापुर	मिट्टी कार्य	पूर्ण
13	कंधई स्कूल मझानीपुर	मिट्टी कार्य	पूर्ण
14	महदवा सम्पर्क मार्ग	मिट्टी /गिट्टी कार्य	पूर्ण
15	विझला सम्पर्क मार्ग	मिट्टी कार्य	पूर्ण
16	रुपछल सम्पर्क मार्ग	मिट्टी/गिट्टी कार्य	पूर्ण
17	पदुमपुर सम्पर्क मार्ग	मिट्टी कार्य	पूर्ण

पी०एस०यू०पी०--एल० 38 विधान सभा (74) -13-6-05-813 प्रतियां (डी०टी०पी०)।